दशम माला, खंड 33, अंक 3

बुधवार, 27 जुलाई 1994

1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

27 जुलाई, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद
के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
आवरण पृष्ठ	5	हिन्दी	हिन्दी
आवरण पृष्ठ	6	ग्याहरवां-सत्र	ग्यारहवां-सत्र
31	अंतिम पंक्ति (स्तम्भ 3)	सीमान्तक	सीमान्त
31	नीचे से 8	विवरण	विवरण दो
54	नीचे से 3	श्री ललित ठराव	श्री ललित उराव
55	नीचे से 9	बिहार में समस्याग्रस्त गांव और कुंओं की खुदाई	बिहार के समस्याग्रस्त गांवों में और कुंओं की खुदाई
110	11, 13, 16, 17, 18, 19	हक्को	हुक्को
121	10	श्री सलाउद्दीन ओवेसी	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी
133	नीचे से 7	श्री घाइल जॉन अंजलोज	श्री थाइल जॉन अंजलोज़
155	नीचे से 10	न्यान	न्याय
199	10, 14, 19 (स्तम्भ)	हक्को	हुक्को

विषय-सूची

दशम माला, खंड 33, 11वां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 3, बुधवार, 27 जुलाई, 1994/5 श्रावण, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के संबंध में	**1–19**
प्रश्नों के लिखित उत्तर 20-237	
तारांकित प्रश्न संख्या : 41 - 60	20-53
अतारांकित प्रश्न संख्या : 449 से 533, 535 से 562 564, 566 से 568 और 570-615	54-237
प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में–जारी	**237–257**

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी ही सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

बुधवार, 27 जुलाई, 1994/5 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के संबंध में

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जब की गई कार्रवाई रिपोर्ट को वापस नहीं लिया जाता है तब आज कोई प्रश्नकाल नहीं हो सकता है। संयुक्त संसदीय समिति के कांग्रेसी सदस्यों को इस मामले पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस ऐक्शन टेकन रिपोर्ट से पूरी लोक सभा का कोई मायने नहीं रह जाता है। इसका मतलब है नो ऐक्शन टेकन रिपोर्ट। यह यूनैनिमस रिपोर्ट थी। आज यह रिपोर्ट आई है **"(व्यवधान)"** सरकार की तरफ से इस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। लोक सभा का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ है। जिस तरह से लोक सभा अर्थहीन तरीके से चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि सदन के चलाने का कोई मतलब रह जाता है एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा है जिसको सजा देने की बात हो। इस कार्यवाही रिपोर्ट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। ऐसे में इस सदन का क्या मतलब है ? पूरी पार्लियामेंट का इस तरह से अपमान पहले कभी नहीं हुआ है। **"(व्यवधान)"**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। किसी को भी दण्डित नहीं किया गया है। किसी ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली गई है। **"(व्यवधान)"**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह संसद का अपमान है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : की गई कार्रवाई रिपोर्ट कहां है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : संयुक्त संसदीय समिति के कांग्रेसी सदस्यों को निर्णय करना चाहिए। वे लोग यहां पर बैठे हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, इस संसद द्वारा निर्मित जे.पी.सी. की रिपोर्ट का कोई मायने नहीं रह गया है "**(व्यवधान)**"

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अगर ऐसी कार्यवाही करनी थी तो जे.पी.सी. क्यों बनायी थी। जे.पी.सी. ने दिन रात मेहनत करके रिपोर्ट बनायी"**(व्यवधान)**" यह एक यूनैनिमस रिपोर्ट थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हर कोई यह समझ सकता है कि आप उत्तेजित हो गए हैं।

…**(व्यवधान)**…

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विपक्ष के नेता उत्तेजित होकर दौड़ते हुए आए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है यह प्रश्नकाल आपका समय है। आप सभा में प्रश्न पूछिये। बाद में आप इस पर चर्चा कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।"**(व्यवधान)**"

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव जी मुझे बताइये कि आप क्या चाहते हैं ?

"**(व्यवधान)**"

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप रास्ता बताइए। कमेटी ने यूनैनिमस रिपोर्ट दी लेकिन इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नो ऐक्शन टेकन रिपोर्ट बना दिया गया है। रिपोर्ट में जो था एक-एक चीज का पूरी तरह विरोध कर दिया है, उसको काटने का काम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, आप क्या चाहते हैं ?

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने एडजर्नमेंट मोशन आपको दिया है, आप उस एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करिये। अभी आप एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करिये और इस पर डिबेट कराइये। हमारा जो एडजर्नमेंट मोशन है, इसको आप एक्सैप्ट कर लीजिए और हमें सदन में अपनी बात कहने का मौका दीजिए।"**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। अगर मामला अहम है तो बोलने तो दीजिए, सुनने तो दीजिए।

…**(व्यवधान)**…

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई।

आप जानते हैं कि हमारी पार्टी सामान्यतया प्रश्न काल हो, इसके पक्ष में है। हम इस दृष्टि से हमेशा प्रयत्न भी करते रहे हैं लेकिन आज जो उत्तेजना पैदा हुई है, उसको मैं समझ सकता हूं और आप समझ सकते हैं। एक रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में इस सदी के सबसे बड़े घोटाले पर लीपापोती की गई हैं, मंत्री निर्दोष करार दिये गये, अफसर रिटायर हो गए, जांच जारी है। यह जांच तब तक जारी रहेगी, जब तक इस सरकार को लोग रिटायर नहीं कर देंगे, इस सरकार को नहीं बदल देंगे। इसलिए उत्तेजना हो रही है।

जे.पी.सी. की सर्वसम्मत रिपोर्ट थी और पार्लियामेंटरी कमेटियां दलों के आधार पर काम नहीं करतीं। उस रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ है। यह रिपोर्ट अपमानजनक है। यह रिपोर्ट संसद की मर्यादा को भंग करने वाली है। सब को आपने क्लीन चिट दे दी और बाकी की जांच चल रही है। कब तक जांच चलेगी ? अब प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना शुरू किया है और परिणाम यह है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सहमत हूं कि प्रश्नकाल तो हमारा काल है लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि काल कुछ विकराल हो गया है। हमने भी एडजर्नमेंट मोशन दिया है, हम इस पर नियम 184 के तहत चर्चा चाहते हैं, शोर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं। नियम 184 के जरिये हम अपना वोट रिकार्ड कराना चाहते हैं। सदन अपनी राय रिकार्ड कराये और इस संबंध में सत्ता पक्ष अपना दिमाग बना ले।

शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन टाक्ड आउट जैसा नहीं होगा और यह बहाना कि अगर नियम 184 के अन्तर्गत डिस्कशन हुआ और वोट हुआ तो सत्ता पक्ष अपनी बात नहीं कह सकता, यह कोई कारण नहीं है। असम के बारे में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी बात कही थी, हम तो उनकी आत्मा को भी झकझोरना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि वह भी इस रिपोर्ट का समर्थन करेंगे या इस रिपोर्ट का साथ देंगे। जो जे.पी.सी. के मैम्बर थे, वह इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो 8-8 आंसू रोयेंगे। यह रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जा सकती। हम चाहते हैं कि सदस्यों की उत्तेजना और विषय का महत्व, दोनों बातों को ध्यान में रखकर आप फैसला करें। आप चाहें तो मैं अपने मित्रों से कहने के लिए तैयार हूं कि क्वश्चन आवर होने दें और उसके बाद हमें सुनें।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सरकार ने सिर्फ इतनी कसरत की है कि जो युनैनिमस रिपोर्ट थी, खंड-खंड और पैरा-पैरा जो लोग अपराधी हैं, उन्हें बचाने के काम में पूरी सरकार लग गई। युनैनिमस संसद की जे पी सी की रिपोर्ट के बाद, इतने लोगों के नाम और इतने लोगों के ऊपर आरोप लगने के बाद इस रिपोर्ट को पूरी तरह से दफन कर देने के बाद हिन्दुस्तान में जो भ्रष्टाचार है। जो जांच समितियां चल रही हैं, उन पर क्या असर होगा। हमने एडजार्नमेंट मोशन दिया है और अटल जी, विरोधी दल के नेता, ने आपको नियम 184 में डिस्कशन के लिए कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने भी दिया है।

श्री शरद यादव : हमने एडजार्नमेंट मोशन दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं लंबी बहस नहीं करना चाहता हूं, कि समूची संसद का इस रिपोर्ट के आने के बाद, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, यह पूरी संसद, मैं मानता हूं, और हिन्दुस्तान में जो भ्रष्टाचार है, वह सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से फैल गया है। इस सार्वजनिक जीवन के ऊपर हिन्दुस्तान में इस रिपोर्ट के बाद, यह पार्लियामेंट की सर्वोच्च संस्था है, इस में जे.पी.सी. की युनैनिमस रिपोर्ट है, कहते हैं कि यह कोलैप्स ऑफ सिस्टम है। इस सिस्टम की जिम्मेदारी सब से ज्यादा राजनीतिक लोगों पर आती है। इस चुनी हुई संसद पर आती है। इस चुनी हुई संसद में जो सरकार बैठी है, जो राज चला रही है और जो एक्जीक्युटिव है, उस पर आती है। यह जिम्मेदारी आपकी है कि हिन्दुस्तान में जो सार्वजनिक सम्पत्ति है, उसकी आप रक्षा करें। भ्रष्टाचार का मामला है, उस पर आप ताकत के साथ एक्शन करने का काम करें। आपके सदस्य भी उसमें थे। उस युनैनिमस रिपोर्ट का एक ही मकसद है—

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब जाहिर कीजिए।

श्री शरद यादव : मेरे कहने का मतलब है कि एक-एक चीज में पूरी सरकार की मेहनत लगी है। मंत्रियों को कैसे बरी किया जाए, राजनेताओं को कैसे बरी किया जाए, जिम्मेदार लोगों को कैसे बरी किया जाए, उनके आफिसरों को कैसे बरी किया जाए, यह लगातार चलता रहेगा और सरकार को इसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। हिन्दुस्तान में जो जांच चल रही है, भ्रष्टाचार के कई मामले हो रहे हैं, इससे जांच वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर सरकार को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा। सरकार को इस संबंध में तैयार रहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : इस संसद को यदि आप चलाना चाहते हैं, तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि इस तरह से संसद चलने का कोई मतलब, कोई माने नहीं लगता है। यह क्वैश्चन आवर है अटल जी कहते हैं, क्वैश्चन आवर हो या कोई आवर हो, उनका एक ही मकसद है कि हिन्दुस्तान की जनता के लिए हम क्या खिदमत यहां करते हैं। आज हिन्दुस्तान की जनता की हजारों करोड़ रुपए की सम्पति बर्बाद हुई है। जिस तरह से घोटाला हुआ है, इस बात को सरकार भी मानती है। उसके बाद जो कल्प्रित लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी सजा देने का काम न करे, तो यह रिपोर्ट पूरी तरह से निर्गुण और नपुंसक है। पूरी तरह सें सारे लोगों को बरी करने का काम किया जा रहा है। यह संसद इसलिए नहीं है, गुनाहगार लोगों के बरी करने का काम करे। गुनाहगारों को यह सरकार बरी करना चाहती है, तो हम लोग इसमें पार्टी नहीं है। हम लोग इसमें हिस्सेदार नहीं होंगे। यह इतिहास में जाने नहीं देंगे कि हम लोग इस सारी चीज

में शरीक थे। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चहाता हूं कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को वापिस लेने का काम करे। आज ही घोषित करे, हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन को साफ करने के लिए जो कल्प्रित हैं, जो सजा पाने वाले लोग हैं, उनको सजा देने का काम करे, तब इस मामले में बहस सार्थक हो सकती है। अगर एडजार्नमेंट मोशन नहीं रखते हैं, तो 184 लेने का काम करें और तत्काल इसी समय यह बहस रखनी चाहिए। यही हम चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठोस प्रस्ताव देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : यदि आप करना चाहते हैं, तो हम लोग इस को सार्थक समझेंगे और इसमें शरीक होने का मतलब है और कोई माने हैं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि संसदीय इतिहास में इस तरह की रिपोर्ट का कोई पूर्वोदाहरण होगा क्योंकि कुछ भी हो एक संसदीय समिति अपने आप में एक लघु संसद है। यह होता है, यह हुआ है। यह नहीं हुआ होता। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि श्री राम निवास मिर्धा की अध्यक्षता में संसदीय समिति के सभी सदस्य एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह अधिकार का दुरुपयोग है और जिन शब्दों का समिति ने इस्तेमाल किया है उन पर आप जरा ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या सरकार को संसदीय समिति के प्रतिवेद को अस्वीकार करने का अधिकार है।

मेरे पास कौल और शकधर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मैं पृष्ठ संख्या 692 से उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है कि, "संसदीय समिति की सिफारिशों को आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित किया जाता है।" यह एक स्पष्ट वक्तव्य है—"कि संसदीय समिति की सिफारिशों को आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित किया जाता है।" यद्यपि मैं यह जानता हूं कि "आमतौर पर" शब्द बीच में इस्तेमाल किया गया है। यह सरकार को इस रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों से असहमत होने की गुंजाइश प्रदान करने के लिए है। यह सरकार को प्रतिवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं देता है। इसमें कहा गया है कि

> "यदि किसी सिफारिश के संबंध में सरकार के विचार समिति के विचारों से भिन्न हैं तो सरकार को उन कारणों से समिति को अवगत करवाना चाहिए जिनकी वजह से उस सिफारिश को स्वीकृत या कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।"

अतः मूलतः जो मुद्दा उठाया है वह केवल इतना नहीं है कि हम इस प्रतिवेदन पर कैसे चर्चा करें। मैं कहता हूं कि जब आप एक उचित रिपोर्ट के रूप में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह इस सभा की सभी मान्य परम्पराओं के प्रतिकूल होगा कि सरकार इसे अस्वीकृत कर दे। संसदीय समिति की रिपोर्ट को कुल मिला कर स्वीकृत किया जाता है। और जहां सरकार इससे सहमत नहीं हो सकती है वहां पर सरकार उन व्यवहारिक कारणों को

बताती है जिसकी वजय से वह उससे सहमत नहीं हो सकती है। मैंने अभी तक पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है लेकिन मैंने प्रेस में कुछ उद्धरण देखे हैं जिनमें इसे अनुचित माना गया है। सभी तरह से विशेष नामों का इस्तेमाल किया गया है। यह उस समिति के अन्य सदस्यों के साथ-साथ श्री रामनिवास मिर्धा और कांग्रेस पार्टी के उनके सहयोगियों की निन्दा है। **"(व्यवधान)"**

संसद का अपमान किया गया है। यह संसद का अपमान है। मुझे इस अपमान पर चर्चा करने में खुशी नहीं होगी। मेरा तर्क है कि ऐसा करने के बजाय आप इसे पढ़ें और सरकार से इस रिपोर्ट को वापस लेने का, इस पर पुनः विचार करने का और फिर सरकार से एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करें। वह एक रिपोर्ट देने के नाम पर संसदीय समिति की रिपोर्ट को अस्वीकृत नहीं कर सकती है। मेरा मूल प्रश्न, व्यवस्था का प्रश्न है, कि क्या सरकार को यह अधिकार है कि वह संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दे। जो वास्तव में यह रिपोर्ट नहीं है हम उस बात से सहमत नहीं हैं। जो कि आपने कही है, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। हम इसको केवल भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं मानते हैं। हम इसको कुछ अनियमितताओं का मामला मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समिति की रिपोर्ट के पहले ही वाक्य में कहा गया है कि "यह घोटाला मूलतः प्रतिभूतियों के अनेक तरह के लेन-देन के माध्यम से सार्वजनिक धन का सोचा समझा और अपराधिक दुरुपयोग है जिसका उद्देश्य बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से धन निकाल कर उसे चुनिन्दा दलालों को सट्टे द्वारा लाभ कमाने के लिए गैरकानूनी तरीके से उपलब्ध कराना था।" यह रिपोर्ट की पहली टिप्पणी है, फिर भी सरकार कहती है कि हम संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं और हम इसे केवल कुछ अनियमितताओं का भी मामला मानते हैं, जिन्हें हम ठीक करने जा रहे हैं।

अतः मैं महसूस करता हूं कि आप सरकार को इस रिपोर्ट को वापस लेने और नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह रिपोर्ट भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं है। यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना है। सरकार में किसी भी व्यक्ति ने इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं ली है। कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली गई है। इस घोटाले में कई करोड़ रुपया अन्तर्ग्रस्त है। लेकिन सरकार इन सभी मामलों पर पूरी तरह से मौन है। केवल मौन ही नहीं है बल्कि वह जो घोटाला हुआ है उस पर लीपा-पोती करने की भी कोशिश कर रही है।

मैं नहीं जानता हूं कि क्या हम बहुमत अल्पमत के आधार पर किसी संसदीय समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट पर चर्चा कर सकते हैं। यह रिपोर्ट संसद का अपमान है, मैं श्री आडवाणी जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं श्री आडवाणी की इस बात से सहमत हूं कि सरकार को रिपोर्ट वापस लेनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है मैं समझता हूं कि इस मामले पर चर्चा करना व्यर्थ है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में सभी निर्देश दिए गए हैं कि क्या कर्रवाई की जानी है। लेकिन वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यदि संसदीय लोकतंत्र में ऐसी बातें होती हैं जो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, सार्वजनिक जीवन और नैतिकता का पूरी तरह से पतन हो जायेगा।

ऐसी बात नहीं है कि हम केवल धन के संबंध में ही चिन्तित हैं, समाज में नैतिकता और सामाजिक मूल्यों के संबंध में भी हम चिन्तित हैं।

हम अपनी व्यवस्था के संबंध में चिन्तित हैं। सरकार समिति की टिप्पणियों और आम टिप्पणियों जैसे अनेक मुद्दों पर सहमत हो गई है। सरकार ने उन्हें स्वीकृत कर लिया है। लेकिन 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' के बारे में वह पूरी तरह से मौन है और उसने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को नकार दिया है। हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम इस तरह से दृष्टिकोण की पूरी तरह से निन्दा करते हैं और हम समझते हैं कि इस रिपोर्ट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और हमें ऐसे तंत्र का पता लगाना चाहिए जिससे इस विशेष मामले पर कार्रवाई की जा सके। सरकार को यह रिपोर्ट वापस लेनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सोच-समझकर और पूरी एक राय से जेपीसी का निर्माण किया गया था और उसके पहले भी एक जेपीसी बनी थी। लेकिन उस जेपीसी ने काम नहीं किया चूंकि उसमें अपोजिशन ने बायकाट किया था। उसके बाद यह महसूस किया गया कि जब संसद कोई कमेटी बनाती है तो उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए और संसद की सोची-समझी राय आनी चाहिए इसलिए जेपीसी बनी थी। एक राय से गंभीर वरिष्ठ लोग हर पार्टी ने इसके अंदर भेजे थे और पूरे देश ने इस कमेटी की और चेयरमैन की प्रशंसा की थी। एक राय से रिपोर्ट आई थी और देश में यह प्रभाव पड़ा था कि संसद ने एक राय से रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट पर सरकार कार्यवाही करेगी। सरकार ने जैसा एक्शन टेकन रिपोर्ट पर कदम उठाया है, इसके बाद संसद कभी भी स्वप्न में सोच नहीं सकती कि संसद कोई कमेटी, किसी तरह की जांच-पड़ताल करने की बनायेगी, अगर संसद की कमेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान रिपोर्ट के दूसरे पैराग्राफ की ओर खींचना चाहता हूं, इसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

"सबसे पहले अधिक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू उत्तरदायित्व विहीनता की संस्कृति का प्रार्दुभाव रहा है।"

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव जी मैं आपकी सलाह चाहता हूं कि हमें इस पर क्या करना चाहिए। हमें रिपोर्ट के विस्तार में नहीं जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि कमेटी ने कहा था कि जो गंभीर बात हुई थी और जिसकी वजह से इतना बड़ा घोटाला हुआ और इस देश के अंदर उसमें एक नान-एकाउंटेबिलिटी का कल्चर डवलप किया गया और सरकार ने उससे पूरी सहमति प्रकट की और सरकार ने कहा कि :

[अनुवाद]

"अब तक प्रणाली की जो कमजोरियां प्रकट हुई हैं उन पर समिति की नाराजगी से सरकार पूरी तरह से सहमत है।"

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने खुद इसको महसूस किया और उसके बाद सरकार ने जो रिपोर्ट दी है इसमें एकाउंटेबिलिटी को वाश-अवे कर दिया है और इसके अंदर सरकार ने किसी आदमी को एकाउंटेबल नहीं किया। मैं इस मांग के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि इस रिपोर्ट को प्रधान मंत्री जी को स्वयं खड़े होकर वापिस ले लेना चाहिए, इसी में संसद की गरिमा होगी। जब बोफोर्स पर चर्चा हुई थी तो प्रधान मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि मैं स्वयं एक-एक मिनट में इसको देखूंगा और एक-एक मिनट देखकर सदन के सामने आऊंगा और सदन को बताऊंगा। उनके आश्वासन के बाद देश में एक भावना पैदा हुई थी कि प्रधान मंत्री जी खुद रिपोर्ट देख रहे हैं और कोई कार्यवाही होगी। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि इस रिपोर्ट के बाद क्या देश का कोई विश्वास इसमें रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता है। भ्रष्टाचार आज हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के बारे में जनता फील कर रही है कि भ्रष्टाचार पर संसद की राय आ जाए। संसद अपराधियों को पकड़े और संसद लोगों पर जिम्मेदारी डाले और इसके बाद सरकार हाथ धो डाले तो भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है। इस रिपोर्ट के बाद भ्रष्टाचार रुकना इस देश में असंभव हो जाएगा इसलिए इस रिपोर्ट को वापिस लें। एक मीटिंग बुलाए और इसमें प्रधान मंत्री जी को भी बुलाएं तथा सभी नेताओं को बुलाएं कि कैसे इस सवाल के ऊपर प्रभावकारी ढंग से काम किया जाए।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) मैं मानता हूं कि कार्यवाही रिपोर्ट ने सभी के दिमाग में उथल-पुथल मचा दी है। इसने केवल विपक्ष के मन को ही आन्दोलित नहीं किया है अपितु मेरे विचार में इसके सत्ता पक्ष के मेरे मित्रों का मन भी आन्दोलित हुआ होगा। इसके परिप्रेक्ष्य में, संसदीय लोकतंत्र की शक्ति आम सहमति में निहित है।

इसलिए बोफोर्स के परिप्रेक्ष्य में विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का बहिष्कार किया था। विपक्ष ने इस बार यह सोचकर सहयोग किया कि समिति द्वारा जो भी आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि कार्यवाही रिपोर्ट द्वारा सरकार ने अपने आपको बचाने का प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ जी, आप मुझे यह बताइए कि इस समय आप सदन से किस कार्यवाही की आशा करते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं उसी पर आ रहा हूं। इससे सारे सदन की अवमानना हुई है।

इस प्रकार संसद का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो समितियां गठित की जायेंगी, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसा कि श्री आडवाणी ने कहा है कि संसदीय समितियां संसद की शक्ति हैं। यह संसद पर प्रत्यक्ष हमला है।

कार्यवाही रिपोर्ट सम्पूर्ण संसदीय प्रणाली की नींव पर आघात है। इसलिए, मेरी प्रधान मंत्री से यह अपील है, जिन्होंने अभी तक इस देश को आम सहमति के साथ चलाने की कोशिश की है, कि तुरंत इस रिपोर्ट को रद्द कर देना चाहिए और विपक्ष के साथ भी चर्चा करनी चाहिए। "व्यवधान" विपक्ष का प्रधान मंत्री के साथ चर्चा का एक और दौर होना चाहिए। जिस तरह से यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह उस संसदीय प्रणाली पर सीधा प्रहार है जिसे हमने विकसित किया है तथा जिसे हम देश के पुनरुद्धार के लिए और सशक्त बनाना चाहते हैं। इसकी अवमानना करना अपने आप की अवमानना करना है तथा उन उद्देश्यों की अवमानना करना है जिनके प्रति हम वचनबद्ध हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय से विशेष तौर पर अपील करूंगा कि इस रिपोर्ट को निरस्त किया जाये। वे विपक्ष के साथ एक बार और चर्चा कर सकते हैं।

महोदय, अब दूसरी बात यह है"

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक ही पर्याप्त है।

श्री लोकनाथ चौधरी : प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठाना भी ठीक नहीं क्योंकि वह भी संसदीय प्रणाली का एक भाग है। क्योंकि हम इस सीमा तक आन्दोलित हैं, तो कई बार सरकार की भांति हम भी भूल जाते हैं। इसलिए, मेरा यह निवेदन है कि रिपोर्ट को निरस्त किया जाये। सरकार को चर्चा का एक और दौर चलाना चाहिए। यहां पर किसी भी चर्चा के सम्बन्ध में निर्णय मतदान के आधार पर होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब अपनी बातों को दोहराईए मत। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, कृपया सदन को संक्षेप में अपना परामर्श दीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं ऐसा ही करूंगा। परन्तु ऐसा कहते हुए अपनी बात आरम्भ करने की अनुमति चाहता हूं कि मैं संतप्त मन से बोलने के लिए खड़ा हुआ है। स्पष्टतौर पर कहूं तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी छाती में छुरा घौंप दिया गया हो। जो भी संयुक्त संसदीय समिति में सम्मिलित था वह यह जानता है कि सारे घोटाले के सम्बन्ध में कम-से-कम शब्दों में निर्णय लेने के लिए कितनी मेहनत की गई थी। संयुक्त संसदीय समिति की केवल औपचारिक बैठकें ही नहीं हुईं अपितु प्रत्येक दल के सदस्यों ने न्यूनतम शब्दों में इस संदर्भ में जो निर्णय दिया, उसे इस सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।

इस प्रक्रिया के द्वारा ही हम एक सर्वसम्मत निष्कर्ष तक पहुंच सके। तथा मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया गया हो। मुझे विश्वास है कि यदि यह पूर्णतया दलीय दृष्टिकोण नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के वे सभी सदस्य, कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक गुट के सदस्य यदि कोई ऐसा स्वीकार करना पसंद करें जो संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे, उनकी भी ऐसी ही भावनायें होंगी जैसी कि मेरी हैं।

ऐसे में क्या विकल्प रह जाता है। यह हमारा अपमान है। इस सम्बन्ध में मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि यह कार्यवाही रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने केवल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने केवल खण्डन करने का प्रयास किया है। उन्होंने इसकी जांच करने का प्रयास किया है कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए वक्तव्य वैध हैं या नहीं। उन्होंने ऐसा रास्ता ढूंढने का प्रयास किया जिससे वे संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को लागू करने से बच सकें तथा इस रिपोर्ट का खण्डन कर सकें। मैं यह महसूस करता हूं कि अगर सर्वसम्मति से संसद द्वारा चुनी गई समिति द्वारा आम सहमति से लिए गये निर्णय का यही परिणाम होता है तो ऐसी संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का क्या लाभ है। इसलिए, हम समस्त सदन के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करने को बाध्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। हमें यह बताइए कि हमें कौन-सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इस समय मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना नहीं चाहता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं बता रहा हूं कि अब विकल्प क्या है। इसके अनेक रास्ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : और आप पूर्व उदाहरणों के साथ उसे स्पष्ट करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : रास्ता केवल आपके सामने ही नहीं बल्कि प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के समक्ष भी है। कांग्रेस पार्टी तथा गुटों के उन सदस्यों के सामने भी रास्ता है जो कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे तथा हमारे सामने भी रास्ता है।

आज, समाचार पत्र यह कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री महोदय चुनाव समय से पहले करवाने पर विचार कर रहे हैं। यदि यही कार्यवाही रिपोर्ट है तो उन्हें इस वर्ष समय से पूर्व चुनाव करवाने दीजिए। इसी सितम्बर, अक्तूबर के महीने में यह कह कर चुनाव करवाइए कि यह संयुक्त संसदीय समिति का सर्वसम्मत निर्णय है तथा संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बारे में सरकार का यह विचार है। एक रास्ता यह है। एक विकल्प और भी है। एक संसद सदस्य के रूप में विशेषकर उन कांग्रेस के सदस्यों के संदर्भ में जो कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे, अगर थोड़ी-सी संवेदनशीलता, थोड़ा-सा आत्म-सम्मान बाकी है, तो उन्हें त्यागपत्र दे कर अपने घर चले जाना चाहिए। एक रास्ता यह है। महोदय, अगर आप हमसे त्यागपत्र दिलवाना चाहते हैं तो हम अभी इसी समय ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों के समक्ष ये सारे विकल्प हैं। यदि सत्ता पक्ष के लिए ये अस्वीकार्य हैं तो कम-से-कम इतना तो किया ही जा सकता है कि प्रधान मंत्री महोदय सदन में खड़े हो कर इतना कह दें कि हमें इस वर्तमान रिपोर्ट पर खेद है, तथा हम इस रिपोर्ट को वापस लेते हैं। तथा अगले सात दिनों के बाद वे ऐसी रिपोर्ट ले कर सदन में आयें जिस पर चर्चा की जा सके। अन्यथा, यह ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। संयुक्त संसदीय समिति को उपदेश दिए जा रहे हैं। जो कि वैसे नहीं दिए जा सकते। महोदय, मैं आपको बहुत ही सकारात्मक रास्ता बता रहा हूं। आपको प्रधान मंत्री महोदय से इस रिपोर्ट को वापस लेने के लिए निवेदन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए आपको मुझे सदैव परामर्श नहीं देना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैंने यह सोचा कि आप हमें ऐसे सुझाव देने की अनुमति दे रहे हैं जिनका अनुपालन करने की सलाह आप सत्ता पक्ष को दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : जो मशविरा आप दूसरों को दे रहे हैं, उसका पालन आपको स्वयं भी करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिस पर हम चर्चा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरों को भी अपनी बात कह लेने दीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस प्रकार की कार्यवाही रिपोर्ट पर हम चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए वे इस रिपोर्ट को वापस लें।

[हिन्दी]

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कैम हुआ है "**(व्यवधान)**"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पत्र मिला है कि वे कांग्रेस (ई) संसदीय दल के उपनेता हैं। इसलिए उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय, अध्यक्ष जी, यह स्कैम का कामकाज 1986 में शुरू हुआ था। इस बीच में कई प्रधान मंत्री आ गये हैं, कई मंत्री आ गये हैं, मैं भी उनमें से एक मंत्री था। हमें स्कैम का पता ही नहीं लगा। "**(व्यवधान)**"

जब मैं सरकार में था तो बीजेपी, कम्युनिस्ट और बाकी सब हमारे साथ थे। जब यह स्कैम हो रहा था तो हम सब सो रहे थे और जब यह शुरू हुआ तो हमारे नोटिस में नहीं आया। यह सब प्रोसीजरल खामियों के कारण होता चला गया और फिर जब नोटिस में आया तो इस सरकार ने गंभीरता से लेते हुए एक संयुक्त समिति का गठन किया। मैं तो यह कहूंगा कि यह कहा गया है कि क्वश्चन आवर को सस्पेंड करके चर्चा कराई जाये तो जो यह कहा गया कि रिपोर्ट को रिजेक्ट करके इस हाउस का अपमान किया गया है तो यह ठीक बात है। इस रिपोर्ट में सारी सिफारिशें की गयी हैं और ये लोग चाहते हैं पालिटिकली इन मिनिस्टर्स को लटकाओ। उनका तो कोई कसूर नहीं है। आप कहते हैं कि डा. मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी नहीं हैं जबकि हम कहते हैं कि ये तो एक माने हुए ईमानदार आदमी हैं। और श्री बी. शंकरानन्द ने ओ.एन.जी.सी. में इनवैस्टमेंट किया तो क्या खोटा काम किया ? वह तो सही काम था और यह तय कर दिया गया कि वह एक सही काम है"।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने बता दिया कि क्या करना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब पार्लियामेंटरी मिनिस्टर कुछ कहना चाहते हैं।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, कार्यमंत्रणा समिति में इस मुद्दे पर आपसे चर्चा हुई थी। दो तरह के मत प्रस्तुत किए गए थे। एक मत यह था कि इस मुद्दे पर नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की जानी चाहिए तथा दूसरा विचार यह था कि इस मुद्दे पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के बाद यह निर्णय हुआ था कि हम यह निर्णय आप पर छोड़ते हैं तथा आप विभिन्न दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करके यह निर्णय लें कि किस प्रक्रिया तथा किस नियम के अन्तर्गत इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए।

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने कक्ष में नेताओं की बैठक बुलायें तथा इस सम्बन्ध में निर्णय लें ताकि हम इस मुद्दे पर यथाशीघ्र चर्चा करवा सकें।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : यह चर्चा का विषय नहीं है। सरकार को इस संसद के समक्ष खेद प्रकट करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहार वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, बीएसी में संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ जो चर्चा हुई थी तो यह तय किया गया कि जब एक्शन टेकन रिपोर्ट आयेगी तो उस पर किस रूप में बहस की जाये ? यह भी उल्लेखनीय है कि सत्ता पक्ष ने लगातार इस बात पर बल दिया कि यह बहस नियम 184 के तहत न होकर नियम 193 के तहत हो। जो अब यह रवैया बदल रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा तब हुई थी जब कि एक्शन टेकन रिपोर्ट आयी नहीं थी। हमने इनको नहीं देखा था कि लेकिन हम समझते थे कि सर्वसम्मति से संयुक्त समिति ने जो सिफारिशें की हैं, अधिकांश रूप से उनको स्वीकार कर लिया जाएगा, किसी मंत्री को हटाया जायेगा या किसी अफसर को कठघरे में खड़ा किया जायेगा या किसी को गिरफ्तार किया जायेगा क्योंकि दुनिया के अंदर जो आज भ्रष्टाचार हो रहा है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हो रहा है, उसकी थोड़ी-सी झलक हमें भी यहां देखने को मिलेगी मगर अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए, सरकार रिपोर्ट को वापस ले और इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया बतायें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह कार्यवाही रिपोर्ट नहीं है। यह संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट पर कमैंटरी है। **–(व्यवधान)–**

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब आपसे इस मुद्दे पर आपके कक्ष में चर्चा हुई थी तो हमने यह कल्पना नहीं की थी कि रिपोर्ट किस तरह की होगी। विपक्ष के माननीय नेता अच्छी तरह जानते थे कि कार्यवाही रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी है। **(व्यवधान)** दोनों प्रकार की संभावनाओं को

समक्ष रख कर यह निर्णय आपके कक्ष में लिया गया था। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह इस तरह की होगी। यह कहना है कि उन्हें सरकार के निर्णय की जानकारी नहीं थी, स्वाभाविक है। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।

इसलिए, अब उन्हें इसकी जानकारी मिलने के पश्चात् यह मामला आपके समक्ष आया है। यह उचित अवसर है कि आप इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करके इस सम्बन्ध में निर्णय लें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, सदन में ट्रेजरी बैन्चेज़ को छोड़कर एक बात समूचे विपक्ष के लोगों ने कही कि यह जो ऐक्शन टेकन रिपोर्ट है इसे सरकार वापस ले और नये सिरे से इस पर कार्रवाई करे। यह इस तरफ के सब लोगों की राय है। जो राय आप जानना चाहते थे वह आम राय यह है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी राय नहीं है। आपने जो बोला, पांच मिनट पहले ठीक इसके विरुद्ध राय थी। यह रिकार्ड पर है।

श्री शरद यादव : मैंने जो बात आपको सजेस्ट की थी उसके पहले मैंने कहा था कि इस प्रतिवेदन को समाप्त कर दें।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार अपनी बात बदलेंगे तो मैं क्या करूं।

श्री शरद यादव : आप रिकार्ड देख लीजिए। मैंने कहा था कि इस रिपोर्ट को वापस करिए, इसे स्कैप करिए। मैंने आते ही पहले यह बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय : कौन स्क्रैप करेगा ? किसको अथोरिटी है ?

श्री शरद यादव : सरकार इसको वापस ले सकती है। यूनेनिमसली यह बात है कि इसको वापस लेना चाहिए और ऐक्शन टेकन रिपोर्ट को फिर से नये सिरे से बनाना चाहिए और लोगों पर ऐक्शन लेने की नीयत से काम करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब दो तीन बातें पांच दस मिनट में बदली गई हैं। अगर ऐसे होगा तो कैसे काम होगा।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, इस तरफ कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने यह नहीं कहा हो कि "इस प्रतिवेदन को समाप्त कर दें।" जब एक आम राय है जो आप पूछना चाहते हैं तो यह हमारी आम राय है।

अध्यक्ष महोदय : आम राय क्या है मैंने सुन लिया है। आपसे सुनना क्या जरूरी है ?

श्री शरद यादव : मैंने पहले ही कहा था "कि इस प्रतिवेदन को समाप्त कर दें।" **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए। मैंने आपको सुन लिया है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : आप एक मिनट सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो आप भी खड़े हो जाते हैं ?

"(व्यवधान)"

श्री शरद यादव : यह कोई बात नहीं है कि आप एक मिनट भी नहीं सुनेंगे। आप एक-एक बात पर नाराज हो जाते हैं। यह देश का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे ही जब तक चाहे चलाते जाइए।

[अनुवाद]

ठीक है मैंने आपको 45 मिनट तक सुना है।

श्री श्रीकान्त जेना : हमने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह कहा था कि यह पता लगाएं कि कितने और सदस्य बोलना चाहते हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप और नई बात क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : पीठासीन अधिकारी पर कोई विनिर्णय लादना सही नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आप किस बात की दलाली करना चाहते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है"**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री जेना के परामर्श का लाभ उठाने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, आपको हमें गलत नहीं समझना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप ही यह निर्णय करें कि अब कितने सदस्य बोलना चाहते हैं और उसके बाद ही मैं खड़ा होऊंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : चूंकि आपने टिप्पणी की है कि हम समय-समय पर अपना दृष्टिकोण बदलते रहते हैं और पांच मिनट के भीतर हमने अपना दृष्टिकोण बदल लिया, यदि आपने हमारा स्थगन प्रस्ताव पढ़ा होता तो जो कुछ हमने कहा है उसके बारे में आपको पता लग जाता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस बात की ओर ध्यान दिया है जो आपने सबके सामने सभा में कही थी।

श्री श्रीकान्त जेना : हमने कहा कि यह प्रतिवेदन अपने आप में ही अपमानजनक है। **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : जैसे ही आप सभा में आए, मैंने एक ही वाक्य बोला-आप इस प्रतिवेदन को समाप्त कर दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है शरद जी, आपकी अपनी कठिनाइयां हैं, मैं उन्हें समझता हूं और मैं उस कठिनाई का समाधान कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : अपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना में हमने कहा है कि यह प्रतिवेदन संसद के लिए अपमानजनक है। इसलिए इस प्रतिवेदन को रद्द कर देना चाहिए। चूंकि विपक्ष के नेता ने यह सुझाव दिया है कि इस पर नियम 184 के अंतर्गत चर्चा की जानी चाहिए, हमने कहा कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस प्रतिवेदन को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछता हूं कि कौन इसे रद्द करेगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : इसीलिए हम प्रधान मंत्री से अपील कर रहे हैं और श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इसे स्पष्ट किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात स्पष्ट करें कि इसे कौन रद्द करेगा। मैं भी आडवाणी जी की बात समझ नहीं पाया हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हम इस प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं। यह अपमानजनक बात है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कौन रद्द करेगा ?

श्री श्रीकान्त जेना : जब तक इस प्रतिवदेन को इस सभा से वापिस नहीं ले लिया जाता अथवा समाप्त नहीं किया जाता तब तक इस सभा की कार्यवाही में भाग लेना हमारे लिए संभव नहीं है। यह हमारी स्थिति है–**(व्यवधान)** हम स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि जब तक इस प्रतिवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाता तब तक हम इस सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। **(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल : इसमें लिखा है कि यह की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन है। लेकिन यह की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन नहीं है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं कुछ कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, हम कुछ कहना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कैसे चल सकता है ? नियम यह है कि जब अध्यक्ष खड़े हों तो आपको बैठे जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आपने हमें बोलने का अवसर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप भी बोलिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि यह संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर 'न की गई कार्यवाही' संबंधी प्रतिवेदन है। पृष्ट 41 पर यह देखकर मुझे हैरानी हुई है कि सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि उक्त पैराग्राफों में पांच विनिर्दिष्ट कारणों के आधार पर समिति की आलोचना अनुचित है।' यह संसद के सदन के अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। **(व्यवधान)**

महोदय, मैं एक सुझाव दे रहा हूं। चूंकि प्रधान मंत्री जी इस सभा में उपस्थित हैं इसलिए सबसे पहले सरकार इस प्रतिवेदन को वापिस ले और संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर ठोस कार्यवाही करे। अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं में गम्भीर गलतियां की हैं और उनका पता भी लगाया जा चुका है इसलिए उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

अन्य लोगों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा और अन्य एजेंसियों द्वारा जांच की जानी चाहिए तथा की गई कार्यवाही के संबंध में बताना चाहिए तभी ऐसी की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जा सकती है, इस प्रकार चर्चा नहीं की जा सकती है। यह संसदीय लोकतंत्र को खतरा है।" **(व्यवधान)** यह सरकार सभा पटल पर ऐसा प्रतिवेदन नहीं रख सकती है। **(व्यवधान)**

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, सरकार ने यह निर्णय लिया है और यह संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रशंसा करता हूं और इससे मुझे बहुत सहायता मिली है। मैं सदस्य की कठिनाइयों तथा भावनाओं की प्रशंसा करता हूं। आपने सभा में जो कुछ कहा है यदि मैं उसे ठीक से समझा दूं तो मेरा यही निष्कर्ष है,

कि कुछ सदस्य चाहते हैं कि इस प्रतिवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। और उनका कहना है कि सरकार इसे स्वीकार कर ले।

सरकार का यह दृष्टिकोण है कि 'हमारा ऐसा कहने का यह कारण है कि कतिपय सिफारिशें स्वीकार की जा सकती हैं और कतिपय स्वीकार नहीं की जा सकती है।' उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है, संभवतः यदि मैं गलत नहीं समझा हूं, तो वे इसे सभा में इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। सभा को ही यह निर्णय लेना चाहिए कि इस मामले में क्या किया जाए। जैसा कि संविधान में, कानून में व नियमों में कहा गया है कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन अथवा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिवेदन को अस्वीकार करने का किसी को प्राधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसे वापिस लिया जा सकता है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा विकल्प उपलब्ध है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधान मंत्री इसे वापिस ले सकते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं कुछ कहूं। लेकिन आपके यह कहने से पहले कि क्या किया जाना चाहिए, उचित यही होगा कि सभी बाहरी पक्षों संस्कृति सभी पक्ष सभा के समक्ष आएं और सभा के माध्यम से इस पर विचार व्यक्त करें। यदि मैंने श्री शरद यादव की बात को ठीक से समझा है तो उन्होंने यह कहा था कि उनका एक स्थगन प्रस्ताव है और तत्पश्चात् उन्होंने कहा, "ठीक है, यदि इस पर चर्चा की जानी है तो हम तथा अन्य सदस्य भी इस पर चर्चा करें...।"

इस मुद्दे पर कि क्या इस पर नियम 193 या नियम 184 के अंतर्गत चर्चा की जानी चाहिए आदि-आदि बातों के बारे में समिति में भी राय भिन्न-भिन्न थी और सभा में भी उसी प्रकार से विचारों में भिन्नता है। मुझे आप सबको सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारी यह इच्छा है कि सभा के अधिकतम सदस्य संतुष्ट हों न कि असंतुष्ट हों। मैं चाहता हूं कि मेरे कक्ष में हम इस पर चर्चा कर लें संभवतः इस प्रकार की चर्चा यहां जारी रखना उपयोगी नहीं होगा। मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं। और वहां मैं सभी नेताओं की बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महादेय,...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी कृपया इस प्रकार मत बोलिए। आपने हमेशा मेरी सहायता की है, आज भी मेरी सहायता कीजिए। मैं भी शरद यादव, श्री बाजपेयी, श्री आडवाणी, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री जेना, तथा श्री पाणिग्रही से भी अनुरोध करता हूं कि वे सब मेरे कक्ष में आएं, तथा हम वहां पर इस पर चर्चा कर लें। मेरे विचार से इस पर इतनी चर्चा होने के बाद अब हमें सभा का कार्य करना चाहिए और बाद में मेरे कक्ष में बैठकर हम इस पर चर्चा कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। महोदय, आपने सही कहा है कि सरकार इस प्रतिवेदन को वापिस ले सकती है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि "यदि आप चाहते हैं तो हम इस पर चर्चा करें।"

अब मैं सबसे पहले श्री इन्द्रजीत गुप्त को सुनना चाहता हूं। और यदि आवश्यक हो तो श्री राम विलास पासवान भी बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट दीजिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलेंगे तो श्री जेना भी बोलेंगे।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, कृपया मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने दीजिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात अपने कक्ष में सुनूंगा और साथ में चाय भी पीयेंगे।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात अपने कक्ष में सुनूंगा।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं अपनी भावनाएं वैयक्तिक तरीके से नहीं व्यक्त करना चाहता हूं बल्कि इस सभा में रखना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने कक्ष में आपकी बात को और अच्छे ढंग से समझ सकूंगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आप इस मामले की गंभीरता को समझेंगे। यह कोई साधारण मामला नहीं है। मैं इस समय इसकी विशेषताओं अथवा इसमें जो कुछ है, उस बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन आखिरकार इस रिपोर्ट से, जिस पर, आपके यह निर्णय करने से पहले कि इस पर चर्चा किस प्रकार होगी अथवा इस पर चर्चा होगी या इसे वापिस लिया जायेगा अथवा नहीं, विचार किया जाना है, देश में अथवा विश्व में क्या संदेश जायेगा। महोदय, मेरे विचार में वह संदेश यह होगा कि हमारी प्रणाली में, हमारी संसदीय प्रणाली में, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में जवाबदेही नाम की कोई चीज ही नहीं है। जवाबदेही की हत्या की गई है। कोई भी जवाबदेह नहीं है। कोई भी जिम्मेवार नहीं है। किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। किसी को भी सजा नहीं दी जानी है। तीन या चार वर्ष पहले हमने इस सभा में ऐसा शोरगुल किया था और 60 या 70 करोड़ रुपये के बोफोर्स सौदे के मामले में लगभग सौ सदस्यों ने इस सभा से त्यागपत्र दे दिया था। यह सौदा बोफोर्स से भी बहुत बड़ा है। लगभग 12,000 या 8,000 करोड़ रुपये गये और इस सरकार कि "की गई कार्यवाही" के निष्कर्षों का परिणाम यह है कि जवाबदेही नाम की कोई चीज ही नहीं है। यह व्यवस्था ही ऐसी है जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। यही बात वे कहना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति, अधिकारी, मंत्री, किसी को भी सजा नहीं दी जाती तो इसका तात्पर्य यह है कि यह प्रणाली स्वतः पूर्ण ही भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली है और जवाबदेही नाम की कोई चीज उसमें नहीं मिल सकती। क्या आप चाहते हैं कि यह बात इस संसद से बाहर जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मैं वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना चाहता हूं कि इस मामले में वे क्या उम्मीद रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह रिपोर्ट पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है। मैं यह नहीं जानता कि वे इसे वापिस लेंगे या नहीं। लेकिन यह कम-से-कम हमारे लिए पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा को क्या करना चाहिए ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप सभा को स्थगित कीजिए और एक मंत्रिमंडलीय बैठक की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आप कृपया मुझे यह बतायें कि आप इस पर किस रूप में चर्चा करना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार में सबसे पहले, सभी सदस्य इस रिपोर्ट पर ही विस्तार से बोलना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : समस्या रिपोर्ट को पेश करने में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पेश करने में क्या समस्या है।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से अवसर आये हैं और मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि यह केवल प्रक्रिया संबंधी ही मामला नहीं है। जिस सही ढंग से और समय से आपने यह अति कठिन कर्तव्य निभाया है, मैं उसका अत्याधिक सम्मान करता हूं और उसकी प्रशंसा करता हूं लेकिन महोदय, एक सांसद के नाते साथ-ही-साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि हमारे सामने ऐसे भी अवसर आये हैं जब यह केवल प्रक्रिया संबंधी ही मामला नहीं रहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सभा से क्या करवाना चाहते हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : इस सभा की सामूहिक इच्छा और दाहिने ओर के मेरे वरिष्ठ मित्र मुझे मौका देना चाहते हैं **–(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप सभा को स्थगित कीजिए और फिर संसद मंत्रिमंडलीय बैठक की अनुमति दीजिए।

श्री जसवंत सिंह : मैंने इस सभा की 'सर्वसम्मत' आवाज के लिए जो उक्ति प्रयुक्त की है उसके बारे में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कुछ आपत्तियां उठायी हैं। वास्तव में 'इस सभा की सर्वसम्मति' शब्दों के मेरे द्वारा प्रयुक्त करने पर प्रधान मंत्री महोदय के लिए मुस्कराना अंततः मुश्किल हो गया है। महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री ने इस अति गंभीर मामले पर एक घंटे की चर्चा करने के पश्चात् कम-से-कम कुछ प्रतिक्रिया तो व्यक्त की। **(व्यवधान)** मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा तथा मैं माननीय प्रधान मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं... मुझे खेद है कि मैंने अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त जी के भाषण में व्यवधान पहुंचाया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य हैं। आपको बोलने का पूरा-पूरा अधिकार है। मैं यह जानने का बहुत इच्छुक हूं कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य इस मुद्दे पर क्या महसूस करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पुनः यह एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों के बोलने के सम्बन्ध में क्या किया जाये। मैं इस संबंध में विश्वस्त नहीं हूं।

12.00 मध्यान्ह

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में समझौता

*41. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग संबंधी कोई समझौता किया गया है जिसके अन्तर्गत भारतीय दूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से अमरीका का आंकड़े प्राप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत सरकार अथवा अमरीकी सरकार ने क्या शर्तें रखी हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एल.ए.), जोकि भारत सरकार, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत सोसाइटी है, तथा संयुक्त राज्य अमरीका की एक वाणिज्यिक कम्पनी भू-पर्यवेक्षण उपग्रह कम्पनी (इयोसैट) ने भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) से संयुक्त राज्य अमरीका में आंकड़ों के अभिग्रहण और वितरण/विक्रय के लिए समझौते किए हैं।

(ख) अक्तूबर, 21, 1993 को निम्न चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे :

(1) आई.आर.एस.-1 बी. आंकड़ा अभिग्रहण संबंधी समझौता।

(2) आई.आर.एस.-1 सी. आंकड़ा अभिग्रहण संबंधी समझौता।

(3) पारस्परिक प्रतिनिधित्व संबंधी समझौता।

(4) एन.आर.एस.ए. द्वारा लैण्डसैट-6 आंकड़ों का अभिग्रहण।

(चूंकि लैण्डसैट-6 उपग्रह असफल हो गया है, अतः उपर्युक्त समझौता नं० 4 अब लागू नहीं है।)

इन समझौतों के अन्तर्गत इयोसैट कम्पनी नोरमन, यू.एस.ए. के भू-केन्द्र में आई.आर.एस. आंकड़ों को प्राप्त करेगी और इन आंकड़ों को विश्व बाजार में वितरित करेगी। विश्व बाजार में

आई.आर.एस. आंकड़ों के विक्रय का एकमात्र अधिकार, कुछ अपवादों सहित, इयोसैट को प्राप्त होगा। इसके साथ ही इयोसैट आई.आर.एस. आंकड़ों की बिक्री को तथा आई.आर.एस. आंकड़ों के अभिग्रहण के लिए अन्य विदेशी भू-केन्द्रों के संवर्धन को भी प्रोत्साहित करेगी।

इन समझौतों के भाग के रूप में इयोसैट कम्पनी नोरमन भू-केन्द्र में प्राप्त आई.आर.एस. आंकड़ों के लिए वार्षिक प्राप्ति शुल्क अदा करेगी तथा आई.आर.एस. आंकड़ों की बिक्री के लिए रॉयल्टी प्रदान करेगी।

अन्तरिक्ष विभाग के अंतर्गत अन्तरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड (एन्ट्रिक्स) नामक एक वाणिज्यिक कम्पनी इन समझौतों का क्रियान्वयन कर रही है।

(ग) इस संबंध में भारत सरकार और अमरीकी सरकार के बीच कोई विशेष शर्त नहीं रखी गई है। एन.आर.एस.ए. और इयोसैट के बीच हुए ये समझौते आई.आर.एस. आंकड़ों के अभिग्रहण और प्रकीर्णन के विशेष प्रयोजन से संबंधित वाणिज्यिक समझौते हैं।

[अनुवाद]

पेय जल

*42. **श्री लोक नाथ चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव को पेयजल का कम-से-कम एक स्रोत उपलब्ध कराने के कार्य में हुई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक गांव को पेयजल का कम-से-कम एक स्रोत कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन वर्ष, 1986 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना से पूर्व बिना स्वच्छ पेयजल वाले समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाने के लिए वर्ष 1985 में एक सर्वेक्षण किया गया था। 1-4-1985 को बिना जल स्रोत वाले गांवों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण के कालम-4 में दिए गए हैं। राज्य सरकारें स्वच्छ पेयजल सुविधाओं से समस्याग्रस्त गांवों की कवरेज की प्रगति का वर्ष-दर-वर्ष मूल्यांकन कर रही हैं। ऐसे मूल्यांकन के परिणामों की 1-4-1994 की स्थिति को विवरण के कालम-5 में दर्शाया गया है।

(ग) 31.3.1994 को जो 278 बिना जल स्रोत वाले गांव बकाया रह गए हैं उनमें 1994-95 के अंत तक स्वच्छ पेयजल का कम-से-कम एक-एक स्रोत मुहैया करा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार गांवों की संख्या	बिना स्वच्छ पेयजल स्रोत वाले गांवों की संख्या	
			1-4-1985 की स्थिति के अनुसार	1-4-1994 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	27379	15834	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	3257	391	0
3.	असम	21995	9570	5
4.	बिहार	67546	9199	0
5.	गोवा	386	31	0
6.	गुजरात	18114	4911	9
7.	हरियाणा	6745	2314	0
8.	हिमाचल प्रदेश	16807	3539	0
9.	जम्मू व काश्मीर	6477	2959	152
10.	कर्नाटक	27028	5410	0
11.	केरल	1219	88	0
12.	मध्य प्रदेश	71352	14714	0
13.	महाराष्ट्र	39354	5174	22
14.	मणिपुर	2035	862	0
15.	मेघालय	4902	3658	74
16.	मिजोरम	721	595	0
17.	नागालैंड	1112	623	0

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	46553	14443	0
19.	पंजाब	12342	2254	0
20.	राजस्थान	34968	7310	13
21.	सिक्किम	440	121	0
22.	तमिलनाडु	15831	4882	0
23.	त्रिपुरा	4727	2893	3
24.	उत्तर प्रदेश	112566	43906	0
25.	पश्चिम बंगाल	38024	5930	0
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	491	40	0
27.	चंडीगढ़	24	0	0
28.	दादर व नागर हवेली	70	0	0
29.	दमन व द्वीव	26	7	0
30.	दिल्ली	214	0	0
31.	लक्ष्य द्वीप	7	11	0
32.	पांडिचेरी	291	53	0
		583003	161722	278

*छठी योजना के शेष बचे हुए, 1980 की सूची तथा 1985 की सूची द्वारा नए पता लगाए गए गांव सहित।

औषध मूल्य

*43. **श्री सुदर्शन राय चौधरी :**
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के अंतर्गत आने वाले औषधों के मूल्यों पर पर्याप्त नियंत्रण बनाये रखने का है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान निर्धारित सीमा को बढ़ाकर कुछ और औषधों को औषध मूल्य नियंत्रण से मुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) से (ग) औषध नीति, 1986 की समीक्षा, जिसमें मूल्य नियंत्रण के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे मूल्य नियंत्रण का दायरा, अन्तिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में अधिकांश मुद्दों पर सदन में अगस्त, 1993 को पहले ही चर्चा की जा चुकी है। और मामले को अन्तिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रखा जा रहा है।

औद्योगिक विकास

*44. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक विकास के सरकारी लक्ष्य से कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक विकास की गति धीमी होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा आरंभ किये गये सुधारों के अभी तक वांछित परिणाम नहीं निकले हैं; और

(घ) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान देश में औद्योगिक विकास की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन प्रायः मांग संबंधी बाधाओं, कठोर ऋण नीति और 1991 के घोर भुगतान संतुलन के कारण किए गए स्थिरिकरण के उपायों के अल्पकालिक प्रभावों से प्रभावित हुआ है। नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की समग्र विकास दरों में वृद्धि हुई है, जो 1991-92 में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 में 2.3 प्रतिशत और 1993-94 में 3.0 प्रतिशत हो गई है।

(घ) जो उपाय किए गए हैं, उनमें टेरिफ संरचना को युक्तियुक्त तथा सरल बनाना, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कमी करना, पूंजीगत माल पर माडवेट के लाभ लागू करना, वाणिज्यिक अग्रिमों पर न्यूनतम ऋण दरों तथा निगम कर आदि में कमी करना शामिल है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

*45. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री रवि राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को अपने वाणिज्यिक एककों को विदेशी कम्पनियों के सहयोग वाले संयुक्त उद्यमों में परिवर्तित करने की सम्भावना का पता लगाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी/भारतीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम लगाने में रुचि दिखाई है;

(ग) क्या इस प्रकार के प्रस्ताव से कम्पनी के घाटों को रोका जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) एच.एम.टी. की भविष्य में प्रौद्योगिकी पूंजी आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, अलग-अलग व्यवसाय समूहों को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियों में परिवर्तित करने के लिए एच.एम.टी. को सिद्धान्त रूप में अनुमति दे दी है। कम्पनी अनेक सम्भावनाओं का पता लगा रही है। इस समय ब्यौरे बताना एच.एम.टी. के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

*46. **श्री सुव्रत मुखर्जी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि आवंटन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं/अपनाये गये हैं;

(ख) क्या ये मानदंड सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आंबटन, शहरी जनसंख्या और गरीबी के आधार पर किया जाता है। धन की कमी न रहे इसलिए निधि का न्यूनतम स्तर का निर्धारण भी किया जाता है। तथापि, निधियों की रिलीज के समय, उपयोगिता प्रमाण पत्रों/प्रगति रिपोर्टों/बताये गये व्यय से स्पष्ट होने वाले कार्य-निष्पादन को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1992-93 से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किये गये आबंटन और दी गई निधियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत 1992-93 से अनन्तिम आंबटन और केन्द्रीय निधियों का रिलीज दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
		अनन्तिम आबंटन	वास्तविक रिलीज	अनन्तिम आबंटन	वास्तविक रिलीज	अनन्तिम आबंटन	वास्तविक रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	504.60	527.40	557.55	679.53	508.90	–
2.	बिहार	533.10	457.35	565.85	359.30	524.20	–
3.	गुजरात	240.00	198.45	269.45	212.52	246.40	–
4.	हरियाणा	104.90	111.90	105.90	123.29	106.30	–
5.	कर्नाटक	511.50	510.20	539.90	440.17	488.90	
6.	केरल	206.30	225.90	225.30	234.82	206.50	
7.	मध्य प्रदेश	529.60	550.40	568.05	684.48	509.34	
8.	महाराष्ट्र	652.50	700.50	669.60	669.60	608.60	
9.	उड़ीसा	185.40	191.60	188.55	219.80	168.50	–
10.	पंजाब	178.60	192.90	184.45	216.47	165.60	
11.	राजस्थान	355.60	309.40	366.65	379.60	327.60	–
12.	तमिलनाडु	588.10	587.00	638.15	765.58	586.70	–
13.	उत्तर प्रदेश	1374.50	1426.20	1440.05	1711.54	1308.30	
14.	पश्चिम बंगाल	462.40	481.20	500.40	259.00	459.80	–
15.	गोआ	23.10	19.70	21.95	17.85	20.20	–
16.	अरुणाचल प्रदेश	32.60	16.60	33.25	19.75	60.55	–
17.	असम	128.50	156.20	129.25	89.49	164.75	–
18.	हिमाचल प्रदेश	63.30	64.30	64.50	56.19	74.95	–

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	जम्मू व कश्मीर	86.50	86.50	86.15	87.48	80.05	
20.	मणिपुर	40.90	40.90	41.60	43.33	57.50	--
21.	मेघालय	36.90	37.45	36.95	24.10	35.50	--
22.	मिजोरम	24.30	24.37	24.15	21.74	25.60	--
23.	नागालैंड	39.80	19.20	40.10	15.70	50.38	--
24.	सिक्किम	28.90	34.20	29.40	29.68	27.60	
25.	त्रिपुरा	24.10	25.20	24.15	25.60	25.50	--
26.	अंडमान निकोबार आईलेंड	13.10	9.20	13.25	13.53	19.15	--
27.	चंडीगढ़	18.70	12.20	20.90	13.86	17.70	--
28.	दादर व नागर हवेली	12.30	8.40	12.45	11.05	11.80	
29.	दमन व द्वीव	21.80	15.10	23.90	18.25	20.50	--
30.	पांडिचेरी	17.90	17.90	15.60	11.70	30.70	--
31.	दिल्ली	40.00	22.00	40.00	22.00	40.00	--
32.	केन्द्र सरकार वेतन आदि	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	--
	योग :	7100.00	7099.75	7497.00	7497.00	7000.00	--

कैगा परमाणु विद्युत परियोजना

*47. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैगा परमाणु विद्युत परियोजना के एकक-1 के गुम्बद का भीतरी भाग ढह जाने के कारण कर्नाटक और राजस्थान में नाभिकीय रियेक्टरों का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे अनुमानतः कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस मामले की जांच करने हेतु कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो यदि कोई जांच रिपोर्ट है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) ने कर्नाटक में कैगा नामक स्थान पर 2×220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले परमाणु बिजली घर और राजस्थान में रावत भाटा नामक स्थान पर 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले (यूनिट 3 एवं 4) दो अतिरिक्त यूनिटों का निर्माण करने का काम हाथ में लिया है। ये परियोजनाएं 1996-97 में पूरी कर ली जाएंगी। कैगा में यूनिट-I के रिएक्टर भवन के आंतरिक संरोधक गुम्बद की कार्स्टिग का काम 23 जनवरी, 1994 को पूरा किया गया था, केबिलों को पूर्व-प्रतिबलित करने से संबंधित कार्य 11 अप्रैल, 1994 को शुरू किया गया था और इस घटना के घटने तक 201 केबिलों में से 66 केबिलों को प्रतिबलित कर लिया गया था। इन पूर्व प्रतिबलित कार्यों के दौरान कंकरीट पर एक विशिष्ट अतिरिक्त भार बाहरी ओर से डाला गया था ताकि यह अतिरिक्त अंदरुनी दाब को सह सके। 13 मई, 1994 को दोपहर के आसपास आंतरिक संरोधक गुम्बद की अंदरुनी सतह से कंकरीट का एक भाग अलग होकर नीचे गिर पड़ा।

इस घटना के बाद कैगा में यूनिट-I की आंतरिक संरोधक संरचना से संबंधित सिविल निर्माण कार्य रोक दिया गया। चूंकि ऐसी ही संरोधक संरचना कैगा में यूनिट-II और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में दो यूनिटों में भी निर्माणाधीन हैं, अतः इन परियोजनाओं में भी इस क्षेत्र से संबंधित कार्य कैगा में हुई घटना की जांच पूरी होने तक अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है और कारणों का पता लगने के बाद उचित संशोधनों के साथ, यदि कोई आवश्यक हुआ, तो कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अन्य संयंत्र भवनों का कार्य और उपस्कर तथा पाइपें स्थापित करने जैसे कार्यकलाप किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि 13 मई, 1994 को कैगा में हुई घटना रिएक्टर भवन के केवल सिविल निर्माण कार्य से ही संबंधित थी। इसमें कोई विकिरण-सक्रिय पदार्थ शामिल नहीं था। पूरी निरापदता और अंतर्निहित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रिएक्टर को क्रांतिक करने से पहले संरोधक संरचना की पूरी तरह से जांच कर ली जाएगी और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अनुमोदन ले लिया जाएगा।

(ख) से (ङ) ऊपर जो कुछ बताया गया है उसको छोड़कर किसी अन्य संरचना अथवा गुम्बद के नीचे स्थापित उपस्कर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो नुकसान बताया गया है, वह 2.5 करोड़ रुपये की रेंज में है। तथापि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि गुम्बद का पुनः निर्माण किस हद तक करना जरूरी होगा जिसके बारे में न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा गठित समितियों जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, द्वारा उनके निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद ही पता चलेगा।

इस घटना के तुरन्त बाद ही न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि परमाणु विद्युत संयंत्रों के निर्माण और परिचालन के लिए उत्तरदायी है, ने उन संभावित कारणों जिनकी वजह से यह घटना हुई, की पुनरीक्षा करने, सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के और निर्माण कार्यों की पद्धतियों के, प्रणालियों के सम्पूर्ण डिजायन के बारे में समीक्षा करने और उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो कि परमाणु विद्युत संयंत्रों के संबंध में नियामक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, ने भी इसके साथ-साथ ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन इस घटना के कारणों की जांच इस दृष्टि से करने के लिए किया कि निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान स्थल पर किए जाने वाले अपेक्षित नियामक निरीक्षणों में और सुधार लाया जा सके। इन समितियों की रिपोर्टें जल्द ही आने वाली हैं। इन समितियों की सिफारिशों को कैगा यूनिट-I के गुम्बद के पुर्ननिर्माण और अन्य परमाणु विद्युत परियोजनाओं से संबंधित गुम्बदों के निर्माण के समय ध्यान में रखा जाएगा।

बायोगैस संयंत्र

*48. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बहुत से गांवों में बायोगैस संयंत्र लगाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उन्हें क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(घ) सम्बंधित ऊर्जा प्रौद्योगिकीयों में क्या सुधार लाये गये हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए परिवार आकार और सामुदायिक संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य-वार लक्ष्य विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ग) परिवार आकार और सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों के संवर्द्धन के लिए दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहनों के ब्यौरे विवरण-दो में दिए गए हैं।

(घ) हाल के वर्षों में बायोगैस ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियों में लाये गये सुधारों में, अन्यों के साथ साथ ये विकास शामिल हैं। (i) कठिन भूभाग क्षेत्रों के लिए रबड़ वाले नायलोन वस्त्र के सुवाह्य बायोगैस संयंत्र। (ii) घोल के मूल्य वर्द्धित उपयोग के लिए नई पद्धतियों जैसे कि बीज पेलटिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, खुम्भ की खेती और टिशु कल्चर पौधों को कड़ा बनाना; (iii) सामुदायिक प्रसाधन काम्प्लैक्सों में विष्ठा अभिक्रिया के लिए नया डिजाइन; और (iv) मद्यशालाओं के बहिःस्राव, प्रेसमड, खाद्य प्रसंस्करण अपशिष्टों आदि की अभिक्रिया के लिए बड़ी ऊंची दर के बायोगैस डाइजेस्टर।

विवरण-एक

वर्ष 1994-95 के लिए परिवार आकार तथा सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के राज्यवार लक्ष्य

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य (संख्या)	
		परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	20000	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	–
3.	असम	1000	–
4.	बिहार	3000	2
5.	गोवा	200	–
6.	गुजरात	38000	7
7.	हरियाणा	2000	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1800	
9.	जम्मू एवं काश्मीर	50	
10.	कर्नाटक	18000	4
11.	केरल	1500	1
12.	मध्य प्रदेश	15000	10
13.	महाराष्ट्र	20000	27
14.	मणिपुर	150	–
15.	मेघालय	100	–
16.	मिजोरम	100	–
17.	नागालैंड	100	–
18.	उड़ीसा	12000	2
19.	पंजाब	3000	20
20.	राजस्थान	5000	1

1	2	3	4
21.	सिक्किम	150	1
22.	तमिलनाडु	8000	20
23.	त्रिपुरा	50	
24	उत्तर प्रदेश	10000	40
25	पश्चिम बंगाल	6000	5
26.	अंडमान एवं निकोबार	5	-
27.	चंडीगढ़	5	-
28.	दादर एवं नागर हवेली	3	-
29.	दमन व द्वीव	2	
30.	दिल्ली	10	5
31.	पांडिचेरी	15	
32.	अन्य*	34750	50
	कुल	200000	200

*खादी ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आदि।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों और सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों कें लिए दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा

1. परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र :

1. केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता की दरें

संयंत्र की क्षमता (गैस उत्पादन के घनमीटर)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर) सिक्किम, जम्मू व कश्मीर,	अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, रेगिस्तानी जिले, छोटे, और सीमान्तक	अन्य सभी

	हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 8 पहाड़ी जिले (2 पहाड़ी जिलों के तराई क्षेत्रों को छोड़कर) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप	किसान, भूमिहीन श्रमिक आसाम के मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दो पहाड़ी जिलो के तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र

1	2	3	4
1.	2,800	2,000	1,500
2.	3,200	2,400	1,800
3. और 4.	3,500	2,600	2,000

(i)	संवर्धनात्मक प्रोत्साहन	50 रुपये प्रति संयंत्र की दर से
(ii)	टर्न की कार्य शुल्क	500 रुपये प्रति संयंत्र की दर से
(iii)	सेनेटरी प्रसाधन संबंद्ध बायोगैस संयंत्रों के लिए प्रोत्साहन	150 रुपये की दर से अतिरिक्त आर्थिक राज सहायता अथवा टर्न की कार्य शुल्क
(iv)	डीजन बचाने के लिए प्रोत्साहन	6 से 10 घन मीटर के संयंत्र के लिए 2500 रुपये प्रति संयंत्र और रिटरोफिट और बैलून के लिए 25000 रुपये प्रति संयंत्र की दर से
(v)	विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता	
(vi)	सेवा प्रभार अथवा स्टाफ समर्थन	
(vii)	तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता के लिए क्षेत्रीय बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्र प्रचार और जागरुकता बढ़ाने के लिए अभियान सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र।	

1. केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता की दरें।

(राशि रुपयों में)

संयंत्रों की क्षमताएं (प्रतिदिन गैस उत्पादन के घन मीटर)	सामुदायिक बायोगैस संयंत्र	संस्थागत बायोगैस संयंत्र		निजी और लाभ कमा रही संस्थाएं और अन्य	विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र
		गौशाला/पिंजरा पौल, धर्मादा संगठन/संस्थाएं केन्द्र और राज्य सरकारों की संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, अथवा न्यास अथवा ऐसे निकायों से संबंद्ध अन्य संस्थाएं			
8	–	–		–	22000
10	–	–		–	25000
15	44000	35000		22000	40000
20	50000	45000		28000	50000
25	70000	55000		35000	60000
35	100000	80000		52000	500000
45	150000	95000		64000	625000
60	170000	115000		76000	800000
85	200000	140000		94000	–

(ii) मरम्मत के लिए एकमुश्त सहायता : संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों को पुनः चालू करने के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक और सामुदायकि बायोगैस संयंत्रों के लिए अधिकतम 2,5000 रुपये प्रति संयंत्र।

(iii) आकस्मिक सहायता : सामुदायिक और संस्थागत संयंत्रों और 25 घनमीटर क्षमता के विष्ठा आधारित संयंत्रों के लिए केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता का 10 प्रतिशत। 35 से 60 घनमीटर क्षमता के विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों के मामले में केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता 25 प्रतिशत तक आकस्मिकता सहायता प्रदान की जाती है।

नेहरू रोजगार योजना

*49. **श्री अनिल बसु :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या इन लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) नेहरू रोजगार योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।।

(घ) हालांकि शहरी लघु उद्योगों की योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं, परन्तु मजदूरी रोजगार योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ कमी आई है। यह कमी, कुछ राज्यों द्वारा श्रम साध्य योजनाएं न चलाये जाने के कारण है।

आवास तथा आश्रम सुधार योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों में अन्तर इस कारण से है कि कुछ राज्य ऋण अंश की वसूली न होने के भय से स्थानीय शहरी निकायों की ओर से स्वीकृत योजनाओं के बारे में हडको को ब्लाक गारन्टी नहीं देना चाहते। यही कारण है कि कुछ राज्यों ने योजना का कार्यान्वयन शुरू ही नहीं किया है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य हडको द्वारा निर्धारित मंजूरी के बाद की औपचारिकताएं पूरी करने में ढील बरत रहे हैं।

विवरण-एक

नेहरू रोजगार योजना के वर्षवार लक्ष्य

		एस यू एस ई			एस यू डब्ल्यू ई			एस एच ए एस यू					
		लाभार्थियों की संख्या			श्रम दिवस (लाखों में)			श्रम दिवस (लाखों में)			रिहायशी इकाइयों की संख्या		
				तक			तक			तक			
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	24654	8645	14890	13.99	3.93	3.70	221.24	8.16	7.99	25765	15316	15000
2.	बिहार	21968	3358	–	19.39	5.14	4.10	20.73	7.24	7.09	22853	13584	13300
3.	गुजरात	12645	1853	2550	10.50	1.61	1.29	8.87	4.00	3.91	126.07	7500	7300
4.	हरियाणा	3389	1178	1975	13.84	0.98	0.79	7.15	1.12	1.08	3516	2100	2000
5.	कर्नाटक	21021	8456	4500	18.41	5.14	4.09	16.26	6.96	6.81	21973	13067	12800
6.	केरल	9738	3306	4000	6.00	1.94	1.57	11.56	3.11	3.05	9861	5866	10000
7.	मध्य प्रदेश	22006	7023	13500	18.40	4.30	4.00	16.44	7.39	7.25	23347	13884	13600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	महाराष्ट्र	24140	10589	11816	25.41	6.85	5.44	20.05	7.35	7.20	23210	13800	13500
9.	उड़ीसा	6368	2216	3805	8.43	2.02	1.75	5.72	2.08	1.46	6592	3917	3800
10.	पंजाब	6546	2261	3908	7.09	2.05	1.64	7.32	2.14	2.09	6756	4016	3900
11.	राजस्थान	12341	1939	5500	14.60	3.61	3.15	14.53	4.24	4.16	13403	7967	7800
12.	तमिलनाडु	27908	9512	17165	15.81	4.66	4.30	30.03	8.52	8.38	26918	16000	15700
13.	उत्तर प्रदेश	55520	19229	33140	59.01	14.21	12.52	41.30	18.16	17.78	57352	34100	33300
14.	पश्चिम बंगाल	21346	3483	5000	12.77	3.64	–	13.23	6.50	6.36	20518	12200	11900
15.	गोआ	471	–	150	0.78	0.16	1.34	3.09	0.17	0.18	370	333	300
16.	अरुणाचल प्रदेश	705	–	–	0.30	–	–	0.35	0.44	0.44	468	833	800
17.	असम	3319	1589	630	4.53	1.38	0.50	2.70	0.42	1.42	3.35	2667	2700
18.	हिमाचल प्रदेश	1411	611	275	1.14	0.32	0.33	3.70	0.88	0.90	9.31	2662	1700
19.	जम्मू व कश्मीर	2255	779	800	1.41	0.46	0.44	1.19	1.24	1.24	396	2333	2300
20.	मणिपुर	966	333	380	0.93	0.20	0.21	0.46	0.33	0.53	562	1000	1000
21.	मेघालय	705	217	–	0.46	0.28	0.09	0.35	0.44	0.44	468	833	800

22.	मिजोरम	783	167	75	0.52	0.11	0.11	0.23	0.25	0.27	201	500	500
23.	नागालैंड	866	–	–	0.45	–	–	0.46	0.53	0.53	562	1000	1000
24.	सिक्किम	344	344	230	0.46	0.15	0.11	0.29	0.35	0.36	375	666	700
25.	त्रिपुरा	483	238	200	0.76	0.11	0.10	0.25	0.26	0.27	313	500	500
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	322	–	100	0.15	0.05	0.01	0.08	0.15	0.09	117	283	200
27.	चंडीगढ़	869	–	–	0.73	0.06	0.10	0.54	0.35	0.16	606	500	300
28.	दादर व नागर हवेली	322	–	25	0.08	0.04	0.01	0.09	0.15	0.09	117	283	200
29.	दमन व दीव	344	–	–	0.73	0.13	0.01	0.16	0.15	0.18	235	283	300
30.	पांडिचेरी	544	111	–	0.41	0.09	0.06	0.34	0.17	0.18	375	333	300
31.	दिल्ली	1000	800	275	–	–	–	–	–	–	–	–	––
	योग :	286999	92062	125414	257.84	63.74	50.84	246.87	94.46	91.89	284988	177330	177500

विवरण-दो

नेहरू रोजगार योजना वर्षवार कार्य निष्पादन

		एस यू एस ई सहायता प्रदत लाभार्थियों की संख्या			एस यू डब्ल्यू ई सृजित श्रम दिवस (लाखों में)			एस एच ए एस यू सृजित श्रम दिवस (लाखों में)			सुधारी गई और सुधारी जा रही रिहायशी ईंका की संख्या (लाखों में)		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	15725	25523	18175	7.84	5.07	2.38	4.16	17.68	8.97	3198	45719	6133
2.	बिहार	2019	3732	1987	6.77	27.63	6.76	–	0.40	0.28	–	11130	1985
3.	गुजरात	3456	4765	2630	6.95	3.09	1.21	–	–	0.07	–	130	271
4.	हरियाणा	3314	7435	800	1.83	0.96	0.66	–	–	–	825	975	1760
5.	कर्नाटक	12048	14789	3345	11.40	13.70	2.96	–	7.46	3.16	–	8277	–
6.	केरल	8174	4790	5202	7.00	0.17	1.32	3.00	10.01	25.42	500	18079	41475
7.	मध्य प्रदेश	8145	43787	32072	9.70	10.98	11.66	–	–	–	–	–	–

8.	महाराष्ट्र	19635	18839	11917	23.91	5.20	–	–	–	–	–	–	6200
9.	उड़ीसा	6005	4946	1214	6.40	2.58	0.59	–	–	1.43	–	4248	68
10.	पंजाब	5863	3985	3931	2.00	.93	0.88	–	0.86	8.71	–	1513	1939
11.	राजस्थान	4910	4594	11749	8.51	3.43	2.06	–	–	–	–	–	–
12.	तमिलनाडु	16780	19182	24418	22.10	5.45	3.15	11.00	27.47	10.93	2014	780221	9046
13.	उत्तर प्रदेश	25347	59101	24813	28.64	28.09	28.48	–	–	–	3607	25973	3506
14.	पश्चिम बंगाल	7230	15169	4368	45.54	39.28	–	–	–	–	–	23570	2000
15.	गोआ	–	–	440	0.46	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	अरुणाचल. प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	असम	875	1822	1299	2.46	1.49	–	–	–	.05	–	6948	–
18.	हिमाचल प्रदेश	1086	190	–	0.03	2.29	0.16	–	–	–	–	–	–
19.	जम्मू व कश्मीर	–	1695	91	0.32	1.70	0.06	–	0.34	0.29	–	700	743
20.	मणिपुर	395	395	2745	1.34	−1.13	1.69	–	–	0.19	–	231	154
21.	मेघालय	7	119	274	0.01	0.65	–	–	–	–	–	–	–
22.	मिजोरम	–	–	–	–	2.67	0.01	–	–	–	–	–	–
23.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	सिक्किम	334	182	16	–	0.70	0.03	–	–	–	–	–	–
25.	त्रिपुरा	–	330	137	0.00	0.44	0.05	–	–	–	–	–	130
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	177	0.10	–0.03	0.1	–	–	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	178	–	–	0.16	0.04	–	–	–	–	–	–
28.	दादर व नागर हवेली	–	43	53	–	0.08	0.03	–	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	0.89	–0.80	0.07	–	–	–	–	–	–
30.	पांडिचेरी	408	226	160	0.14	0.05	0.71	–	–	–	–	–	–
31.	दिल्ली	–	1038	295	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग :	141738	236855	152308	195.24	76.27	72.17	18.16	64.22	51.50	28277	227764	55996

ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी

*50. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण आवश्यकताओं हेतु अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधी विशेषज्ञता का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है जैसा कि 19 मई, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) आधुनिक अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ ग्रामीण जनता को न दिए जने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ से ही गरीबी उन्मूलन, जल प्रबन्ध और अधिकतम भूमि उपयोग के क्षेत्रों में ग्रामीण विकास पर विशेष बल देते हुए राष्ट्रीय विकास की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में मुख्य रूप में केन्द्रित रहा है। जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से लगातार और प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उनमें संचार, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध और मौसम विज्ञान शामिल हैं। स्वदेशी रूप में विकसित इन्सैट और आई.आर.एस. उपग्रह उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन्सैट उपग्रह जन संचार, शिक्षा, आपदा चेतावनी और मौसम के पूर्वानुमान संबंधी सेवाओं की सहायता के लिए संचार, टेलीफोन और दूरदर्शन प्रसारण के क्षेत्र में प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सुदूर संवेदन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के क्षेत्र में उपग्रह आंकड़ों के उपयोग के लिए अनेक उपयोग के क्षेत्रों को कार्यशील किया गया है। देश में प्रयोक्ता विभाग के सक्रिय सहयोग से बड़ी संख्या में उपयोग परियोजनाएं आयोजित की गई हैं, जोकि ग्रामीण विकास से सीधा संबंध रखती हैं, जैसे भूमिजल की खोज के लिए सुदूर संवेदन, वन रोपण कार्यक्रम, परती भूमि विकास, मत्स्य भंडार का आंकलन तथा सूखे और बाढ़ों का मानीटरन। स्थानिक विशिष्ट विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए देश के मुख्य रूप में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में हाल ही में 157 चुने हुए समस्याग्रस्त जिलों में दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन पर एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई कार्य योजनाओं, को केन्द्रीय/राज्य सरकारों की आवश्यक वित्तीय सहायता से जिला स्तर के प्राधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी से, क्रियान्वित किया जा रहा है। इन्सैट प्रणाली ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने पर पर्याप्त बल देती रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कम शक्ति के तथा अत्यन्त कम शक्ति के ट्रासमीटरों के माध्यम से टेलीविजन सिग्नलों की पहुंच इन्सैट के प्रयोग से संभव हुई है। विविध भाषाओं में प्रादेशिक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं तथा सामान्य रूप में दूरदर्शन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की रुचि के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में टेलीफोन संचार सुविधाओं का विस्तार, इन क्षेत्रों में स्थित 100

से अधिक भू-केन्द्रों द्वारा संभव बनाया गया है। अनेक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से एक सुदूर क्षेत्र व्यवसाय और संदेश नेटवर्क सेवा में है। इन्सैट का मौसम विज्ञानीय खंड मुख्य रूप में ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए है। चक्रवातों के बारे में वास्तविक समय में चेतावनी देने के लिए आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में इन्सैट का उपयोग करने वाली एक अद्वितीय आपदा चेतावनी प्रणाली क्रियान्वित की गई है। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटों को भी आवृत्त करने के लिए इस प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

विकास दर लक्ष्य

*51. **श्री नीतिश कुमार :**
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग विकास दर को संशोधित करके कम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में निर्धारित विकास दर का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन विभिन्न विकास क्षेत्रों के लिए इन दो वर्षों के दौरान कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसकी तुलना में वास्तव में कितना-कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ङ) क्या पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को कम करने के परिणामस्वरूप देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग ने विकास लक्ष्य में संशोधन नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) पंचवर्षीय योजना में वर्ष प्रतिवर्ष के विकास लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। 1992-93 में विकास दर 4.0 प्रतिशत होने का अनुमान था। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम अनुमान 1993-94 के लिए 3.8 प्रतिशत विकास दर्शाते हैं। खनन, विनिर्माण तथा परिवहन क्षेत्रक का इन दो वर्षों के दौरान विकास में योगदान कम रहा।

(घ) क्षेत्रकीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां सलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ङ) लक्ष्यों में कटौती नहीं की गई है।

आठवी पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रकीय विकास लक्ष्य तथा 1992-93 और 1993-94 में उपलब्धि

(प्रतिशत)

	क्षेत्रक	1992-97 (औसत वार्षिक लक्ष्य)	1992-93 (तुरंत अनुमान*	1993-94 (अग्रिम अनुमान**
1.	कृषि	3.1	5.0	2.3
2.	खनन और उत्खनन	8.0	3.8	3.4
3.	विनिर्माण	7.2	2.0	2.5
4.	बिजली, गैस तथा जल	7.8	6.5	8.1
5.	निर्माण	4.7	0.1	3.8
6.	परिवहन	6.1	5.4	4.4*
7.	संचार	6.1	10.3	4.4*
	कुल किफायत	5.6	4.0	3.8

*परिवहन, भंडारण और संचार और व्यापार, होटलों एंव रेस्तराओं से संबंधित हैं।

**केन्द्रीय संख्यिकी संगठन द्वारा किए गए अनुमान।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मूल्य/खरीद अधिमान संबंधी मानदंड

*52. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए मूल्य/खरीद अधिमान संबंधी कोई संशोधित मानदंड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका इन उद्यमों के कार्य निष्पादन पर क्या प्रभाव पढ़ने की संभावना है;

(ग) क्या कोई ऐसे दृष्टांत हैं, जब भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं जारी करते समय मूल्य/खरीद अधिमान संबंधी नए मानदंडों का अनुपालन न किया गया हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार ने मूल्य प्राथमिकता देना बंद कर दिया है। क्रय प्राथमिकता जनवरी, 1995 तक जारी रहेगी।

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उनके इस्पात संयंत्रों के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करते समय सरकार द्वारा मूल्य/क्रय प्राथमिकता के संबंध में जारी किए गए किसी भी मानदंड का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

*53. **श्री राजेश कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने संबंधी योजना पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने संबंधी योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के इक्कीस उपक्रमों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड को संदर्भित किया गया है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्कीमें तैयार करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड प्रचालन एजेंसियों की नियुक्ति करता है। ऐसे मामलों में औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड सभी संबंध तथ्यों, विभिन्न इच्छुक पार्टियों के विचारों आदि पर विचार करने के बाद ही अंतिम दृष्टिकोण अपनाता है। इस बारे में विस्तृत स्थितिगत ब्यौरे सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के बारे में पूछे गए तथा दिनांक 27-7-1994 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले मौखिक प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) से (घ) के संदर्भ में विवरण

क्र.सं.	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित सरकारी उपक्रमों के नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	
2.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी - कारपोरेशन लिमिटेड	
3.	भारत ब्रेकस एंड वाल्व्स लिमिटेड	प्रचालन एजेसियों की रिपोर्ट औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड को प्रस्तुत कर दी गई है।
4.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	
6.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	
7.	भारत आप्थेल्पिक ग्लास लिमिटेड	
8.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड	
9.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	
10.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये एकक जैव्य नहीं है और इसकी यह राय है कि इन एककों को बंद कर दिया जाना चाहिए तथा इस संबंध में सुझाव/आपत्ति यदि हों, दाखिल करने के लिए बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिए हैं। साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के संबंध में कार्यवाहियों पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।
11.	टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	
12.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.	
13.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	
14.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	
15.	हेती इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	प्रचालन एजेंसियों की रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।
16.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा	
17.	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये एकक जैव्य नहीं है और इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आगे की कार्यवाहियां न्यायालय ने स्थगित कर दी हैं।
18.	भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	
19.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए।

1	2	3
20.	रिहेब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि.	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
21.	रेरोल बर्न लिमिटेड	ने अभी इन्हें दर्ज नहीं किया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्त पोषण की पद्धति

*54. **श्री मोहन रावले** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण की पद्धति की पुनरीक्षा करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की केवल उन्हीं परियोजनाओं का वित्तपोषण जारी रखने का निर्णय लिया है, जिन्होंने उन्हें आबंटित धनराशि का 50 प्रतिशत भाग खर्च कर लिया हो तथा उनके चालू होने संबंधी निर्धारित कार्यक्रम का आधा कार्य पूरा कर लिया हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शेष प्रभावित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (च) प्रत्येक 20 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब के विभिन्न कारणों की जांच करने तथा इन विलम्बों को कम करने के अभ्युपाय सुझाने के लिए प्रधान मंत्री ने हाल ही में एक मंत्री दल का गठन किया था। इस दल ने वित्तपोषण पहलुओं सहित विभिन्न प्रश्नों पर अपनी सिफारिशें देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। चूंकि सरकार को इस रिपोर्ट पर अभी अपना अन्तिम निर्णय लेना है अतः इस स्थिति में और ब्यौरा देना संभव नहीं है।

सीधा विदेशी निवेश

*55. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सीधे विदेशी निवेश संबंधी कुछ प्रस्ताव मंजूर किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनमें क्षेत्र-वार विदेशी निवेश की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पिछले तीन महीनों (अप्रैल-जून, 1994) में 228 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं जिनमें 1279.60 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्ग्रस्त है।

उक्त अवधि में अनुमोदित प्रस्तावों के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1-4-1994 से 30-6-1994 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	उद्योग का नाम	रकम (रु. लाख में)
1	2	3
1.	धातुकर्मी उद्योग	
	लौह	834.00
	अलौह	11669.60
	विशेष मिश्र धातु	0.00
	विविध (अन्यं मद)-धातुकर्मी	60.00
	योग :	12563.60
2.	ईंधन	
	बिजली	21700.00
	तेल सोधशाला	10458.00
	योग :	32158.00
3.	बायलर तथा भाप जनिन्त्रण संयंत्र	13.70
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रण के अलावा)	0.00
5.	विद्युत उपकरण	
	विद्युत उपकरण	5156.39
	कंप्यूटर सोफ्टवेयर उद्योग	4096.55

1	2	3
	इलैक्ट्रोनिक्स	716.60
	अन्य (एस/डब्लू)	0.00
	योग :	9969.54
6.	दूरसंचार	100.00
7.	परिवहन उद्योग	
	मोटर गाड़ी उद्योग	597.50
	वायु/समुद्री परिवहन	1302.26
	अन्य (वरिवहन)	10.00
	योग :	1909.76
8.	औद्योगिक मशीनरी	507.57
9.	मशीनी औजार	23.30
10.	कृषि मशीनरी	0.00
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	6.00
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	2400.00
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	410.00
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	631.00
15.	औद्योगिक उपकरण	7.55
16.	वैज्ञानिक उपकरण	0.00
17.	उर्वरक	0.00
18.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	13950.20
19.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	0.00
20.	औषध तथा भेषज	401.94

1	2	3
21.	वस्त्र (रंगीन छपे अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों सहित)	16746.40
22.	कागज तथा लुगदी-कागज उत्पाद सहित	1268.60
23.	फर्मेन्टेशन उद्योग	750.00
24.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	
	खाद्य उत्पादक	3388.78
	समुद्रीय उत्पाद	334.04
	योग :	3722.82
25.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	372.50
26.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिपेरेशन	250.00
27.	रबड़ की वस्तुए	714.50
28.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	556.51
29.	कांच	2204.16
30.	सिरेमिक्स	209.26
31.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	6513.45
32.	परामर्शदायी सेवाएं	64.00
33.	सेवा क्षेत्र	
	वित्तीय	5376.34
	गैर-वित्तीय सेवाएं	10567.81
	योग :	15944.15
34.	होटल तथा पर्यटन	
	होटल तथा रेस्तरां	631.26
	योग :	631.26

1	2		3
35.	ट्रेडिंग कंपनी		704.08
36.	विविध उद्योग		
	कृषि		297.40
	फूलों की खेती		251.00
	अन्य (विविध उद्योग)		1708.20
		योग :	2256.60
	कुल योग :		127960.45

कारों/जीपों के लिए लाइसेंस

*56. **श्री एस.बी. सिदनाल :**
डा. वसन्त पवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कारों/जीपों तथा अन्य यात्री वाहनों का निर्माण करने के लिए स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक विदेशी सहयोगकर्ता का नाम क्या है;

(ग) प्रत्येक अधिकृत निर्माता की लाइसेंस क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय अभी भी विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान कारों/यात्री वाहनों के विर्निर्माण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकृत्ति दी गई है :-

क्र.सं.	पार्टी का नाम	स्वीकृति की तारीख	विदेशी सहयोगी	लाइसेंस सुदा क्षमता
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि. बड़ौदा (गुजरात) में कारों के विनिर्माण के लिए नया संयुक्त उद्यम	26-2-92	जनरल मोटर्स यू.एस.ए.	विद्यमान लाइसेंस क्षमता के अंदर संख्या 80,000 प्रतिवर्ष

1	2	3	4	5
2.	मैं. एडी करंट कन्ट्रोल्स (इंडिया) लि., चाल्लाकुडी, जिला त्रिसूर (केरल) में बिजली की कारों (बैटरी पर आधारित) के विनिर्माण के लिए	25-3-1992	शुन्य	संख्या 6000 प्रतिवर्ष
3.	श्री पंकज दुबे, भिवाडी (राजस्थान) में बैटरी/सौर आधारित कार के विनिर्माण के लिए	19-5-1992	शून्य	संख्या 1000 प्रतिवर्ष
4.	मैं. एक्वा मराइन (प्रा.) लि. सलेम (तमिलनाडु) में पूर्णतः स्वदेशी आर एंड डी कार के विनिर्माण के लिए	25-6-1992	शून्य	सं. 2400 प्रतिवर्ष
5.	मै. प्रीमियम आटोमोबाइल लि. नासिक (महाराष्ट्र) में कारों के विनिर्माण के लिए नया संयुक्त उद्यम	6-7-1993	प्यूग्योट आफ फ्रांस	आवेदन के समय कार का विर्निर्माण लाइसेंस मुक्त था। इसलिए क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं (विनिर्माताओं द्वारा दर्शायी गई क्षमता सं. 60,000 प्रतिवर्ष)
6.	मैसर्स सिपानी आटोमोबाइल लि. बंगलौर में कारों के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम	18-6-1994	मैं. रोवन ग्रुप लि. यू.के.	आवेदन के समय कार का विनिर्माण लाइसेंस मुक्त था। इसलिए क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं। (विनिर्माताओं द्वारा दर्शायी गई क्षमता संख्या 15,000 प्रतिवर्ष)
7.	मै. डी सी एम टोयटा लि. सूरजपुर (उ.प्र.) में कारों के विनिर्माण के लिए सयुक्त उद्यम	28-6-1994	मै. डायबू कार्पोरेशन/ डायबू मोटर कंपनी लि. कोरिया।	आवेदन के समय कार का विनिर्माण लाइसेंस मुक्त था इसलिए क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं। (विनिर्मताओं द्वारा दर्शायी गई क्षमता सं. 50,000 प्रतिवर्ष)

(घ) वर्तमान में, मैसर्स मर्सेडिज बेंज, ए जी, जर्मनी के सहयोग में यात्री कारों के विनिर्माण के लिए एक नया संयुक्त उद्यम एकक स्थापित करने के लिए मैसर्स टेल्को का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योग लगाना

*57. **श्री रंाजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की आवश्कता होती है;

(ख) यदि हां, तो नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद अनिवासी भारतीयों से राज्य सरकारों को अब तक कितने आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गए हैं/कितने अभी तक विचाराधीन हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अनुमति दिये जाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) ये राज्य स्तरीय विनियमों, विभिन्न अनापत्ति प्रक्रियाओं और देश के अलग-अलग क्षेत्रों में परिचालन वातावरण से संबंधित हैं।

(ङ) प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने और एक ही स्थान से सब प्रकार की अनापत्तियां जारी करने के लिए केन्द्र सरकार निरन्तर राज्य सरकारों के साथ मिल कर कार्य कर रही है।

सिविल सेवा परीक्षाएं

*58. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं से अंग्रेजी को अनिवार्य प्रश्नपत्र के रूप में हटाने के संबंध में राज्य सरकारों, विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वी राज्यों की सरकारों के विचार प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिविल सेवा परीक्षाओं में अंग्रेजी के वर्तमान दर्जे की पुनरीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ङ) सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवार को अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्तर देने का विकल्प प्राप्त है। अतः अंग्रेजी में अनिवार्य प्रश्न पत्र के बने रहने अथवा अन्यथा से संबंधित मुद्दे को छोड़कर इस परीक्षा योजना की पुनरीक्षा किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं इस विषय पर डा. सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया, जिसने अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को जारी रखने का समर्थन किया है। तथापि इस विषय पर संसद तथा बाहर चूकि मतान्तर रहा है, सरकार इस संबंध में मतैक्य के लिए प्रयत्नशील है और राज्यों के मुख्य मंत्रियों को उनके विचार जानने के लिए लिख दिया गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संबंध में भारत-अमरीका समझौता

*59. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक उर्जा स्रोतों के क्षेत्र में भारत-अमरीका सहयोग हेतु कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौता को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राजय मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) जी हां। सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में भारत-अमरीकी सहयोग के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया है।

(ख) और (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रलाय और संयुक्त राज्य के उर्जा विभाग के बीच इस आशय के एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस आशय के संयुक्त वक्तव्य में ऊर्जा अनुसंधान, विकास और वाणिज्यीकरण के क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों में सुविधा देने के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था का प्रस्ताव है। आशय के संयुक्त वक्तव्य में ऊर्जा में वैज्ञानिक सहयोग पर एक संयुक्त समिति सथपित करने का प्रस्ताव है जो संयुक्त परियोजनाएं शुरू करेगी।

संयुक्त राज्य के साथ किए गए पूर्व करार सौर प्रकाशवोल्टीय परीक्षण और वाणिज्यिक उर्जा अनुसंधान को तेज करने के क्षेत्रों में थे। सौर प्रकाशवोल्टीय सुविधा पहले ही वर्ष 1993 94 के दौरान प्रचालन में आ चुकी है। उर्जा अनुसंधान को त्वरित करने का कार्यक्रम 31 अगस्त, 1997 तक पूरा हो जाएगा। बायोमास सह-उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के लिए परियोजना पर भी बातचीत चल रही है।

इसके अलावा, उद्योग स्तर पर बहुत से संयुक्त उद्यम स्थापित होने की प्रक्रिया में है।

ग्रामीण विकास समितियां

*60. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण विकास समितियां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार नाम क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (घ) कापार्ट (लोक कार्यक्रम एंव ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद) की कार्यकारी समिति की 17-6-94 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय केन्द्रों और क्षेत्रीय समितियों की स्थापना करके कापार्ट के विकेन्द्रीकरण के लिए एक प्रस्ताव कापार्ट में विचाराधीन है। इसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

प्रौद्योगिकी विदों को रायल्टी

449. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्रौद्योगिकी विदों को वाणिज्यीकरण से रायल्टी की राशि देने के अपने विवादित योजना को पुनः शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा (अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) सीएसआइआर की स्थापना विषयक भारत सरकार के दिनांक 26 सितंबर, 1942 के संकल्प में अनुसंधानों के परिणामों के विकास से प्राप्त रॉयल्टी का हिस्सा उन्हें दिए जाने का प्रावधान है जिनका इस प्रकार के अनुसंधान करने में योगदान हो।

संकल्प के अनुसार सीएसआइआर की प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण से प्राप्त पैसे का एक निर्धारित हिस्सा स्टॉफ को 1977 तक दिया जाता था। इसके बाद स्टॉफ को व्यक्ति गत तौर पर भुगतान किया जाना बंद कर दिया गया। अर्थव्यवस्था के विद्यमान उदारीकरण के कारण सीएसआइआर को अधिक प्रतियोगी बाजार पर्यावरण में कार्य करना है। सीएसआई आर सोसायटी ने बाजार अर्थव्यवस्था में सीएसआइआर कार्य प्रणाली के दबाव और चुनौतियों का अनुभव करते हुए धन का हिस्सा 1 अप्रैल, 1994 से स्टॉफ को पुनः देने का अनुमोदन किया है।

सरकारी आवासों में अनधिकृत कब्जा

450. **श्री ललित डरांव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 तक दिल्ली में भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व संसद सदस्यों और सेवा निवृत्त अधिकारियों के कब्जे में अभी तक जो सरकारी आवास है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन भूतपूर्व मंत्रियों भूतपूर्व संसद सदस्यों और सेवानिवृत्त अधिकारियों पर किराए की अलग-अलग कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इन आवासों को खाली कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में थाईलैंड द्वारा निवेश

451. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैंड ने आंध्र प्रदेश में निवेश करने के लिए गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) क्या भारतीय व्यापारियों और थाईलैंड के उद्यमियों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो द्विपक्षीय सहयोग के लिए किन उद्योगों की पहचान की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं में कुल कितना निवेश शामिल है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि. (ए पी आई डी सी) के नेतृत्व में व्यापारियों और किसानों के एक दल ने हाल में बैंकाक का दौरा किया था और आंध्र प्रदेश राज्य में पूंजी निवेश की संभावना के बारे में थाईलैंड के व्यापारियों के समूहों से चर्चाएं की थीं थाई व्यापारिक समूहों की मत्स्य पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रुचि दिखाई दी थी। उक्त चर्चाएं स्पष्टीकरण स्वरूप की थीं और अब तक भारतीय व्यापारियों तथा थाईलैंड के उद्यमियों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बिहार में समस्याग्रस्त गांव और कुंओं की खुदाई

452. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में समस्याग्रस्त गांव कितने हैं;

(ख) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान राज्य के गांवों में कुओं की खुदाई के लिए विशेष धनराशि आबंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन गांवों में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य के सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा, और

(च) इस प्रयोजनार्थ 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने धनराशि आबंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) शून्य

(ख) ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए राज्यों को निधियों का आबंटन समग्र रूप से किया जाता है और गांवों में कुएं खोदने के लिए अलग से कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में उर्वरक एकक

453. **श्री जंगबीर सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान हरियाणा में जिलेवार कितने उर्वरक एककों को लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इनमें से कितने एककों में उत्पादन शुरू हो गया है, और

(ग) ऐसे कितने एकक चालू वर्ष में उत्पादन शुरू कर देंगे ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) औद्योगिक नीति जुलाई, 1991 के अंतर्गत उर्वरक उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। गत दो वर्षों के दौरान हरियाणा में कोई वृहद उर्वरक एकक स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण सड़कें

454. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित अनेक कच्ची सम्पर्क सड़कें भारी वर्षा के कारण नष्ट हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के संबंध में सरकार के विचाराधीन कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जी नहीं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें प्रायः बारहमासी सड़कें होती हैं जो निर्धारित मानदंडों और विशिष्टता

आयुक्त तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार होती हैं। मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के तहत निर्मित सड़कों पर राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत तारकोल की बजरी बिछाने का कार्य किया जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छावनी अधिनियम में संशोधन

455. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** 11 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7216 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छावनी अधिनियम 1924 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो संशोधन की कार्यवाही के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या रक्षा संबंधी स्थाई समिति की 1993-94 की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा अन्य वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सरकार छावनी अधिनियम, 1924 में कुछ संशोधन किए जाने की जांच कर रही है। रक्षा स्थायी समिति के 1993 94 के द्वितीय प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ छावनी अधिनियम, 1924 के संबंध में की गई सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा। इन संशोधनों को 1995-96 के दौरान निश्चित रूप दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद दर

456. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष की विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो पहले ही श्रीलंका और पाकिस्तान की तुलना में कम था, बंग्लादेश के भी प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद से कम हो गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) "चालू अंतर्राष्ट्रीय डालरों" में क्रय शक्ति समता के दृष्टिकोण से भारत के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1994 के अनुसार वर्ष 1992 में, भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) बंगलादेश के 220 डालर की तुलना में 310 डालर था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार की विकासोन्मुख नीतियों, निवेशों तथा कार्यक्रमों से भारत के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी) में सुधार होगा।

[हिन्दी]

गुजरात को प्रति व्यक्ति सहायता

457. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को दी जा रही प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक केंद्रीय सहायता अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गुजरात को उपलब्ध कराई गई प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक केंद्रीय सहायता अन्य सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र की लंबित योजनाएं

458. **श्री राम कापसे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र से संबंध योजना आयोग के पास लंबित पड़ी विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के लिए वित्तीय आबंटन, इनके वास्तविक लक्ष्य, संसाधन जुटाने और इनसे राज्य को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये योजनाएं कब से लंबित हैं; और

(घ) इन योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) योजना आयोग के पास इस समय महाराष्ट्र राज्य से संबंधित कोई स्कीम स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

बेरोजगारी

459. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 में बेरोजगारों की संख्या कितनी थी और उसके अद्यतन आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1991-92 के अन्त में 17.0 मिलियन बेरोजगारों का अनुमान लगाया गया था। 1992-93 और 1993-94 वर्षों के दौरान श्रम शक्ति और रोजगार संवृद्धि के आंकलनों के आधार पर 1993-94 के अन्त में बरोजगारों के अंतरिम रूप से 18.5 मिलियन हो जाने का अनुमान है।

(ख) रोजगार अवसरों का सृजन सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रकों के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों के निवेश और उत्पादन के माध्यम से किया जाता है। अनुपूरक उपाय के रूप में अनेक विशेष रोजगार सृजन स्कीमें भी शुरू की गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई महत्वपूर्ण विशेष रोजगार स्कीमों पर दिये गये व्यय के विवरण को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार के पास बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कुछ महत्वपूर्ण रोजगार उत्पादन स्कीमों पर किया गया व्यय

(करोड़ो रु.)

	स्कीम	व्यय		
		1991-92	1992-93	1993-94 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)	773.09	693.08	950.07
2.	जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)			
	प्रथम चरण	2659.89	2704.76	3580.82
	द्वितीय चरण	—	—	216.91
3.	रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएऐस)	—	—	179.75

1	2	3	4	5
4.	ग्रामीण रोजगार योजना (एन आर वाई)	102.80	70.80	74.77
5.	शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार की स्कीम (एस ई ईयू वाई)*	50.40	40.00	40.00
6.	प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)	–	–	30.00

– दी गई धन राशि *दी गई सब्सिड़ी की राशि

अस्थायी संवर्गेतर पदों पर विद्यमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

460. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्थायी संवर्गेतर पदों पर विद्यमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अद्यतन राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन पदों को संवर्गीय बनाने अथवा समाप्त करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या ऐसे पदों का जारी रहना भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमों तथा भारत सरकार द्वारा लिए विभिन्न नियमों तथा जारी किए गए अनुदेशों के प्रतिकूल है; और

(ङ) संवर्गेतर/प्रतिनियुक्ति आरक्षित पदों के लिए नयी भर्ती करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत तिमाही संवर्ग विवरणियों से केन्द्र सरकार को यथोपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) तथा (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4(2) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत सृजित अस्थायी पदों के संवर्गीकरण के प्रश्न को भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की त्रैवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा के समय राज्य सरकारों के परामर्श से उठाया जाता है। इसके आगे पद का जारी रहना या न रहना लोक सेवा की आवश्यकता पर निर्भर करता है, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुभव किया जाता है।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के अनुसार राज्य सरकार को अस्थायी पदों को एक वर्ष की अवधि तक तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से दो और वर्षों तक सृजन करने की शक्ति प्राप्त है। यदि उपयुक्त समझा जाता है तो त्रैवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा के दौरान इन पदों के संवर्गीकरण के लिए विचार किया जा सकता है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती, सेवा की कुल प्राधिकृत पद संख्या पर निर्भर करती है जिसके केन्द्रीय तथा राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व घटक हैं।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न संवर्गों में विद्यमान अस्थायी/संवर्ग-बाह्य पदों की संख्या से संबंधित यथा-उपलब्ध सूचना

(1-6-1994 के अनुसार)

क्र. सं.	संवर्ग	अस्थायी/संवर्ग बाह्य पदों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	67
2.	ए.जी.एम.यू.टी.	27
3.	असम-मेघालय	28
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं है।
5.	गुजरात	83
6.	हरियाणा	74
7.	हिमाचल प्रदेश	27
8.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं
9.	कर्नाटक	68 (31-3-1994 के अनुसार)
10.	केरल	54 (31-3-1994 के अनुसार)
11.	मध्य प्रदेश	90
12.	महाराष्ट्र	82 (31-3-1994 के अनुसार)
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	11
14.	नागालैंड	10

1	2		3
15.	उड़ीसा		66
16.	पंजाब	-	36
17.	राजस्थान		71
18.	सिक्किम		13
19.	तमिलनाडू	-	108
20.	उत्तर प्रदेश	-	205
21.	पश्चिम बंगाल	-	80

[हिन्दी]

दूर संवेदी आंकड़े

461. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी के ई.आर.एस.I उपग्रह द्वारा वर्तमान में माइक्रोवेव दूरसंवेदी आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) इन आंकड़ों के लिए यूरोपीयन अन्तरिक्ष एजेंसी को किस दर से भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इन आंकड़ों को भारतीय उपग्रह के माध्यम से प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन की समयावधि और अनुमानित लागत क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) ये आंकड़े भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन-यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी में सहयोग के आधार पर निःशुल्क प्राप्त किये जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) माइक्रोवेव सुदूर संवेदन के लिए भारतीय उपग्रह प्रणालियों के लिए अनेक विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

चणक्य पुरी में फ्लैटों का आबंटन

462. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** 11 मार्च, 1992, 25 अगस्त, 1993 और 16 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2541, 4506 और 3024 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिए गए नोट पर अंतिम रूप से विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों से अधिक समय से लंम्बित पड़े मामले को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) मामले की गृह मंत्रालय द्वारा जांच की गयी है और उन्होंने सूचित किया है कि मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई थी क्योंकि जब श्री रमेश चन्द्र ने नई दिल्ली नगर पालिका के प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था उस समय दुकानों, कार्यालय स्थान अथवा रिहायशी एककों के आबंटन के लिए कोई नियम नहीं थे।

बिना ईंधन की बिजली

463. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार ने बिना ईंधन की बिजली के संबंध में चक्रिक ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र त्रिचुर केरल के प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा संयंत्र

464. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार इजरायल के सहयोग से देश में कोई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संयंत्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) इजराइल के सहयोग से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एक इजराइली कंपनी के सहयोग से राजस्थान में जोधपुर के समीप 30 मेवा. सौर तापीय बिजली परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

[अनुवाद]

कृषि में रोजगार का विकास

465. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार के रूप में कृषि में विकास की दर क्या रही;

(ख) क्या कृषि में प्रति हैक्टेयर रोजगार की दर में कमी आयी है और कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो 1992-93 और 1993-94 के दौरान अनुमानतः ऐसे कितने श्रमिक शहरों में चले गये।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए 1992-93 के तुरंत अनुमानों और 1993-94 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (1980-81 की कीमतों पर) 1992-93 और 1994 में क्रमशः 5.0 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत थी। इन अनुमानों के आधार पर कृषि रोजगार में वृद्धि पर अनंतिम रूप से 1992-93 में 2.5 प्रतिशत और 1993-94 में 1.15 प्रतिशत अनुमानित की गई है।

(ख) राज्यों में 1985-86/1986-87 से 1990-91/1991-92 की अवधि, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, के लिए कुछ प्रमुख फसलों में प्रति हैक्टेयर अपेक्षित मानव श्रम घंटों पर उपलब्ध सूचना से पंजाब को छोड़कर गिरावट के एक समान पैटर्न का पता नहीं चलता। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का पलायन (कृषि मजदूरों सहित) एक सामान्य घटना रही।

(ग) 1992-93 और 1993-94 के दौरान पलायन के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

किसानों की आय

466. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान कृषि जनित आय राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या धनी और निर्धन किसानों के बीच अन्तर बढ़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) देश में किसानों की संख्या से संबंधित सुनिश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। भारत की जनगणना 1991, भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए गये "अंतिम जनसंख्या योग" के अनुसार भारत (जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर) के लिए 1 मार्च, 1991 को कृषकों, कृषि श्रमिकों के रूप में लगे व्यक्तियों (मुख्य कामगारों) और पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन, बागानों, फलों के बागों और संबद्ध कार्यकलापों में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

	कार्यकलाप	व्यक्तियों की संख्या ("000 में)
1.	कृषक	110702
2.	कृषि श्रमिक	74508
3.	पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन, बागान तथा संबद्ध कार्यकलाप	6041
		6041
	जोड़ :	191341

कुल सकल घरेलू उत्पाद में कारक लागत पर स्थित (1980-81) मूल्यों पर पशुधन, वानिकी तथा मत्स्य पालन सहित कृषि से सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान क्रमशः 30.3, 30.0 और 29.8 है।

(ख) और (ग) धनी और गरीब किसानों की आय में अंतर से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1983 से 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा विभिन्न दौरों में उपभोग व्यय सर्वेक्षणों पर एकत्रित आंकड़ों पर आधारित परिणाम दर्शाते हैं। कि ग्रामीण जनसंख्या को सबसे नीचे के 40 प्रतिशत और ऊपर के 20 प्रतिशत के बीच औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में प्रासंगिक अंतर नहीं बढ़ रहा है।

तथापि, सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित मुख्य गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे गरीब लोगों की हालत में सुधार लाना।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में भूकम्प

467. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जून, 1994 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में भूकम्प का झटका महसूस किया गया था,

(ख) यदि हां, तो इस झटके की कितनी तीव्रता रिकार्ड की गई थी,

(ग) भूकम्प के कारण कितनी जान-माल की हानि हुई,

(घ) क्या राज्य में गत वर्ष और इस वर्ष में बार-बार आए भूकम्प को ध्यान में रखते हुए कोई भूगर्भीय अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) 24 जून, 1994 को भारतीय मानक समय के अनुसार 03.33 बजे एक भूकम्प आया जिसका परिमाण रिक्टर स्केल पर 4.2 था।

(ग) लातूर के कलक्टर के अनुसार जिले में इस भूकम्प के कारण जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अन्यत्र से भी नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय भू-भौतकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेन्सी जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा इस क्षेत्र में आए भूकम्प के तुरन्त बाद जांच की जा रही है।

इस जांच में भूतल भू-वैज्ञानिक मानचित्रण, विभिन्न भूभौतिकी तरीकों के द्वारा अधस्तलीय संरचनाओं का अध्ययन तथा सूक्ष्म-भूकंप गतिविधि की मानीटरिंग शामिल है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सकल पूंजी विन्यास

468. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी विन्यास कम होने के क्या कारण हैं;

(ख) कृषि क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी निवेश द्वारा सकल पूंजी विन्यास में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 में कृषि तथा संबद्ध सेक्टर में पूंजी विन्यास 13338 करोड़ रु. था। आठवीं

योजना के दौरान, कृषि तथा संबद्ध सेक्टर के तहत बागवानी, मात्स्यिकी, वर्षा सिंज्वित खेती, लघु सिंचाई के लिए आधारभूत संरचना का सृजन, फसल पश्चात् प्रबंध आदि जैसे महत्व वाले क्षेत्रों के पक्ष में निवेश के महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित हैं। वर्ष 1992-93 में इस सेक्टर में पूंजी विन्यास 15633 करोड़ रु. तक बढ़ा है।

[हिन्दी]

आंवला में उर्वरक संयंत्र

469. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में आंवला स्थित उर्वरक संयंत्र के विस्तार का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन किसानों को दिये गये मुआवजे अथवा रोजगार का ब्यौरा क्या है जिनकी भूमि का "इफको" द्वारा अधिग्रहण किया गया है;

(घ) कितने किसानों को अभी तक ऐसी क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है, और

(ङ) उन्हें कब तक क्षतिपूर्ति दे दी जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार 960.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर इफको के आंवला उर्वरक संयंत्र की वर्तमान क्षमता को दृगुना करना अनुमोदित कर दिया है। बिस्तार परियोजना में 7.26 लाख टन प्रति वर्ष अतिरिक्त यूरिया उत्पादन परिकल्पित है। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) इस विस्तार परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. फ्लैटों का मूल्य

470. **श्री अशोक आनन्द राव देशमुख** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को न्यू पैटर्न योजना 1979 के अन्तर्गत 1979 में निर्धारित किए गए मूल्य के चार गुने से अधिक मूल्य न लेने के लिए निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण आबंटियों से अधिक ली गई धनराशि को लौटाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अशोक कुमार बहल बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 की विवरणिका में उल्लिखित फ्लैट के मूल्य से साढ़े चार गुना अधिक भुगतान करने पर फ्लैटों का कब्जा याचिका कर्त्ताओं को सौंपने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि एक समिति भूमि का मूल्य 62 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखते हुए मूल्यों की जांच करे। यदि निर्माण की लागत अधिक पाई जाती है तो उसे आबंटियों से वसूल किया जाना था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को सौंप दिया है। यह मामाल अब न्यायाधीन है।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विमान इंजनों की खरीद

471. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983-88 की अवधि के दौरान 652 करोड़ रुपये की लागत से विमान इंजनों की खरीद की थी;

(ख) क्या 60 प्रतिशत इंजन निर्धारित अवधि के आधे समय से पूर्व ही बेकार हो गए;

(ग) क्या इस खरीद के परिणामस्वरूप भारी वित्तीय घाटा हुआ और इससे भारतीय वायुसेना की संचालन-तत्परता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कोई जांच समिति गठित कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इन इंजनों के विक्रेता ने पूरा मुआवजा दे दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी दबाव डालकर विक्रेता को दंडित कराने और उस फार्म/उन फर्मों के साथ भविष्य में लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 60 प्रतिशत इंजिनों को रुपान्तरण के लिए निकालना पड़ा था जो कार्य सप्लाईकर्त्ता द्वारा निःशुल्क किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

कछार कागज मिल

472. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में कछार कागज मिल का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का विचार इस मिल के कर्मचारियों का पुनर्वास/मुआवजा किस प्रकार देने का है; और

(घ) इस मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की कछार पेपर मिल्स और नौगांव पेपर मिल्स अपने आरम्भ से ही घाटा उठा रही हैं। पिछले कुछ समय से सरकार उन्हें जैव्य बनाने के लिए उनकी पुर्नसंरचना और उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने आदि जैसे विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है। इस काम के लिए एस.बी.आई. कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड की सहायता मांगी गई है और उन्होंने दिनांक 18-4-1994 को एक विज्ञापन जारी करके इस संबंध में इच्छुक पार्टियों के बारे में जानना चाहा है। इन दोनों मिलों के भविष्य के बारे में कोई भी निर्णय सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद किया जाएगा। जिसमें विधि के अनुसार कर्मचारियों का हित भी शामिल है।

पंचायती राज कार्यक्रम

473. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पंचायती राज संबंधी कार्यक्रमों की जिला/राज्य तथा केन्द्र स्तर पर संवर्ती पुनरीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने कौन-सी व्यवस्था की है; और

(घ) प्रभावी और कारगर कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस व्यवस्था को मजबूत करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों, जहां

संविधान (70वां संशोधन) अधिनिमय, 1992 के प्रावधान लागू हैं, ने संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुरूप पंचायती राज पर अपने कानून में संशोधन कर लिया है अथवा नए कानून बना लिये हैं। पंचायती राज के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार-विमर्श करने और सुझाव देने के लिए पंचायत मंत्रियों की एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अभी तक चार बैठकें हुई हैं और इनमें कानून, प्रशिक्षण शक्तियों की सुपुर्दगी आदि जैसे पहलुओं की समीक्षा की गई है।

(ग) और (घ) पंचायती राज अधिनियमों के प्रावधानों को पूरी तरह से कार्यान्वित करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। वे जिम्मेदारी, शक्तियों प्राधिकार और निधियों की सुपुर्दगी की भी व्यवस्था करेंगे ताकि पंचायती राज संस्थाएं संविधान और पंचायती राज कानूनों में की गई परिकल्पना के अनुसार कार्य कर सके। तथापि, केन्द्रीय सरकार के स्तर पर मंत्रालय विकासत्मक कार्यक्रमों को आवधिक प्रगति रिपोर्टों (प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए) निधियों की दूसरी किश्त के रिलीज के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देते हुए, क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे और समीक्षा तथा विभिन्न अनुमोदन, जांच और स्थायी समितियों की मार्फत समीक्षा की जाती है। सचिवों/आयुक्तों, परियोजना निदेशकों आदि की आवधिक बैठकों के अलावा जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन भी कराया जाता है। अततः संसद की परामर्शदात्री/स्थायी समिति भी कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। राज्य स्तर पर भी प्रगति रिपोर्टों, निधियों की रिलीज हेतु प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं की पूरा करने आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फोल्ड दौरे राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकें ऐसे मंच हैं जहां पर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। जिला स्तर पर विभिन्न जिला स्तरीय एजेंसियों द्वारा मौके पर गहन निरीक्षण, व्यापक समीक्षा करना तथा बैठकें आयोजित करना और उनकी समीक्षा करना प्रगति की समीक्षा करने के तरीके हैं। हाल ही में, इस मंत्रालय के नामित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा फोल्ड दौरों और निरीक्षण पर पुनः बल दिया गया है और यह भी कि कार्यक्रमों की विभिन्न मंचों पर व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। विभिन्न अवसरों पर पंचायत मंत्रियों की राष्ट्रीय समिति भी प्रगति की समीक्षा कर रही है।

इलैक्ट्रानिकी एकक

474. **कुमारी सुशीला तिरिया :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलैक्ट्रानिक सामान का निर्माण करने वाले कई एकक संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग

में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

शहरों का विकास

475. **श्री परसराम भरद्वाज :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री शिव शरण वर्मा :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में छोटे और मझोले शहरों के विकास के लिए धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक विकसित किए गए शहरों के राज्यवार नाम क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र प्रवर्तित छोटे और मझौले कस्बों के सघन विकास की योजना (आई डी एस एम टी) के तहत केंद्रीय सहायता के राज्यवार/कस्बावार रिलीज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.		केन्द्रीय सहायता रिलीज			योग
		1991-92	1992-93	1993-94	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	नालगोण्डा	–	19.215		19.215
2.	थड्डहीपल्लागुडम	–	–	15.000	15.000
3.	तड़पातरी	–	–	7.790	7.790
4.	कामारेड्डी	–	–	15.000	15.000

1	2	3	4	5	6
5.	तनुकू	20.000	–	–	20.000
6.	धर्मावरम	20.000		–	20.000
7.	रामचन्द्रपुरम-I	15.000	–	–	15.000
8.	तन्दुर	15.000	–	–	15.000
9.	सिद्धीपीठ-I	10.000	–	–	10.000
10.	बनापारथी	–	10.000	–	10.000
11.	काकीनाड़ा	–	15.000	–	15.000
12.	जज्ञयापेटा	–	25.000	–	25.000
13.	कुडनुल	–	20.000	–	20.000
14.	कुडाप्पा	–	–	40.000	40.000
15.	निडाडावोल	–	–	20.000	20.000
16.	मदनापल्ली	–	–	30.000	30.000
17.	चिराला	–	–	20.000	20.000
18.	रप्पौल	–		18.000	18.000
19.	पोनूर	–		40.000	40.000
20.	नारायणपेट	–	–	24.000	24.000
21.	जगतियाल		–	36.000	36.000
22.	श्रीकालाहस्ती		–	40.000	40.000
23.	निजामाबाद			60.000	60.000
24.	अनन्तारपुरम		–	48.000	48.000
25.	विकाराबाद		–	24.000	24.000
26.	चिल्लाकुल्लुरीपेट		–	26.000	26.000
27.	अमलापुरम			23.000	23.000
	योग	80.000	89.215	486.790	656.005

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश					
1.	तवांग	20.000	–	15.000	35.000
	योग	20.000	–	15.000	35.000
असम					
1.	दीपु	20.000		–	20.000
2.	करीमगंज	3.000		–	3.000
3.	नागांव	12.000	–	–	12.000
4.	बंगाईगांव	15.000		–	15.000
5.	उत्तरी लखीमपुर	15.000		–	15.000
	योग	65.000		–	65.000
बिहार					
1.	बंकां	15.000			15.000
	योग	15.000	–	–	15.000
गोवा					
1.	मपुसा	20.000		–	20.000
2.	कुरकोरम	–		12.000	12.000
	योग	20.000	–	12.000	32.000
गुजरात					
1.	महुआ	15.000	–	3.000	18.000
2.	बिल्लीमारा			10.000	10.000

1	2	3	4	5	6
3.	विषनगर	–	–	3.000	3.000
4.	सुरेन्द्रनगर	–	–	10.000	37.500
5.	सिद्धपुर	20.000	–	–	20.000
6.	विरामगांव	20.000	–	–	20.000
7.	केसोढ	20.000	–	–	20.000
8.	बघवान	–	–	24.000	24.000
9.	भारूच	–	–	24.000	24.000
10.	नाडियाड़	–	–	57.240	57.240
	योग	75.00	–	131.240	206.240
हिमाचल प्रदेश					
1.	मण्डी	–	25.000	–	25.000
2.	हम्मीरपुर	20.000	-	–	20.000
	योग	20.000	25.000	–	45.000
जम्मू व कश्मीर					
1.	सम्बा	–	–	19.000	19.000
2.	सौपोर	–	–	19.000	19.000
	योग	–	–	38.000	38.000
कर्नाटक					
1.	चिक्काबल्लापुर	10.000	–	–	10.000
2.	सिरसी	15.000	–		15.000
3.	मालावली	10.000	–		10.000

1	2	3	4	5	6
4.	रावाकावी बनहट्टी	10.000	–	–	10.000
5.	दनदेली	20.000	–	–	20.000
6.	चिन्तामणि	20.000	20.000	–	40.000
7.	चिकमगलूर	20.000	–	–	20.000
8.	तिपतुर	–	20.000	–	20.000
9.	गौरीविदानपुर	–	20.000	–	20.000
10.	बदामी	–	18.000	–	18.000
11.	गुरूमत्कल	–	10.000	–	10.000
12.	सोनदाती	–	20.000	–	20.000
13.	बयादगी	–	12.000	–	12.000
14.	करवार	–	20.000	–	20.000
15.	बिदर	–	–	17.000	17.000
16.	हावेरी	–	–	14.000	14.000
17.	विल्लारी	–	–	35.000	35.000
18.	मधुगिरि	–	–	12.000	12.000
19.	के.आर. नगर	–	–	11.000	11.000
20.	इलकाल	–	–	22.000	22.000
21.	निप्पाणि	–	–	30.000	30.000
22.	डोडाबल्लापुर	–	–	25.000	25.000
23.	बेलहोंगल	–	–	25.000	25.000
24.	मुदालगी	–	–	25.000	25.000
25.	मुलबागाल	–	–	22.000	22.000

1	2	3	4	5	6
26.	लिगांसगुर	–	–	22.000	22.000
	योग	105.00	140.000	260.000	505.000
केरल					
1.	शोरे-नूर	6.500			6.500
2.	चवकड़	20.000	–		20.000
3.	पथनामथिट्टा	10.000	–	–	10.000
4.	अलपुझा		25.000		25.000
5.	कोल्लअ	–		40.000	40.000
	योग	36.500	25.000	40.000	101.500
मध्य प्रदेश					
1.	रायगढ़	20.000	–		20.000
2.	दतिया	10.000			10.000
	[illegible]	20.000	–	–	20.000
4.	शिवपुरी	25.000			25.000
5.	सागर		25.000	–	25.000
6.	मन्दसौर	–	15.000	–	15.000
7.	टीकमगढ़	–	20.000	–	20.000
8.	मंडला	–	–	24.000	24.000
9.	मुल्ताई			11.000	11.000
	योग	75.000	60.000	35.000	170.000

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
1.	पन्धारपुर	–	2.000	–	7.000
2.	चिपलून	–	12.000	–	12.000
3.	वर्धा	12.960	–	–	12.960
4.	इंगतपुरी	10.000	–		10.000
5.	बीड़	–	21.155	–	21.155
6.	चौपड़ा	–	25.000	–	40.000
7.	मल्कापुर	–	–	15.000	42.500
8.	सुन्दूरबार	–	–	15.000	42.500
9.	अचलपुर	20.000	–	–	20.000
10.	बुलदाना	25.000	–	–	25.000
11.	चालीसगांव	25.000	–	–	25.000
12.	हिंगोली	25.000	–	–	25.000
13.	नानडेड	20.000	–	–	20.000
14.	सावनेर	10.000	–	–	10.000
15.	जलगांव	–	40.000	–	40.000
16.	सिरपुर	–	35.000	–	35.000
17.	श्रीपुर (वारवाडे)	–	20.000	–	20.000
18.	वाती	–	20.000	–	20.000
19.	मनवाद	–	10.000		10.000
20.	अहमदनगर	–	35.000		35.000
21.	कोपरगांव	–	20.000	–	20.000
22.	लातुर	–	20.000	–	20.000

1	2	3	4	5	6
23.	फलतान	–	16.132	–	16.132
24.	खेगमनेर	–	–	22.000	22.000
25.	शांगली	–	–	40.000	40.000
26.	धुले	–	–	40.000	40.000
27.	मुखेड़	–	–	12.000	12.000
28.	पचौरा	–	–	24.000	24.000
29.	वरौरा	–	–	24.000	24.000
30.	मूसावल	–	–	53.000	53.000
31.	डिगलूर	–	–	24.000	24.000
32.	गांधीगलाज	–	–	23.000	23.000
33.	पारथुर	–	–	24.000	24.000
	योग :	147.960	276.287	316.000	958.557
मणिपुर					
1.	विष्णुपुर	–	19.580	–	30.000
2.	इम्फाल	–	12.500	–	40.000
3.	लामसांग	15.000	–	–	15.000
4.	सकमई	–	25.000	–	25.000
5.	थोऊबात	–	30.000	–	30.000
6.	नामबोल	–	16.000	–	16.000
	योग :	15.000	103.080	–	118.080

1	2	3	4	5	6
मेघालय					
1.	बेगमआरा	15.000	–	–	15.000
	योग :	15.000	–	–	15.000
मिजोरम					
1.	लुंगली	–	–	20.000	20.000
2.	सेरछिप	–	–	11.000	11.000
	योग :	–	–	31.000	31.000
नागालैंड					
1.	थुनेसांग	9.990	–	–	9.990
2.	मोकोकचुंग	15.000	–	–	15.000
3.	मोन	20.000	–	–	20.000
	योग :	44.990	–	–	44.990
उड़ीसा					
1.	गोपालपुर	–	–	20.000	20.000
2.	बाघराक	20.000	–	–	20.000
3.	सुन्दरगढ़	20.000	–	–	20.000
4.	जगतसिंहपुर	20.000	–	–	20.000
5.	जहाजपुर	–	20.000	–	20.000
6.	दावेवपुर	–	25.000	–	25.000
7.	अर्थोहगढ़	–	10.000	–	10.000
8.	जारलुगड़	–	35.000	–	35.000

1	2	3	4	5	6
9.	हडगवाहान्डे	–	–	12.00	12.000
	योग :	60.000	90.000	32.000	182.000
पंजाब					
1.	गुरुदासपुर	8.620	–	–	8.620
2.	रोपड़	20.000	–	–	20.000
3.	फिरोजपुर	20.000	–	–	20.000
4.	राजपुरा	–	–	24.000	24.000
5.	मलेरकोटला	–	–	11.000	11.000
6.	फरीदकोट	–	–	11.000	11.000
	योग :	48.620	–	46.000	94.620
राजस्थान					
1.	भरतपुर	15.000	–	1.250	16.250
2.	पुष्कर	–	–	18.500	46.000
3.	किशनगढ़	15.000	–	3.500	46.000
4.	दौसा	20.000	–	20.000	40.000
5.	धौलपुर	25.000	–	21.000	46.000
6.	सवाईमाधौपुर	25.000	–	–	25.000
7.	निम्बाहेड़ा	–	25.000	–	25.000
8.	राजसमन्द	–	20.000	–	20.000
9.	झुनझुनूं	–	30.000	–	30.000
10.	रतनगढ़	–	20.000	–	20.000

1	2	3	4	5	6
11.	देवली	–	10.000	–	10.000
12.	विजयनगर	–	–	15.000	15.000
13.	चाकसू	–	–	18.000	18.000
14.	देवगढ़	–	–	9.000	9.000
15.	फतेहनगर	–	–	8.000	8.000
	योग :	100.000	105.000	114.250	319.250
सिक्किम					
1.	रंगपुर	–	–	12.000	12.000
	योग :	–	–	12.000	12.000
तमिलनाडु					
1.	मदुरंगताकम	5.025	–	–	5.025
2.	अन्दीपत्ती	7.780	–	–	7.780
3.	पटूकोटाई	2.380	–	–	2.380
4.	अरुप्पुकोटाई	6.000	–	–	6.000
5.	अरनतंगी	–	–	7.060	7.060
6.	रामेश्वरम	–	4.408	–	24.408
7.	अरियालूर	–	1.000	–	25.000
8.	सत्यमंगलम	3.040	–	–	3.040
9.	टूटीकोरिन	2.000	–	–	22.000
10.	पुंजाई–पलियामपट्टी	–	18.500	–	46.000
11.	राशिपुरम	–	18.500	–	46.000
12.	पेरमबल्लूर	20.000	–	–	20.000
13.	कांचीपुरम	20.000	–	–	20.000

1	2	3	4	5	6
14.	कृष्णागिरि	20.000	–	–	20.000
15.	विल्लूपुरम	20.000	–	–	20.000
16.	तिरूतन्नी	20.000	–	–	20.000
17.	बरगूर	–	25.000	–	25.000
18.	ईडापड्डी	–	20.000	–	20.000
19.	बेनकाशी	–	30.000	–	30.000
20.	कुड्डालौर	–	35.000	–	35.000
21.	भवानी	–	20.000	–	20.000
22.	कुमारापल्लयम	–	25.000	–	25.000
23.	कुरूची	–	17.000	–	17.000
24.	तिरूथंगल	–	15.000	–	15.000
25.	अविनाशी	–	–	10.000	10.000
26.	अविरामपट्टीनम	–	–	10.000	10.000
27.	सल्लूर	–	–	10.000	10.000
28.	सत्यचारी	–	–	10.000	10.000
29.	उसीलामपट्टी	–	–	15.000	15.000
30.	मनमदुरैई	–	–	15.000	15.000
31.	कोठागिरि	–	–	6.000	6.000
32.	त्रिरूवेल्लूर	–	–	9.000	9.000
33.	पोनेरी	–	–	8.000	8.000
34.	पल्लडम	–	–	10.000	10.000
	योग :	126.225	229.408	110.060	465.693

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा					
1.	वेलोरिया	20.000	–	–	20.000
2.	खोवाली	–	–	9.000	9.000
	योग :	20.000	–	9.000	29.000
उत्तर प्रदेश					
1.	शामली	–	16.000	–	16.000
2.	मोदीनगर	–	–	15.000	40.000
3.	मवाना	20.000	–	–	20.000
4.	कोसीकलां	20.000	–	–	20.000
5.	सिकन्द्राबाद	15.000	–	–	15.000
6.	बिलासपुर	20.000	–	–	20.000
7.	मउरानीपुर	20.000	–	–	20.000
8.	चुनार	20.000	–	–	20.000
9.	मुज्जफर नगर	20.000	–	–	20.000
10.	पिलखुवा	–	–	40.000	40.000
11.	थानाभवन	–	–	16.000	16.000
12.	कोटांद्वार	–	–	14.000	14.000
13.	कांधला	–	–	12.000	12.000
14.	सिरसागंज	–	–	15.000	15.000
	योग :	135.000	16.000	112.000	263.000

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल					
1.	कोनटाई	–	–	16.660	16.660
2.	हावड़ा	–	1.010	–	1.010
3.	घाटल	20.000	–	–	20.000
4.	इस्लामपुर	20.000	–	–	20.000
5.	सन्तीपुर	20.000	–	–	20.000
6.	मुर्शीदाबाद	20.000	–	–	20.000
7.	खुरसांग	20.000	–	–	20.000
8.	झालदा	–	–	2.000	2.000
9.	माल	–	–	5.000	5.000
10.	टीरिया	–	–	6.000	6.000
11.	चकदा		–	8.000	8.000
12.	रामपुरहाट	–	–	12.000	12.000
13.	डाईमण्ड-हार्वर	–	–	6.000	6.000
14.	नवांद्वीप	–	–	9.000	9.000
15.	तमलुक	–	–	5.000	5.000
16.	सोनामुखी	–	–	5.000	5.000
17.	मठाभंगा	–	–	7.000	7.000
18.	ए नगर–कल्याणगढ़	–	–	11.000	11.000
19.	ओल्डमालदा	–	–	7.000	7.000
	योग :	100.000	1.010	99.660	200.670

1	2	3	4	5	6
पाण्डिचेरी					
1.	पाण्डिचेरी	–	–	20.000	20.000
2.	विल्लैईनूर	20.000	–	–	20.000
3.	अरियानकुप्पम	–	–	30.000	30.000
	योग :	20.00	–	50.000	70.000
	अखिल भारत	1344.295	1160.000	1950.000	4454.295

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली का विकास

476. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले बोली क्षेत्र के विकास के लिए कौन-कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं; और

(ख) इस कार्य के लिए कुल कितने धन का नियतन किया गया है और अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) क्षेत्रीय योजना 2001 के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली शहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर सम सुविधा सम्पन्न शहर के रूप में पहचान की गई है। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा पेश की गई कार्रवाई योजना 1993-94 के अनुसार, निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित की जानी हैं :-

(i) परिवहन नगर।

(ii) रामपुर रोड आवासीय स्कीम।

(iii) केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए स्कीमें और उसके अधिकारियों तथा कर्मिकों के लिए आवासीय स्कीम।

(ख) एन सी आर योजना बोर्ड द्वारा बरेली के विकास हेतु अभी तक कोई राशि आबंटित नहीं की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक अपना बराबर का प्रारम्भिक हिस्सा नहीं दिया है। इसलिए इस बाबत अभी तक कोई कार्य नहीं किए गए हैं।

उच्च न्यायालयों सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए और निपटाए गए मामले

477. **श्री मंजय लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1993-94 के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामले दायर किए गए और कितने निपटाए गए ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डी.डी.ए. कालोनियों में कोयला डिपो

*478. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** 9 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4666 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डी.डी.ए. कालोनियों में, विशेषतः उद्धृत प्रश्न में वर्णित स्थल सं. 3 पर कोयला डिपो के स्थलों के विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सरकारी कालोनियों में सुपर बाजार

479. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपदा निदेशालय ने हाल ही में सरकारी कालोनियों में सुपर बाजार की शाखाएं खोलने के लिए स्थान आबंटित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इस समय सम्पदा निदेशालय के पास सुपर बाजार की शाखाएं खोलने के लिए स्थान आबंटन हेतु कितने आवेदन निर्णयाधीन हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सरकारी कालोनियों में सुपर बाजार की शाखाएं खोलने के लिए स्थान आबंटन हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए उपचारात्मक उपाय करने का प्रश्न ही नहीं है।

(घ) इस समय, सुपर बाजार की शाखाएं खोलने के लिए स्थान आबंटन हेतु उनका कोई प्रस्ताव संपदा निदेशालय में विचाराधीन नहीं है।

चल मतदान केन्द्र

480. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री वृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के मतदाताओं की परेशानियों को देखते हुए इन क्षेत्रों में चल मतदान केंद्रों का प्रबंध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्लोवाकिया के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में समझौता

481. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्लोवाकिया और भारत के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) 6 जुलाई, 1994 को भारत एवं स्लोवाक गणराज्य के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की परिकल्पना की गयी है जिसके अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यान्वयन, संयुक्त वैज्ञानिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन, तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाओं का आदान-प्रदान शामिल होगा।

[अनुवाद]

केरल की पेयजल परियोजनाएं

482. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान केरल सरकार ने कितनी पेयजल परियोजनाएं स्वीकृति हेतु भेजी हैं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) परियोजनावार कितनी केंद्रीय अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराई गई और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केरल सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान अनुमोदन हेतु 18 पेय जल आपूर्ति परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। वर्ष 1994-95 के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) दो योजनाओं, जिनके लिए राज्य सरकार का एल.आई.सी. से सहायता मांगने का प्रस्ताव है, को तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित कर दिया गया है। शेष 16 प्रस्तावों में से 14 प्रस्ताव केवल प्रोफार्मा प्रस्ताव है जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त तकनीकी तथा वित्तीय ब्यौरे अभी भेजे जाने हैं। 20,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों के लिए त्वरित शहरी जन आपूर्ति कार्यक्रम के तहत निधियों के सीमित नियतन के कारण, शेष दो प्रस्तावों में से पानियन्नूर कस्बे के लिए केवल एक प्रस्ताव पर ही विचार किया गया है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान पानियन्नूर कस्बे के लिए 28.21 लाख रुपये की राशि, जो कुल परियोजना लागत के लिए केन्द्रीय सहायता का 25 प्रतिशत है, रिलीज की गई है।

(घ) शेष परियोजनाओं के लिए अनुमोदन कार्यक्रम के तहत और अधिक निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। संपूर्ण 8वीं योजना के लिए 50 करोड़ रुपये है।

गुजरात में उद्योग

483. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में भारी उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई नया प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) ये उद्योग किन-किन स्थानों पर लगाए जाएंगे तथा इन पर कितनी लागत आएगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) तथा (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन जनवरी, 1993 से जून, 1994 के दौरान गुजरात राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए 149 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनके लिए 93 आश्य पत्र जारी किए गए हैं तथा 28 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं। औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) उपर्युक्त आवेदन पत्र, गुजरात के विभिन्न जिलों जैसे वलसाड, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भडौच, पंचमहल, खेड़ा, जामनगर, मेहसाणा, बलसाड, राजकोट, जमुनागढ़, इत्यादि के लिए हैं। उद्यमियों द्वारा फाइल किए गए आवेदन पत्रों के अनुसार इन आवेदन पत्रों में 3081 करोड़ रु. की अचल संपत्ति (अर्थात् भूमि तथा भवन और मशीनरी) शामिल हैं।

कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार सृजन

484. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने शताब्दी के अन्त तक लगभग 100 मिलियन लोगों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने हेतु कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपने कुल बजट का कुछ प्रतिशत भाग अलग से निर्धारित करने की योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

20 सूत्री कार्यक्रम की पुनरीक्षा

485. **श्री शरद दिघे** :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है जिसमें गरीबी हटाने संबंधी कई योजनायें शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) बीस सूत्री कार्यक्रम की पुनसंरचना की आवश्यकता की जांच का कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने फिलहाल शुरू कर दिया है, क्योंकि जो कार्यक्रम 8 साल पहले बनाया गया था वह आज भी वैसे ही कार्यान्वित हैं।

गर्मी के लिए सौर ऊर्जा

486. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुमंजिली इमारतों में गर्मी की व्यवस्था करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 1992 में "कार्यात्मक इमारतों में सौर-सहायता से जल तापन प्रणाली की संस्थापना" पर एक समूह का गठन किया था। इस समूह में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से विशेषज्ञों को शामिल किया गया था।

(ग) इस समूह ने अगस्त, 1992 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(घ) समूह ने रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि अस्पतालों और होटलों के मामले में सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापना को अनिवार्य बना दिया जाए। अतिथिगृहों, कैंटीनों, छात्रावासों, प्रयोगशाला और सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान संस्थाओं, जहां गर्म जल की आवश्यकता, लगातार नहीं होती, के लिए सौर जल तापन प्रणलियों के प्रयोग की भी सिफारिश की गई है रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि केंद्रीय सरकार केन्द्र सरकार की इमारतों और राज्य सरकारें उनके नियंत्रणाधीन इमारतों के लिए आदेश जारी कर सकती हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र की इमारतों के लिए स्थानीय नगर उप-नियमों में संशोधन करने होंगे।

(ङ) सरकार ने समूह की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को केन्द्रीय सरकार क्षेत्र में सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए निदेश दिया है। सरकार ने राज्य सरकारों को उनके नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों को भवन उप-नियमों में संशोधन करने के लिए निदेश जारी करने पर विचार करने के लिए भी लिखा है ताकि वाणिज्यिक क्षेत्र में होटलों और अस्पतालों में सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापना को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था की जा सके।

गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना

487. **श्री काशीराम राणा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु कोई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के रज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) गरीबी मिटाने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। बहरहाल देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे तीन प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये हैं : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जो स्वरोजगार उपलब्ध कराता है और जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (इ.ए.एस.), जो ग्रामीण गरीबों को अनुपूरक दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराती है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जबकि सातवीं योजना में ग्रामीण विकास सेक्टर में कुल व्यय (केन्द्रीय सेक्टर) 10,650 करोड़ रुपये था।

[हिन्दी]

समाज सेवकों को सरकारी आवासों का आबंटन

488. **डा. अमृत लाल कालिदास पटेल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे समाज सेवकों का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान विशेष आधार पर सरकारी आवासों का आबंटन किया गया है; और

(ख) उन्हें किस श्रेणी के अन्तर्गत आवास आबंटित किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) समाज सेवकों की श्रेणी के तहत गत तीन वर्षों में छः समाज सेवकों को सरकारी क्वार्टरों का आबंटन किया गया है, जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्रमांक	नाम	फ्लैट संख्या
1.	श्री डी पी राय	ई-1/760 एशियन गेम्स विलेज काम्प.
2.	श्री देबू भट्टाचार्य	ई-11/92, एशियन गेम्स विलेज काम्पलैक्स
3.	श्रीमती सुमती शर्मा	एफ-11/382, एशियन गेम्स विलेज काम्पलैक्स
4.	श्रीमती मनोरमा सिंह	ए-230, पण्डारा रोड
5.	श्रीमती मनोरता पांडेय	बी-75, पण्डारा रोड
6.	सुश्री ऊषा कुमार	बी-70, पण्डारा रोड

इस आधार पर कोई आबंटन नहीं किया जाता कि कोई सामाजिक कार्यकर्त्ता किसी राज्य विशेष से संबंधित है।

[अनुवाद]

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की क्षेत्रीय समितियां

489. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूडा :**
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने हेतु "कापार्ट" की क्षेत्रीय समितियों का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरियाणा राज्य भी इन समितियों के अन्तर्गत आ जायेगा; और

(घ) हरियाणा में "कापार्ट" से संबद्ध स्वैच्छिक अभिकरणों के क्या नाम हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग) कापार्ट की कार्यकारी समिति की दिनांक 17-6-94 को हुई पिछली बैठक में कापार्ट की क्षेत्रीय समितियों की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। इसके और ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय समितियों द्वारा सभी राज्यों को कवर किया जाएगा।

(घ) 31-3-94 तक कापार्ट ने हरियाणा में 75 स्वैच्छिक संगठनों को उनकी 195 परियोजनाओं के लिए 314.40 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हुडको से धनराशि मुहैया कराया जाना

490. **श्री पवन दीवान** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 1994-95 के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हुडको से धनराशि मुहैया कराए जाने का आग्रह किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं। हडको सहायता हेतु प्रस्ताव/योजनाएं, आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरणों आदि द्वारा हडको को सीधे ही प्रस्तुत की जाती हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान (30-6-94 तक) हडको ने 522 रिहायशी ईकाइयों के निर्माण और 934 लाटों के विकास हेतु मध्य प्रदेश की विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत नौ (9) योजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें 8.62 करोड़ रुपए की वचनबद्धता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की आवास एजेन्सियों द्वारा हडको को 27 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की योजनाएं प्रस्तुत की हैं। हडको द्वारा योजनाओं की मंजूरी देना एवं सतत् प्रक्रिया है और यह निष्पादन करने वाली एजेन्सियों द्वारा विभिन्न निबन्धनों और शर्तों को पूरा करने तथा धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

एझिमाला नौसैनिक अकादमी

491. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेष दल ने हाल ही में केरल में प्रस्तावित एझिमाला नौसैनिक अकादमी स्थल का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस परियोजना के लिए कुल कितना धन आबंटित किया गया और अब तक कितने धन का उपयोग किया गया; और

(घ) प्रस्ताव शुरू होने से लेकर 30 जून, 1994 तक पूरा किए गए कार्य का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1994 के दौरान किसी भी विशेषज्ञ दल ने केरल में एझिमाला में प्रस्तावित नौसेना अकादमी स्थल का दौरा नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस परियोजना पर अब तक राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों ने लगभग 56.88 करोड़ रु. खर्च कर दिए हैं।

(घ) (1) वर्ष 1984 में 979.65 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना।

(2) वर्ष 1988 में चारदीवारी का निर्माण और तारबाड़ का कार्य पूरा किया जाना।

(3) वर्ष 1992 में इस परियोजना के लिए वास्तुविदों की नियुक्ति करना।

(4) अक्तूबर, 1993 में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति लिया जाना।

(5) दिसंबर, 1993 में परियोजना प्रबंधन बोर्ड द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित किया जाना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विकास केन्द्र

492. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विकास केंद्रों की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन विकास केन्द्रों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनमें से प्रत्येक केन्द्र कब से कार्य आरंभ कर देगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) विकास केन्द्र योजना-88 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को आठ केन्द्र आबंटित किए गए हैं। ये विकास केंद्र झांसी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, इटावा, बुलंदशहर, जौनपुर, गोरखपुर तथा पौड़ी गढ़वाल जिलों में प्रत्येक में एक-एक हैं। इटावा तथा पौड़ी गढ़वाल के अलावा इन सभी विकास केन्द्रों को मंजरी दी जा चुकी है तथा 4.5 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता भी जारी की जा चुकी है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान किया जाएगा।

विदेशी निवेश संबंधी प्रस्ताव

493. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान कुछ विदेशी पूंजी निवेश संबंधी परियोजनाओं/प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 1994-95 के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से कितने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये; और

(ग) ऐसे कितने आवेदन पत्र अभी भी लंबित हैं तथा ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के संबेध में कितना पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1994-95 (अर्थात् अप्रैल, 1994 से जून, 1994 तक) के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए 228 परियोजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इस अवधि के दौरान छः आवेदन नामंजूर किए गए हैं।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होना और उन पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर

494. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय देश में कुल कितने भूतपूर्व सैनिक हैं और 1994-95 के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31-5-94 तक जिला सैनिक बोर्डों में 11,65,353 भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण किया जा चुका है।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके लिए कितने आरक्षित पद उपलब्ध हैं और कितने भूतपूर्व सैनिक पुनर्रोजगार के लिए आवेदन करते हैं। इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि 1994-95 के दौरान कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यादेश

495. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार सरकार ने कितने अध्यादेश जारी किए;

(ख) संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से बाद में कितने अध्यादेशों को कानून बना दिया गया; और

(घ) किते अध्यादेश निरस्त कर दिए गये ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :-

वर्ष	प्रख्यापित किए गए अध्यादेशों की संख्या	विधि में अधिनियमित किए गए अध्यादेशों की संख्या	व्ययगत हुए अध्यादेशों की सं.
1989	2	2	-
1990	10	6	1
1991	9	0	1
1992	21	12	9
1993	34	33	1

(ख) विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

मंत्रालय/विभाग का नाम	निम्नलिखित वर्षों में जारी किए गए अध्यादेश				
	1989	1990	1991	1992	1993
1	2	3	4	5	6
वित्त मंत्रालय	1	5	–	5	8

1	2	3	4	5	6
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय	1	–	2	2	2
गृह मंत्रालय	–	4	3	–	4
विदेश मंत्रालय	–	1	–	–	–
कल्याण मंत्रालय	–	–	2	–	1
नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	–	–	1	1	2
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	–	–	1	–	1
स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय	–	–	–	3	2
कृषि मंत्रालय	–	–	–	1	1
पर्यावरण और वन मंत्रालय	–	–	–	2	1
खान मंत्रालय	–	–	–	1	–
वाणिज्य मंत्रालय	–	–	–	1	–
उद्योग मंत्रालय	–	–	–	1	1
शहरी विकास मंत्रालय		–	–	2	–
जल भू–तल परिवहन मंत्रालय	–	–	–	2	4
विद्युत विभाग	–	–	–		2
ग्रामीण विकास मंत्रालय	–	–	–	–	1
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6
संसदीय कार्य मंत्रालय	–	–	–	–	1
पैट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	–		–	–	2
योग :	2	10	9	21	34

एच.एम.टी. लिमिटेड

496. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया;

(ख) किन-किन स्थानों पर एच.एम.टी. की इकाइयां वर्षभर में कार्य कर रही हैं और उसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) क्या एच.एम.टी. 1993 94 वर्ष को छोड़कर अपनी शुरूआत से लाभ कमाती रही है;

(घ) यदि हां, तो 1993 94 वर्ष में हानि होने के क्या कारण हैं;

(ङ) 1992-93 और 1993 94 के दौरान कुल कितनी हानि हुई; और

(च) इन इकाइयों को पुनः लाभ अर्जित करने वाली इकाइयां बनाने के लिए उदार ऋण देने और अन्य प्रोत्साहन देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) कंपनी को 7 फरवरी, 1953 को "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड" के नाम से निगमित किया गया था। 1978 में कंपनी का नाम बदल कर एच.एम.टी. लिमिटेड कर दिया गया था।

(ख) एच.एम.टी. की इकाइयों तथा उनमें यथा 31-3-94 को कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के विवरण संलग्न हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) घाटा मुख्यतः कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, अप्रचलित उत्पाद, उच्च उपरिलागत, मांग में मंदी और अधिक वस्तुसूचियों तथा देनदारों के कारण था।

(ङ) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए कर पूर्व हानि क्रमशः 12.53 करोड़ रुपये और 118.22 करोड़ रुपये थी।

(च) एच.एम.टी. की अनुमोदित 8वीं योजना को आंतरिक संसाधनों तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से वित्त-पोषित किया जाएगा। कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

सरकार ने एच.एम.टी. को अपने एकल व्यवसाय समूहों को संयुक्त उद्यम कंपनियों में परिवर्तित करने की, सिद्धान्त रूप में अनुमति दे दी है।

विवरण

एच. एम. टी. की इकाइयों/प्रभागों के यथा 31-3-1994 को कर्मचारियों की संख्या सहित ब्यौरे

इकाई/प्रभाग	कर्मचारियों की संख्या
1	2
मशीन टूल्स व्यवसाय समूह :	
मशीन टूल प्रभाग, बंगलौर	1988
मशीन टूल प्रभाग, पिंजौर	1850
मशीन टूल प्रभाग, कलमस्सेरी	1639
मशीन टूल प्रभाग, हैदराबाद	1983
मशीन टूल प्रभाग, अजमेर	1110
सूक्ष्म मशीनरी इकाई, बंगलौर	398
सी.एन.सी. प्रभाग, बंगलौर	92
कम्प्यूटर संघटित निर्माणकारी प्रभाग, बंगलौर	18
केंद्रीय रीकन्डीशनिंग प्रभाग, बंगलौर	30
उपभोक्ता उत्पाद व्यवसाय समूह :	
घड़ी फैक्टरी, बंगलौर	2316
घड़ी फैक्टरी, श्रीनगर	693
घड़ी फैक्टरी, तुमकुर	1922
इलैक्ट्रानिकी घड़ी प्रभाग, बंगलौर	72
घड़ी फैक्टरी, रानीबाग	122

1	2
घड़ी केस प्रभाग, बंगलौर	248
घड़ी केस प्रभाग, हैदराबाद	183
घड़ी बैटरी परियोजना, गुवाहटी	38
लैम्प प्रभाग, हैदराबाद	1566
ट्रैक्टर व्यवसाय समूह :	
ट्रैक्टर प्रभाग, पिंजौर	3030
ट्रैक्टर असेम्बली, हैदराबाद	32
औद्योगिक मशीनरी, व्यवसाय समूह :	
डाई कास्टिंग प्रभाग, बंगलौर	199
मुद्रण मशीनरी प्रभाग, कलमस्सेरी	519
प्रेस प्रभाग, हैदराबाद	473
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी इकाई औरंगाबाद	145
इंजीनियरी उपकरण व्यवसाय समूह :	
फाउन्ड्री, बंगलौर	251
फाउन्ड्री पिंजौर	378
फाउन्ड्री कलमस्सेरी	224
फाउन्ड्री हैदराबाद	234
फाउन्ड्री, अजमेर	134
बाल स्क्रू परियोजना, बंगलौर	33
अन्य :	
(निगम मुख्यालय, कम्प्यूटर प्रणाली प्रभाग, बंगलौर, मशीन टूल निदेशालय और विपणन, घड़ी निदेशालय और विपणन आदि)	1896
योग :	24919

[हिन्दी]

हुडको के अन्तर्गत पंजीकृत आवास समितियां

497. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु हुडको के अन्तर्गत पंजीकृत आवास समितियों के नाम क्या हैं;

(ख) कौन-कौन-सी समितियों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है और कितनी-कितनी; और

(ग) शेष समितियों को वित्तीय सहायता कब तक दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) वित्तीय सहायता देने हेतु सहकारी आवास समितियों के पंजीकरण के लिए हडको में कोई पद्धति नहीं है;

(ख) हडको ने अपने प्रारम्भकाल से और 30-6-94 तक महाराष्ट्र में सहकारी आवास समितियों की 54 परियोजनाओं के लिए 15.22 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता अनुमोदित की है। प्रत्येक समिति के लिए स्वीकृत ऋण राशि सहित इन समितियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) हडको ने बताया है कि महाराष्ट्र की किसी भी सहकारी समिति का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के लिए हडको द्वारा स्वीकृत ऋणों के ब्यौरे

क्रमांक	समिति का नाम	स्वीकृत स्कीम की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
1	2	3	4
1.	दक्षता को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी	1	349.62
2.	दयाना कुंज को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी	2	5.59
3.	गुरुपश्यामृत को-ऑप हाऊसिंग सोसयटी	2	22.44
4.	जयेश को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी	1	9.20
5.	कीर्ति पुलिस को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी कुल	1	89.60
6.	लार्सन टूब्रो ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी	1	103.09

1	2	3	4
7.	को-ऑप सोसायटी थ्रू म्यूनिसिपल कारपोरेशन*	2	30.15
8.	महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप हाऊसिंग फाइनेंस	6	157.74
9.	मार्कण्डेय को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी	1	32.20
10.	महाराष्ट्र हाऊसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	34	438.04
11.	परवाना सहकारी शाखा कारखाना	1	28.19
12.	राम सहकारी गृह रचना संगठन	1	248.74
13.	उज्जवल को-ऑप समिति	1	6.99
	योग :	54	1521.59

*सहकारी समितियों के लिए नियमित उधार लेने वाली एजेंसियों हेतु स्वीकृत स्कीमें।

यूरिया की कीमतों में वृद्धि

498. **डा. परशुराम गंगवार :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यूरिया की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूरिया की कीमतों में वृद्धि होने के कारण इसके प्रयोग में कमी आएगी, और

(घ) यदि हां, तो यूरिया के कम प्रयोग का धान और गन्ने के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) फार्म द्वार पर यूरिया का मूल्य 10-6-1994 से 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह राजसहायता के बढ़ते हुए बिल को कम करने तथा विभिन्न वनस्पति पोषकों के इस्तेमाल में असन्तुलन पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया है। साथ ही, नियंत्रण मुक्त फास्फेटिक तथा पोटेसिक उर्वरकों पर विशेष रियायत की योजना गत वर्ष के तरीके पर चालू वर्ष के दौरान जारी रखी गयी है। उपर्युक्त वृद्धि के बावजूद यूरिया के फार्म द्वार मूल्य पर भारी राजसहायता दी जानी जारी है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त वृद्धि के बावजूद, पड़ौसी देशों की तुलना में भारत में यूरिया का फार्म द्वार मूल्य अभी भी न्यूनतम है।

(ग) यूरिया के मूल्य में वृद्धि से उसकी खपत पर कोई कुप्रभाव पढ़ने की संभावना नहीं है।

(घ) उपयुर्क्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्रायोजेनिक इंजन

499. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा अपने प्रथम देशी क्रायोजेनिक इंजन का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) **यदि हां**, तो इसका विकास कब तक कर लिया जाएगा; और

(ग) इसके विकास पर कुल कितना खर्चा आएगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ग) जी, हां। सरकार ने हाल ही में 335.89 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना के विकास के लिए मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना में आवश्यक अवसंरचना की स्थापना और दो उड़ान **उपयुक्त** क्रायोजेनिक चरणों, जिसमें क्रायोजेनिक इंजिन शामिल है, के विकास, अर्हता और **सप्लाई की संकल्पना** की गई है।

(ख) इंजिन सहित प्रथम उड़ान **उपयुक्त** चरण का विकास 1998 के अन्त तक होने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जलपूर्ति तथा पर्यावरण परियोजनाएं

500. **डा. साक्षीजी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार की विश्व बैंक की सहायता के लिए कोई समेकित ग्रामीण जल पूर्ति और पर्यावरण परियोजना भेजी है;

(ख) उस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को शामिल किया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने परियोजना के लिए विश्व बैंक से सिफारिश की है जिसने सैद्धान्तिक तौर पर सहायता देने के लिए सहमति व्यक्त की है

(ग) 251.79 करोड़ रुपए।

(घ) 3200 गांव

पटसन के बोरों में यूरिया

501. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या **रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने इस बात का अध्ययन किया है कि यदि यूरिया को पटसन के बोरों में भरा जाए तो उससे रिसाव और छीजन के कारण कितनी हानि होगी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद ने अपनी "पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों पर प्रौद्योगिकी बाजार पर्यवेक्षण रिपोर्ट (एच डी पी ई बोरियां बनाम जूट बोरियां) जून 1991 में निर्माताओं के इस विचार को प्रतिबिम्बित किया है कि यूरिया को जूट की बोरियों में भरने पर रिसाब और अपव्ययन के कारण हानियां अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। तथापि, इस निष्कर्ष के समर्थन में कोई विश्लेषण परक प्रमाण नहीं दिया गया है। बहरहाल, यूरिया भरने के लिए इस्तेमाल की गई जूट की बोरियों में अंदर की तरफ पोलिथीन का अस्तर होता है।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के पास लम्बित आर्डर

502. **श्री छेदी पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के पास बड़ी संख्या में आर्डर लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किये हैं कि यह एकक आवश्यक कार्यपूंजी की कमी का सामना न करे;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वी भागों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग एककों की पुनरुत्थान योजनाओं को तैयार करने में निगम में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हैवी इंजीनियरिंग

कारपोरेशन लिमिटेड की यथा 1-7-1994 को क्रयादेश स्थिति 455.44 करोड़ रुपये है। क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ो रुपये में)

इस्पात	327.76
खनन	64.76
रेलवे	11.33
रक्षा	9.45
बिजली	1.21
अन्य	10.17
अंतर संयंत्र एवं आंतरिक	30.76
	455.44

(ग) सरकार अपनी बजटीय सीमाओं के भीतर कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। कंपनी को कार्यशील पूंजी सहायता दिए जाने के लिए सरकार ने स्टेट बैंक आफ इंडिया को गारंटी दी है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रिहायशी भू-खंडों का नामांतरण

503. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या शहरी विकास मंत्री कृपया: 10 मार्च, 1993 तथा 4 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2126 के भाग (ख), (ग) और (घ) और 1550 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पारित उस प्रस्ताव के आधार पर अब तक कितने लंबित मामलों का निपटारा हुआ है जिसके अनुसार दिवंगत आबंटित द्वारा छोड़ी गई वसीयत के आधार पर अनर्जित आय की राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना रिहायशी भूखंडों का नामांतरण "रक्त नातेदारों" के अतिरिक्त "पारिवारिक सदस्य" की परिभाषा से बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम किया जा सकता है;

(ख) अभी तक लंबित पड़े शेष मामलों का निपटान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शेष लंबित मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण

ने बताया है कि 23 लंबित मामलों में से 2 मामलों का निर्णय प्राधिकरण द्वारा पारित संकल्प संख्या 163/93 द्वारा लिये गये नीति निर्णय के तहत् किया गया है। 2 मामले अनुमोदन हेतु पट्टा करता/उप राज्यपाल को प्रस्तुत किए गये हैं। 2 मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पारित संकल्प के क्षेत्राधिकार में नहीं आते अतः अनर्जित वृद्धि वसूल की जानी है। शेष मामले इस कारण से लंबित हैं क्योंकि पार्टियां दस्तावेज/औपचारिकताएं पूरी नहीं कर रही हैं।

(ग) संबंधित पार्टियों द्वारा दस्तावेज/औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही मामलों का निर्णय किया जा सकता है।

केरल में परमाणु विद्युत केंद्र

504. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं।

जीवन रक्षक औषधियां

505. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या कुछ जीवन रक्षक औषधियां बाजार में उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो बाजार में उचित मूल्यों पर औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं। यथा संभव उपलब्ध जानकारी के आधार पर, जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य में सामान्यतया कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) कुछ विशेष ब्राडों के सूत्रयोगों की स्थानीय कमी के अलावा, समय समय पर जीवन रक्षक औषधों की आम कमी की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अस्थाई कमी के ऐसे मामलों में भी दवाइयों के चिकित्सीय सम-तुल्य आम तौर पर उपलब्ध होते हैं।

(ग) औषध नीति, 1986 के उद्देश्यों के अनुसार, आवश्यक जीवन रक्षक और रोग निरोधक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पहचानी गई दवाइयों के मूल्यों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के उपबन्धों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

506. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने फ्लैटों का निर्माण व आबंटन किया गया;

(ख) क्या फ्लैटों के आबंटन में महिलाओं, विकलांगो, स्वतंत्रता सेनानियों, विधवाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों को कोई विशेष सुविधा दी गई है; और

(ग) फ्लैटों के लिए कुल कितने आवेदन लम्बित हैं और इन आवेदकों को फ्लैट कब तक आबंटित किये जायेंगे ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास, प्राधिकरण के अनुसार इस अवधि के दौरान बनाए गए तथा आबंटित किए गए फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	बनाए गए फ्लैटों की संख्या	आबंटित किए गए फ्लैटों की संख्या
1991-92	10,915	5,882
1992-93	7,876	10,218
1993-94	8,661	18,702

(आबंटित फ्लैटों के आंकड़ों में वापिस/रद्द किए जाने पर पुनः आबंटित फ्लैटों की संख्या भी शामिल है।)

(ख) फ्लैटों के आबंटन में निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षण दिया जाता है :-

(i) अनुसूचित जाति/जनजाति	25 प्रतिशत
(ii) विकलांग व्यक्ति	1 प्रतिशत
(iii) युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाएं	1 प्रतिशत
(iv) भूत-पूर्व सैनिक	1 प्रतिशत

(ग) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत फ्लैटों के आबंटन के लिए 56,601 पंजीकृत व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी पंजीकृत व्यक्तियों को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भूमि अवस्थापना तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त पर आबंटन मिलने की संभावना है।

[हि]

[अनुवाद]

अधिवार्षिता की आयु

507. **श्रीमती डी.के. भंडारी :**
श्री एस.एम. लालजन वाशा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की अधिवार्षिता की आयु बढ़ाकर 60 साल करने तथा तकनीकी कार्मिकों की 65 साल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता।

(घ) सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी की विद्यमान अधिवर्षता आयु में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

508. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में इस समय चलाई जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना की प्रगति का चरण वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) केंद्र प्रायोजित स्कीमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श के केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं इन स्कीमों की संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा मानीटरिंग की जाती हैं। योजना आयोग की उनके कार्यान्वयन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। बहरहाल यह सामान्यतया राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना विचार-विमर्श के दौरान योजना स्कीमों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करता है।

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

509. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राज्य में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले चुनने के लिए क्या मापदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) इन जिलों को क्या सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ग) इन जिलों के नाम क्या हैं तथा महाराष्ट्र में किन किन जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में घोषित किये जाने का विचार है; और

(घ) पहले से ही औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित जिलों में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केंद्र सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाया था जिसका आधार अन्य बातों के साथ-साथ ये मानदंड थे : खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उत्पाद कृषि कामगारों की तुलना में जनसंख्या का अनुपात, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, सत्तरवें दशक के पूर्वार्द्ध में कुल रोजगार में फैक्ट्री रोजगार का हिस्सा।

(ख) इन पिछड़े जिलों के औद्योगिकरण के लिए 1971 से 30 सितम्बर, 1988 तक एक केंद्रीय निवेश राज-सहायता योजना चलाई जा रही थी।

वित्त अधिनियम, 1993 ने विशिष्ट पिछड़े जिलों में स्थापित नये औद्योगिक उपक्रमों के लिए पांच वर्ष का करावकाश लागू किया है।

(ग) और (घ) इस उद्देश्य के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ग्रुप द्वारा आय करावकाश के पात्र पिछड़े जिलों का पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन

510. **श्री सी.के. कुप्पूस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने तमिलनाडु में विधान सभा और लोक सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि करने के संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार संविधान संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव करती है जिससे कि विभिन्न राज्यों की आबंटित स्थानों की कुल संख्या पर प्रभाव डाले बिना 1991

की जनगणना के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उपबंध किया जा सके। तथापि, अनन्यरूप से तमिलनाडु राज्य के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

गरीबी की रेखा

511. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के निर्धारण के लिए क्या मानदंढ अपनाए गए हैं;

(ख) 1991 तक और 1993 से आगे गरीबी की रेखा से नीचे क्षेत्रवार कुल कितनी जनसंख्या है; और

(ग) इस जनसंख्या के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) "न्यूनतम आवश्यकताएं और प्रभावी खपत मांग" संबंधी एक टास्क फोर्स जिसने अपनी रिपोर्ट 1979 में प्रस्तुत की थी, की सिफारिशों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी आवश्यकता पर स्थित 1973-74 में औसत खपत के अनुरूप है। इस प्रकार गरीबी रेखा को आठवीं पंचवर्षीय योजना के आधार वर्ष में कीमतों में वृद्धि के कारण अद्यतन किया गया है। इस प्रकार वार्षिक घरेलू खपत व्यय के रूप में 1991-92 में गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 11060 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 11850 रुपये थी।

(ख) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित घरेलू खपत व्यय संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या का अनुमान लगता है। गरीबी के नवीनतम अनुमान 1977-78 में किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इस प्रकार वर्ष 1991 और 1993 तथा इससे आगे के लिए राज्य-वार गरीबी के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने गरीबी पर तीन तरफ से हमला किया है, अर्थात् (1) आर्थिक विकास के माध्यम से (2) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार और न्यूनतम आवश्यकताओं के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास, समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना और (3) रोजगार और आय सृजन के माध्यम से गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार और गरीबों के लिए परिसम्पत्ति का निर्माण इन कार्यक्रमों में प्रमुख हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, (1993) और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (1993)।

[हिन्दी]

निजी भवन निर्माताओं को ऋण सुविधाएं

512. **श्री अरविंद त्रिवेदी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी भवन निर्माताओं को भी ऋण सुविधाएं देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार निजी भवन निर्माताओं को आवास निर्माण के लिए किस प्रकार के प्रोत्सहन देने का है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सरकार व्यक्तियों और निजी भवन निर्माताओं को ऋण नहीं देती तथापि सार्वजनिक तथा निगमित क्षेत्र की विभिन्न आवास वित्त संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक तथा हंडको ने भूमि विकास तथा आश्रय परियोजनाओं के लिए अपनी निर्धारित शर्तों के अनुसार निजी भवन निर्माताओं को ऋण देना शुरू कर दिया है इस बारे में हडको/राष्ट्रीय आवास बैंक के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

निजी भवन निर्माताओं को ऋण की निबंधन और शर्तें

हडको

निजी भवन निर्माता, लोकहित की आवास परियोजनाओं के लिए हडको के परियोजना संबंध ऋण सहायता के पात्र हैं बशर्ते कि वे हडको दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न शर्तें पूरी करते हों। हडको भूमि विकास तथा भवन निर्माण की लागत सहित कुल अनुमानित लागत की 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराएगा, परन्तु इसमें निवेश पर आए पूंजीगत ब्याज और निरीक्षण प्रभार आदि शामिल नहीं होंगे। प्रति रिहायशी इकाई कुल ऋण 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। हडको का ऋण मकान बनाने के लिए 18.5 प्रतिशत (सकल) ब्याल दर और भूमि अधिग्रहण हेतु 19.5 प्रतिशत सकल ब्याज दर पर दिया जाता है। पूरा ऋण प्रथम किश्त जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर चुकता करना होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक

(1) भूमि विकास तथा आश्रय परियोजनाओं को केवल उस भूमि के लिए ही वित्त पोषित किया जाएगा जिस पर किसी का दावा अथवा अतिक्रमण न हो और विकास कर्ता के वास्तविक कब्जे में हो। केवल भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) विकासकर्ता, परियोजना म यथा अनुमोदित अधिकतम 20 प्रतिशत उपलब्ध भूमि अथवा कुल 20 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र जो भी कम हो विकसित भूखंड/मकान/फ्लैट चालू बाजार दर पर बेचने को स्वतंत्र होगा।

(3) शेष 80 प्रतिशत विक्रेय भूमि पर बने प्लाट/मकान/फ्लैट अथवा 80 प्रतिशत निर्मित स्थल को मूल्यांकन के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथा अनुमोदित पूर्व निर्धारित कीमतों पर बेचा जाएगा।

(4) विकासकर्ता विकसित प्लाटों अथवा निर्मित मकानों के आबंटन में राष्ट्रीय आवास बैंक की होम लोन एकाउन्ट स्कीम के सदस्यों को वरीयता देगा।

(5) ऋण पूर्णतः सुरक्षित रखने होंगे।

(6) ब्याज दर 10.5 प्रतिशत होगी।

(7) कम-से-कम 75 प्रतिशत प्लाटों का आकार प्रति रिहायशी ईकाई 60 वर्ग मी. से कम अथवा इसके बराबर होगा तथा कोई भी प्लाट सामान्यत : 200 वर्ग मी. से अधिक का नहीं होगा।

(8) 75 प्रतिशत रिहायशी इकाइयों में 40 वर्ग मीटर तक का निर्मित वास होगा। रिहायशी इकाई का अधिकतम आकार 120 वर्ग मीटर तक सीमित रखा गया है।

[अनुवाद]

परती भूमि के विकास हेतु अवार्ड

513. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नेतर भूमि के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में किए गए असाधारण कार्य को मान्यता दिए जाने के लिए कोई राष्ट्रीय अवार्ड गठित करने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस कार्य हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं का चयन करने के लिए क्या दिशा-निर्देश और मानक निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने परती भूमि के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) जी हां, बंजर भूमि विकास विभाग में वनेतर बंजर भूमि के विकास के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य करने वालों को मान्यता प्रदान करने के लिए परती-भूमि मित्र अवार्ड नामक पुरस्कार देने की योजना शुरू की है। पदक तथा प्रशासित पत्र सहित पचास-पचास हजार रुपये के दो पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों/संस्थाओं को दिया जाएगा :-

(1) सरकारी एजेंसियां

(2) निगमित एजेंसियां

(3) स्वैच्छिक एजेंसियां

(4) पंचायती राज संस्थाएं

(5) शैक्षिक संस्थाएं

(6) व्यक्तिगत किसान

(7) निगमों/गैर सरकारी संगठनों/सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

(8) खनन् क्षेत्र और खनन् मिट्टी

(ग) चयन के लिए मानदंड निम्नलिखित क्षेत्रों में वनेतर बंजर भूमि पर कार्य करने के आधार पर निर्धारित किया जाएगा :-

- जन पौधशालाएं स्थापित करना,
- बंजर भूमि पर वृक्ष लगाना,
- जन जागरुकता पैदा करना, प्रेरणा देना

  विस्तार कार्य करना।
- वनीकरण, वृक्षारोपण, बंजर भूमि विकास में ग्रामीण गरीबों/जनजाति/निगमों को शामिल करना,
- वृक्ष उत्पादकों की सहकारिताएं जैसी बुनियादी स्तर की संस्थाओं का गठन करना,
- सामुदायिक लकड़ी और चारागाह भूमि की सामाजिक घेराबंदी,
- विशेष रूप से कठिन क्षेत्रों तथा कठिन कृषि जलवायु वाले आंचलों में कार्य करना,
- वनेतर बंजर भूमि पर मत्स्यपालन, बागवानी, कृषि-वानिकी जैसी भूमि आधारित गतिविधियां,

(घ) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण के द्वारा बंजर भूमि विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र तथा राज्य की विभिन्न योजनाओं के लिए 2446.15 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन

514. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों के बंद होने के कारण कितने उर्वरक उत्पादन का नुकसान हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन की भरपाई करने के लिए कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया और इसके फलस्वरूप कितने रुपये तथा डालर की विदेशी मुद्रा व्यय हुई है; और

(ग) यदि उर्वरकों का आयात करने के बजाए हिन्दुस्तान उर्वरक लिमिटेड और सरकारी क्षेत्र के ऐसे ही अन्य उपक्रमों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन किया गया है तो इस पर अनुमानतः कितना व्यय हुआ ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों (1991-94) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के उत्पादन के संचित लक्ष्यों, वास्तविक उत्पादन और आयात तथा उर्वरकों के आयात के मूल्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(लाख टन)

	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन*	आयात	आयात का मूल्य (सरकार के खाते पर)
नाइट्रोजन	96.90	89.90	32.76	अमेरिकी डालर 179.00 करोड़
फास्फेट	20.80	18.90	23.93	(4543.86 करोड़ रु.)
पोटास	–	–	31.38	

*लक्ष्य की तुलना में आंशिक उत्पादन हानि विभिन्न कारणों की वजह से कुछ संयंत्रों के बड़ी अवधि तक बंद रहने के कारण हुई इसके अतिरिक्त फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. का गोरखपुर संयंत्र गत तीन वर्षों से पूरी अवधि के दौरान बंद रहा। इससे लगभग 2.23 लाख मी.टन नाइट्रोजन की और हानि हुई। पोटाश की सारी आवश्यकता आयात से पूरी की जाती है क्योंकि देश में पोटाश के ज्ञात और दोहन योग्य भंडार नहीं हैं।

(ग) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में मुख्य कमी फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) के चालू एककों के संबंध में, जो कि हानि उठाने वाली कंपनियां हैं और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रुग्ण घोषित की गयी है। इन दोनों कंपनियों के विभिन्न एककों के वर्तमान स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, इन एककों में उनको उन्नत करने के लिए निधियों के पर्याप्त निवेश के बिना अतिरिक्त उत्पादन द्वारा कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। इससे उनकी उत्पादन लागत और बढ़ जाती, जिसका मूल्य सामान्यता आयात किए जाने वाले यूरिया के मूल्य से काफी अधिक होता। इसके अलावा, उनका बढ़ा हुआ उत्पादन गत तीन वर्षों के दौरान आयातों के बराबर न होता।

फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में, हर हालत में आयात अपेक्षित होते क्योंकि स्वदेशी स्थापित क्षमता पर्याप्त नहीं है जो देश की सारी मांग की पूर्ति कर सके। इसके अलावा, देश में औसत उत्पादन लागत की तुलना में आयातित फास्फेटिक उर्वरक सामान्यतः सस्ते हैं।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

515. **श्री सुधीर सावन्त : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंबई स्थित राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एकक को अन्यत्र ले जाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के संबंध में कोई आपत्तियां की है;

(घ) यदि हां, तो क्या मामले की जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) 8 जून, 1994 की रात करीब 8.00 बजे आर सी एफ के ट्राम्बे संयंत्र के निकटवर्ती क्षेत्र से अमोनिया के गंध की शिकायतें मिली। आर सी एफ के प्रबंधतंत्र ने अमोनिया गंध के कारण की जांच पड़ताल की और इसका कारण उस समय मौजूद प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के साथ आर सी एफ के 300 मी. टन प्रतिदिन क्षमता के यूरिया संयंत्र में प्रक्रियागत गड़बड़ी बतलाया। तथापि, किसी को कोई क्षति होने की सूचना नहीं मिली है। महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने आर सी एफ कारखाने का दौरा किया और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आर सी एफ द्वारा उठाये गये कदमों पर संतोष व्यक्त किया।

[हिन्दी]

फ्लैटों/भूखण्डों का आबंटन

516. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिश पर फ्लैटों/भूखण्डों का आवंटन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवंटनों का तिथिवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं नहीं उठता।

दिल्ली में भूमि का मूल्य

517. **श्री सूरजभान सोलंकी :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में दिल्ली में भूमि के मूल्यों में हुई वृद्धि की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भूमि की कीमतें मांग और पूर्ति से प्रभावित होती हैं और उन पर अवस्थिति, बुनियादी सुविधाओं आदि की उपलब्धता के अनुसार बाजार शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। समग्र आर्थिक परिस्थितियां भी भूमि की कीमतों पर अपना प्रभाव डालती हैं।

तथापि, दिल्ली के मामले में सरकार, नामित प्राधिकरणों के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के द्वारा कुछ वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित कीमतों पर भूखण्ड अथवा बने-बनाये फ्लैट उपलब्ध कराती है। यह प्रक्रिया कुछ हद तक समग्र भूमि कीमतों को नियंत्रित करती है।

आयुध कारखानों में धन का दुरुपयोग

518. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर, शाहजहांपुर और देहरादून स्थित तीन आयुध कारखानों में लाखों रुपये के धन की हानि और दुरुपयोग के मामले हाल ही में प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अर्जुन टैंक की स्थिति

519. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "स्लोवाक ऑफर कनफर्मस फीयर्स ऑन प्रोग्रेस ऑफ अर्जुन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार इन टैंकों को वर्तमान स्थिति में सेना में शामिल न किए जाने की स्थिति में स्लोवाक प्रस्ताव पर गौर कर रही है; और

(घ) सरकार अर्जुन युद्धक टैंक के शीघ्र उन्नयन और इसको सेना में शामिल करने के संबंध में स्लोवाकिया द्वारा की गई पेशकश को कब तक स्वीकार कर लेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) टी-72 टैंक के आधुनिकीकरण के लिए स्लोवाकिया से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे टी-72 टैंक का देश में पहले से ही आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है। टी-72 के कुछ हिस्सों के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्लोवाकिया से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सेना ने मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" को शामिल करने का निर्णय लिया है। परीक्षण का अन्तिम चरण पूरा होने ही वाला है। इस समय प्रौद्योगिकी अंतरण की कार्रवाई भी चल रही है।

अमरीका फॉस्फेटिक उर्वरक संयंत्र

520. **श्री संदीपान भगवान थोरात :**
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृभको लिमिटेड एक अमरीकी फास्फेटिक उर्वरक कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृभको का विचार अमरीकी कम्पनी में अधिकांश साझेदारी प्राप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित साझेदारी का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) कृभको, यू.एस.ए. सहित अन्य देशों में फास्फेटिक निर्माण सुविधाएं प्राप्त करने की संभावना की जांच कर रहा है। अब तक केवल प्रारंभिक अध्ययन किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता

521. **श्री ललित उरांव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (जून, 1994 तक) के दौरान बिहार में रांची और पटना नगर निगमों की विभिन्न योजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय

संस्थाओं ने पृथक्–पृथक् कितनी धनराशि मंजूर की है और इस संबंध में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि वास्तव में जारी की गई है; और

(ख) स्वीकृत समस्त धनराशि जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (जून, 1994 तक) के दौरान विषय बैंक अथवा अन्य किसी बहुउद्देशीय/द्विपक्षीय एजेन्सी द्वारा बिहार में रांची तथा पटना नगर निगम के लिए कोई नगर पालिका शहरी विकास क्षेत्र परियोजना/योजना मंजूर नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेपर मिलें

522. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली तथा उसके द्वारा नियंत्रित स्थानवार कितनी पेपर मिलें हैं;

(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एच.पी.सी.) सहित इन मिलों का मिल वार और उत्पादवार कुल मासिक उत्पादन क्या है;

(ग) निजी मिलों की तुलना में इन मिलों के उत्पाद दरों में क्या अंतर है;

(घ) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन सहित ये मिलें किन-किन एजेन्सियों को अपना उत्पाद बेचती हैं और इसकी शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन सुपर बाजार/केन्द्रीय भंडार वितरकों को अपने उत्पाद की आपूर्ति करता है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सुपर बाजार/केन्द्रीय भंडार को हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा अपने उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, अपनी सहायक कम्पनियों सहित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का एकमात्र उपक्रम है जो कागज का उत्पादन कर रहा है।

(ख) इस समय हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की नौगांव पेपर मिल तथा कछार पेपर मिल मुख्य रूप से लिखाई तथा मुद्रण वाले कागज का उत्पादन कर रही हैं और वर्ष 1994-95 की प्रथम तिमाही के दौरान कागज का औसत मासिक उत्पादन निम्नानुसार था :

नौगांव पेपर मिल	6586 मी. टन
कछार पेपर मिल	6202 मी. टन

(ग) बांस, लकड़ी आदि का प्रयोग करके निजी क्षेत्र की स्टेण्डर्ड मिलों द्वारा तैयार कागज के साथ हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के 60 जी.एस.एम. क्रीम वोव कागज का मूल्य समतुल्य है।

(घ) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन अपने उत्पाद डीलरों/थोक व्यापारियों, सरकारी निकायों, और प्रत्यक्षरूप से ग्राहकों को भी बेचती है। कागज सामान्यतया 45 दिन के उधार पर बेचा जाता है। तथापि, नकद खरीद और थोक खरीददारियों के लिए छूट दी जाती है।

(ङ) से (छ) सुपर बाजार/केन्द्रीय भण्डार को अपना उत्पाद सप्लाई करने में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड को मात्रात्मक कठिनाइयों, विविध किस्म की अपेक्षाओं और परिवहन में लगने वाले समय सम्बन्धी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

शोध वैज्ञानिकों में बेरोजगारी

523. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों/सी.एस.आई.आर. और आई.सी.ए.आर. जैसे शोध संगठनों में शोध वैज्ञानिकों और शोधार्थियों के रूप में कार्य करने के बाद अध्येतावृत्ति की समाप्ति पर इन वैज्ञानिकों के बेरोजगार हो जाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 1991, 1992, 1993 के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या शोध/वैज्ञानिक संगठनों में चयन किए गए इन वैज्ञानिकों द्वारा 10-15 वर्षों तक शोध और विकास कार्य करने के उपरान्त भी उन्हें नियमित रोजगार नहीं दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शोध वैज्ञानिकों और शोधार्थियों के बीच बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (ङ) सुपात्र वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय के विभागों और अनुसंधान संस्थानों में शोध कार्य के द्वारा अपनी विशेषज्ञता और कुशलता बढ़ाने में सक्षम करने के लिए फैलोशिप/एसोसिएटशिप दी जाती है। सामान्यतः इस प्रकार की फैलाशिप की अवधि 5-9 वर्ष होती है जिसके दौरान वे उच्चतर डिग्रियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वे देश के अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक पदों को ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। अनुसंधान स्कॉलर्स एवं फैलो अपनी फैलाशिप

अवधि के दौरान फैलोशिप वृत्तिका प्राप्त करते हैं। हाल ही में सरकार ने इन स्कॉलर्स को दी जाने वाली मासिक वृत्तिका में बढ़ोतरी की है। अनुसंधान फैलोशिप/एसोसिएटशिप दिये जाने का तात्पर्य बाद में रोजगार देने की गारंटी नहीं है।

कर्नाटक में उद्योग

524. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में बड़े भारी उद्योगों की स्थापना के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार बयौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) कर्नाटक के विभिन्न जिलों अर्थात् बंगलौर, बेलाड़ी, धारवाड़, हसन, मैसूर, दक्षिणी कनारा, बिदार, चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेलगांव, मांड्या, बिजापुर, उत्तरी कनारा, टुमकुर आदि में उद्योग लगाने के लिए 1991 से 1993 की अवधि में 185 आवेदन प्राप्त किये गये।

(ग) उक्त 185 आवेदनों में से 68 आशय पत्र जारी किये गये हैं तथा 89 आवेदनों को नामंजूर किया गया/औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं थी।

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II

525. **श्री राम नाईक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने जून, 1994 में मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II के कार्यान्वयन के अध्ययन के लिए मुम्बई का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) बम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II (बी.यू.टी.पी.) का अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक मिशन ने 25 अप्रैल 14 मई, 1994 तक भारत का दौरा किया। मिशन ने बम्बई का दौरा किया और एड मैमोरी के रूप में एक रिपोर्ट दी। एड मैमोरी में दिये गये सुझावों में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बी.यू.टी.पी.-II के तहत निर्धारित परियोजनाओं का प्राथमिकीकरण शामिल है ताकि समग्र परियोजना आकार को लगभग रुपये 2500-3000 करोड़ तक सीमित किया जा सके। इस परियोजना में, परियोजना के तहत आने वाली भूमि पर रहने वाले स्लमवासियों का पुर्नवास तथा पुनर्स्थापना नीति, सड़क यातायात प्रबन्ध और परिवहन आयोजना के लिए समुचित संस्थागत रूपरेखा का विकास, बम्बई में मैट्रो रेल संचालनों को मिलाने के लिए वित्तीय विश्लेषणों सहित प्रारम्भिक अध्ययन करना, बम्बई मैट्रो रेल सर्विसेज के लिए सिस्टम प्लानिंग

स्टीमुलेट और बी यू टी पी-II के तहत प्रस्तावित अन्य गैर रेल घटकों को तैयार करना आदि शामिल हैं। विश्व बैंक के सुझावों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार पहले तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट को संशोधित कर रही है। शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट को शीघ्र संशोधित करने के लिए अनुरोध किया है। ताकि परियोजना को विश्व बैंक में प्रस्तुत करने हेतु आगामी कार्यवाही की जा सके।

प्रौद्योगिकी अंतरण कन्सोरटियम

526. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए किसी प्रौद्योगिकी अंतरण कन्सोरटियम की स्थापना की है जिसमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा एशिया-प्रशांत केन्द्र शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा एशिया प्रशांत प्रौद्योगिकी अंतरण केन्द्र ने एक अनौपचारिक कन्सोरटियम की स्थापना करके अपने संसाधनों को जुटाया है ताकि प्रौद्योगिकी के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के प्रयासों में लघु एककों की सहायता की जा सके। देश में प्रमुख लघु उद्योग कलस्टरों में 8 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। जिससे लघु उद्योग एककों को सम्बद्ध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय विकास से वाकिफ कराया जा सके और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और अधिग्रहण में इनकी सहायता की जा सके। ये कार्यशालाएं लघु उद्योग एककों प्रौद्योगिकी जेनरेटरों और आपूर्तिकर्ताओं एवं प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय पैकेज दोनों को अंतिम रूप देने के लिए लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास में संलग्न केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देगी।

अधिक आय वाली नौकरियां प्राप्त करने की प्रवृत्ति

527. **श्री राम विलास पासवान :**
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सिविल सेवाओं के कितने-कितने अधिकारी अधिक आय वाले रोजगार पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में चले गए; और

(ख) इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सिविल सेवाओं के सेवा नियमों में, अधिकारियों द्वारा सेवा से त्याग पत्र देते समय आवश्यक रूप से यह उल्लेख करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में रोजगार ले रहे हैं। इस प्रकार की सूचना केन्द्रीकृत रूप से रखना सम्भव नहीं है।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी निवेशकों के व्यापार विवाद

528. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विदेशी निवेश के प्रवाह में तेजी लाने के लिए विदेशी निवेशकों के व्यापार विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विभिन्न कदम उठाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारत में विदेशी निवेशकों के व्यापार संबंधी विवादों को निपटाने का प्रावधान नहीं है। इन विवादों को संबंधित संविदा में निर्धारित शर्तों के अनुसार सक्षम न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा यथास्थिति निपटाया जाता है।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपाय

529. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हेतु किये गये नीति संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उपायों से औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने में कितनी सहायता मिली है; और

(ग) राज्य सरकारों ने नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन में अब तक क्या भूमिका निभाई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों में किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस मुक्त करना, विदेशी सहयोग के लिए स्वतः अनुमोदन, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, आयात तथा उत्पादन शुल्कों का युक्तिकरण इत्यादि उपाय शामिल हैं।

(ख) इन उपायों के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 1991 में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 में 3 प्रतिशत हो गई है।

(ग) राज्य सरकारों की भूमिका नियंत्रण लगाने के स्थान पर उद्यमियों की आवश्यक सहायता व मार्गदर्शन करना हो गई है। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी औद्योगिक नीतियां केन्द्र सरकार की नई औद्योगिक नीति के अनुरूप घोषित की हैं और परियोजनाओं की स्थापना के लिए उद्यमियों की सहायता के लिए एजेंसियां स्थापित की हैं।

शीरा को नियंत्रण मुक्त करना

530. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शीरा और अल्कोहल को नियंत्रण मुक्त किये जाने से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) (ख) और (ग) कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन 4-11-93 को आयोजित आबकारी मंत्रियों के सम्मेलन में किया गया था। कार्यदल के विचारार्थ विषय थे :

(1) देश की शराब का नियंत्रण रहित बिक्री और वितरण के लिए राज्य की नीतियों को सदभावपूर्ण बनाना।

(2) नियंत्रणमुक्त लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए राज्यों में अधिनियमों और नियमों की समीक्षा करना।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेय अल्कोहल के उत्पादन का सभी राज्यों में विनियम और नियंत्रण एक समान हो अधिनियमों और नियमों को युक्तिसंगत बनाना।

(4) शीरे और अल्कोल के संबंध में बाजार शक्तियों के स्वतंत्र संचालन के लिए बाधाओं को दूर करना।

(5) अंतरिम उपायों का सुझाव देना, यदि कोई हो।

(6) पेय अल्कोहल के उत्पादन के लिए शीरे को अन्यत्र ले जाने के लिए उपाय सुझाना, और

(7) कमी वाले राज्यों को संशोधित स्पिरिट की आपूर्ति संतुलित करने के उपाय सुझाना तथा लाइसेंससुदा वेन्डरों और देश की शराब की सरकारी आपूर्ति और रसायन एवं पेट्रो-रसायन निर्माताओं को देश की शराब की सरकारी आपूर्ति संतुलित करना।

दल की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

स्वच्छता कार्यक्रम

531. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्वच्छता के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान और अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आवंटित निधियां निम्न प्रकार हैं :

(लाख रुपये में)

वर्ष	आबंटन	रिलीज की गई निधियां
1991-92	530.05	0.00 1991-92 के दौरान योजना का अनुमोदन न हो पाने के कारण किसी भी राज्य को कोई निधियां रिलीज नहीं की गई थीं।
1992-93	261.09	267.89
1993-94	391.43	491.43

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि (पारिवारिक शौचालयों का निर्माण)
1	2	3
1991-92	26520	2678

1	2	3
		(गत वर्षों की खर्च न की गई केन्द्रीय सहायता में से)
1992-93	13260	शून्य
		(सरकार द्वारा मार्च, 1993 में योजना अनुमोदित की गई थी और 30-31 मार्च, 1993 को ही निधियां रिलीज की जा सकी थीं)
1993-94	21751	43858
1994-95 (मई, 1994 तक)	114054*	9222*

*केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये संयुक्त रूप से।

आबंटित धन का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग

532. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित धन का उपयोग कुओं की खुदाई सहित अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार धन के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं। तथापि जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना अर्थात् दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत सिंचाई कुएं खोदना अनुमेय कार्यों में से एक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेंशन अधिनियम, 1871 में संशोधन

533. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग की 1972 की रिपोर्ट में पेंशन अधिनियम, 1871 में कतिपय संशोधन सुझाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार सुझाए गए संशोधनों को समाहित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की स्थिति में कब तक सुधार लाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) तथा (ख) जी, हां।

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट (दिसम्बर, 1972) में यह सिफारिश की थी कि पेंशन अधिनियम, 1871 की धारा 4 में "बार ऑन सुइट्स रिलेटिंग टु पेशन्स" के संबंध में इस आशय के एक अपवाद की व्यवस्था की जाए कि धारा 4 में निहित कोई प्रावधान सरकार के कार्यों के संबंध में किसी सार्वजनिक सेवा अथवा पद पर नियुक्त किए गए किन्हीं व्यक्तियों को अथवा उनके संबंध में देय पेंशन पर लागू नहीं होगा।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सरकार में पेंशन का भुगतान केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के उपबन्धों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को किया जाता है जैसा कि इन नियमों में परिभाषित किया गया है। इन नियमों का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक के अधीन किया गया है तथा ये पेंशन अधिनियम, 1871 से प्राधिकार प्राप्त नहीं करते। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 पेंशन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अपेक्षाओं के लिए व्यापक है। इसके अतिरिक्त पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं सहित सेवा मामले न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

उर्वरक प्रौद्योगिकी

535. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने भारत को उर्वरक प्रौद्योगिकी की आपूर्ति किए जाने संबंधी एक निर्यात लाइसेंस को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के उर्वरक उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अमरीकी डालर ने कृभको के हजीरा संयंत्र को उर्वरक रेट्रोफिट प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए मैसर्स एम.डब्ल्यू. केल्लॉग (यू.एस.ए.) को निर्यात लाइसेंस स्वीकृत करना अनुमोदित कर

दिया है। कृभको अब केल्लाग की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हजीरा स्थिति उनके यूनिया संयंत्र को रेट्रोफिट करने की स्थिति में होंगे।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ग्रामीण जल पूर्ति के लिए धनराशि की कमी

536. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1994 को राष्ट्रीय सहारा में "मध्य प्रदेश की जल प्रदाय योजना के लिए धन नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश ने इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) इस पर कन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सशस्त्र बलों के लिए भर्ती केन्द्र

537. **श्री मंजय लाल** :

श्री विलास राव नागनाथ राव गूंडेवार :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सशस्त्र बलों के लिए भर्ती केन्द्रों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार और अधिक भर्ती केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) देश में किसी नए भर्ती केन्द्र को खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सशस्त्र सेनाओं में भर्ती चाहने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकताओं को मौजूदा केन्द्र पर्याप्त रूप से पूरा कर रहे हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		सेना/नौसेना दोनों में भर्ती के लिए भर्ती कार्यालय और स्थान	नौसेना में भर्ती के लिए भर्ती कार्यालय और स्थान	वायुसेना में भर्ती के लिए भर्ती कार्यालय (वायु सैनिक चयन केन्द्र) और स्थान
1	2		3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	(1) सिंकदराबाद (2) विशाखापट्णम (3) गुंटुर	1 भा नौ पो सरकार्स विशाखापट्णम	1 बेगमपेट
2.	असम	3	(1) सिल्चर (2) जोरहाट (3) नारंगी	–	1 गोवाहाटी
3.	बिहार	5	(1) दानापुर (2) गया (3) मुजफ्फरपुर (4) रांची (5) कटिहार		1 पटना
4.	गुजरात	2	(1) अहमदाबाद (2) जामनगर	1 भा नौ पो वालसुरा जामनगर	-
5.	हरियाणा	4	(1) रोहतक (2) अंबाला (3) चरखीदादरी (4) हिसार	–	1 अंबाला

1	2		3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	4	(1) हमीरपुर	–	–
			(2) मंडी		
			(3) पालमपुर		
			(4) शिमला		
7.	जम्मू और कश्मीर	2	(1) जम्मू	–	–
			(2) श्रीनगर		
8.	कर्नाटक	3	(1) बेलगांव	1 प्रोजेक्ट	1 बंगलौर
			(2) बंगलौर	सीबर्ड	
			(3) मंगलौर	करवाई	
9.	केरल	2	(1) त्रिवेन्द्रम	1 भा नौ पो	1 कोचीन
			(2) कालीकट	वेंदुरथी	
				कोचीन	
10.	महाराष्ट्र	5	(1) पुणे	(1) (भा नौ पो)	1 बम्बई
			(2) औरंगाबाद	आंगरे	
			(3) बम्बई	बम्बई	
			(4) कोल्हापुर	(2) कमोडोर	
			(5) नागपुर	बैरक	
				बम्बई	
				(3) भा नौ पो	
				हमला, मलाद	
				(4) भा नौ पो शिवाजी, लोनावाला	
11.	मध्य प्रदेश	5	(1) जबलपुर		–
			(2) महू		

1	2		3	4	5
			(3) ग्वालियर		
			(4) रायपुर		
			(5) भोपाल		
12.	मेघालय	1	(1) शिलांग	–	–
13.	नागालैंड	1	(1) रंगापहाड़	–	
14.	उड़ीसा	3	(1) कटक	1 भो नौ पो	1 भुवनेश्वर
			(2) बेरहपुर	चिल्का, पुरी	
			(3) सम्बलपुर		
15.	पंजाब	5	(1) जालंधर		
			(2) अमृतसर		
			(3) पटियाला		
			(4) लुधियाना		
			(5) फिरोजपुर		
16.	राजस्थान	5	(1) अजमेर	–	1 जोधपुर
			(2) जोधपुर		
			(3) अलवर		
			(4) कोटा		
			(5) झुनझुनूं		
17	तमिलनाडु	3	(1) मद्रास	1 भा नौ पो	1 ताम्बरम
			(2) कोयम्बतूर	आडयार, मद्रास	
			(3) त्रिचनापल्ली		
18.	उत्तर प्रदेश	10	(1) लखनऊ	–	1 कानपुर
			(2) आगरा		

1	2	3	4	5
		(3) अल्मोड़ा		
		(4) अमेठी		
		(5) बरेली		
		(6) लैंसडौन		
		(7) मेरठ		
		(8) पिथौरागढ़		
		(9) वाराणसी		
		(10) कुनराघाट		
19.	पश्चिम बंगाल	4 (1) कलकत्ता	1 भा नौ पो	1 बरेकपुर
		(2) बेहरमपुर	नेताजी सुभाष,	
		(3) सिलीगुड़ी	कलकत्ता	
		(4) घूम		
20.	गोवा	–	1 भा नौ पो गोमंतक, गोवा	–
21.	दिल्ली	1 दिल्ली	1 भा नौ पो इंडिया नई दिल्ली	1 नई दिल्ली
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	2 (1) फोर्टन, पोर्ट ब्लेयर (2) भा नौ पो जरावा पोर्ट ब्लेयर	–
23.	लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीप	–	1 नेवल अफसर इंचार्ज, लक्षद्वीप	–
	कुल	71	16	13

गरीबों के लिए विशेषज्ञ समिति

538. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसे देश में रह रही गरीब लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विशेषज्ञ समिति ने यह कहा है कि शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्त वर्ष 1994-95 के अंत तक देश के शहरी क्षेत्रों में कितने गरीब लोगों के रहने का अनुमान है;

(ङ) इन लोगों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) 1991-92 से लेकर गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितनी वार्षिक धनराशि खर्च हुई और इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) विशेषज्ञ दल ने शहरी गरीबों की संख्या 1983 में 7.53 करोड होने तथा 1987 88 में 8.34 करोड़ होने का अनुमान लगाया है।

(घ) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा जारी किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग करते हुए गरीबी का अनुमान लगाता है। गरीबी के नवीनतम अनुमान 1987-88 में हुए पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक शहरी गरीबों की संख्या के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) तथा (च) आठवीं योजना के दौरान शहरी गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई बदम उठाए जा रहे हैं। इनमें नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) जैसे आय बढ़ाने और रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम शामिल हैं। आठवीं योजना में नेहरू रोजगार योजना के लिए 227 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वर्ष 1991-92 तक नेहरू रोजगार योजना के वार्षिक परिव्यय और व्यय (केन्द्रीय हिस्सा) नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	(लाख रुपये) परिव्यय	(लाख रुपये) व्यय
1991-92	11,280.00	10,280.00
1992-93	7,100.00	7,080.00
1993-94	7,497.00	7,497.00 (प्रत्याशित)
1994-95	7,000.00	

नेहरू रोजगार योजना में तीन स्कीमें शामिल हैं :

(i) शहरी माइक्रो उद्योमों की स्कीम (एस यू एम ई)

(ii) शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम (एस यू डब्ल्यू ई)

(ii) आवात तथा आश्रय उन्नयन स्कीम (एसएचएएसयू)

30-6-1994 की स्थिति के अनुसार स्कीमवार वास्तविक निष्पादन नीचे दिया गया है :

एस.यू.एम.ई. सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या	एस.यू.डब्ल्यू.ई. (लाख में) सृजित श्रम दिवसों की संख्या	एस.एच.ए.एस.यू. उन्नयन किए गए/प्राप्ति में डवेलिंग यूनिटों की संख्या
5813.16	365.23	3341.46

पी.एम.आर.वाई. देश में एक मिलियन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए 7 लाख माइक्रो उद्यम स्थापित करते हुए 2 अक्तूबर, 1993 को आरम्भ की गई थी। वर्ष 1994-95 के लिए 145 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र

539. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका द्वारा निर्मित तारापुर परमाणु रिएक्टरों के इस्पात के पत्तर दरक गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की हैं;

(ग) तारापुर परमाणु संयंत्र का निरीक्षण हाल ही में किस तिथि को किया गया था; और

(घ) इस निरीक्षण का क्या निष्कर्ष निकला ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) तारापुर परमाणु बिजली घर के रिएक्टरों में क्रोड को संभाले रखने वाले परदे हैं जो कि एक आन्तरिक संघटक हैं और जो नाभिकीय ईंधन को रखने वाले रिएक्ट क्रोड को चारों ओर से घेरे रखता है और शीतलक प्रवाह का संचालन करता है। क्रोड परदा 1" (25.4 मिलिमीटर) मोटी स्टेनलैस स्टील की प्लेटों का बना होता है तारापुर परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट के क्रोड परदे का यथा संभव अभिगम्भ क्षेत्रों में पानी के भीतर काम करने वाले टी.वी. की सहायता से हाल ही में मार्च, 1994 में ईंधन बदलने के लिए बिजली घर को बंद करने के दौरान निरीक्षण किया गया था और कोई असामान्यता नहीं पाई गई थी। दूसरे यूनिट के लिए ऐसी ही जांच बिजली घर को आगे दिसम्बर, 1994 में किसी समय बंद करने के दौरान करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, इन क्रोड परदों के वैल्ड किए गए जोड़ों की जांच के लिए पानी के भीतर काम करने वाले छोटे कैमरे और पराध्वनिक परीक्षण उपस्कर की सहायता से विस्तृत रूप से जांच करने की योजना है।

लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने सम्बन्धी प्रभार को समाप्त करना

540. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लीजहोल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलने सम्बन्धी प्रभार के समाप्त करने के मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) निशुल्क परिवर्तन 50 वर्ग मीटर तक के निर्मित भूखण्डों और जनता फ्लैटों, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि पर बने 300 वर्गफीट तक के कुर्सीक्षेत्र के सामूहिक आवास फ्लैटों के साथ-साथ पुनर्वास विभाग द्वारा आंबटित "सी" टाईप टेनामेंटों के मामले में उपलब्ध है।

इस बाबत ऐसी कोई रियायत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

नारियल जटा बोर्ड

541. **श्री घाइल जॉन अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में चलाई गई गतिविधियां और प्राप्त किए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केरल में इस उद्योग के आगे के विकास के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) बोर्ड अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है जिनका उद्देश्य भारतीय केयर उद्योग

का समग्र विकास करना होता है। बोर्ड की सभी योजनाओं का लाभ अधिकांशतया केरल के कयर उद्योग को मिलता है क्योंकि केरल देश में कयर उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में इस उद्योग के विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केरल सरकार को कयर बोर्ड के जरिये उपलब्ध करायी गयी सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

योजना	1991-92	1992-93	1993-94
	रु.	रु.	रु.
मॉडल कयर ग्राम	2,00,000	—	—
लघु निर्माताओं हेतु लुमशेडों का निर्माण	8,22,000	9,00,000	13,05,000
सहकारिता योजना	12,50,000	14,00,000	68,21,306
कयर उत्पादों के लिए छूट	146,20,000	1,80,38,000	1,26,95,000
एकीकृत कयर विकास योजना	—	—	24,00,000
केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि	25,00,000	25,00,000	10,00,000
सामान्य सुविधा केन्द्र	3,95,000	—	9,00,968
	197,87,000	228,38,000	251,22,274

प्राप्त परिणाम

(1) मॉडल कयर ग्राम कार्यक्रम के अधीन अब तक चुने गए 78 ग्रामों में से 55 केरल में है। इस कार्यक्रम के अधीन अनु. जाति/जन जाति के कयर श्रमिकों हेतु मकानों के निर्माण, वर्कशेडों के निर्माण, समुदाय केन्द्रों स्वच्छ शौचालयों, धुएं रहित चूल्हों के लिए कयर श्रमिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

(2) बोर्ड ने 461 लूमशैडों के निर्माण के लिए सहायता मंजूर की है जिनमें से 252 पूरे कर लिये गये हैं। इस योजना के फलस्वरूप लघु निर्माणकारी क्षेत्र जो इस उत्पाद क्षेत्र में अधिकांश उत्पादन करता है, के लिए कार्य की बेहतर दशाएं व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं।

(3) सहकारिताकरण योजना के अधीन प्रबंधकीय राजसहायता, अंशपूंजी सहायता, उपकरण सहायता आदि के लिए सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। इसके कारण कयर सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों को पुनः तेज करने तथा सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है। जिनमें लगभग 2 लाख 29 हजार श्रमिक कार्यरत हैं।

(4) छूट योजना के अंतर्गत सहकारी/राज्य क्षेत्र के एककों को घरेलू बाजार में कयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा उनके पास उपलब्ध कयर उत्पादों के भंडार समाप्त करने के लिए सहायता उपलब्ध कर ली जाती है। इसके फलस्वरूप घरेलु बांजार में कयर की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जैसा कि कयर बोर्ड शो रूमों के जरिए की गई बिक्रियों में हुई वृद्धि से स्पष्ट है।

(5) केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता का प्रयोग कयर श्रमिकों को पेंशन, छात्रवृत्तियां, चिकित्सा खर्च दाह संस्कार खर्च, विवाह खर्च आदि के वितरण के लिए किया गया है।

(6) कयर बोर्ड ने लघु निर्माणकारी क्षेत्र में रंगाई और ब्लीचिंग के आधुनिक तरीके अपनाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलैप्पी और चिरथला में चार सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता मंजूर की है।

(7) कालाबूर स्थित केन्द्रीय कयर अनुसंधान केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलपों से कयर उद्योग के उस समग्र विकास खासतौर पर केरल के विकास में पर्याप्त योगदान मिला है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप जो केरल में कयर उद्योग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं नीचे दिये गये हैं

(1) केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान द्वारा आरम्भ किये गये नये बायो इनोकुलेंट ट्रीटमेंट से रेटिंग की अवधि 9 माह से घटाकर 3 माह कर दी गई है। इसके फलस्वरूप प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार होगा।

(2) केरल के उत्तरी जिलों में रेशा निकालने वाले एककों की स्थापना हो जाने से हरी भूसी के रेशे बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगेंगे। रेशे के शोरूम की नई प्रक्रिया का विकास हुआ है जिसके फलस्वरूप हरी भूसी के रेशों को रेटिड रेशे जैस गुण प्राप्त हो जायेंगे जिसे उत्पाद क्षेत्र द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है जिसके सामने कच्चे माल की घोर कमी बनी रहती है।

(3) बढ़िया किस्म के धागे का उत्पादन करने के लिए एक मोटर युक्त रैंट का विकास किया गया है और इसे लोकप्रिय बनाया गया है। इसके फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर गुणवत्ता, अधिक पाश्रिमिक और श्रमिकों के लिए थकान व तनाव से मुक्ति उपलब्ध हुई है।

(4) बुनाई क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने तथा विनिर्माण कार्य में श्रम में कमी लाने के लिए एक अर्ध स्वचालित करघे का विकास किया गया है।

(5) ब्लीचिंग के एक नए तरीके का विकास किया गया है जिसके फलस्वरूप ब्लीचिंग की लागत में 50 प्रतिशत कमी आयेगी।

(ख) (1) बोर्ड का प्रस्ताव कयर उद्योग के विकास के लिए सभी विद्यमान योजनाओं को जारी रखने का है। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने महिला कयर योजना कार्यक्रम

शुरू किया है, जिसका योजना आयोग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था करना है। इस कार्यक्रम के अधीन कयर बोर्ड का रैट की लागत की 75 प्रतिशत तक की राजसहायता स्वीकृत करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम सीमा 7500 रुपये होगी बशर्ते कि लाभान्वित व्यक्ति लागत का 25 प्रतिशत योगदान करे। मोटरयुक्त रेट के संचालन में प्रशिक्षित महिलाएं ही योजना के अधीन विचार किए जाने की पात्र होंगी। योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कयर बोर्ड ने दो महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 25 महिला कारीगर बोर्ड के राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण तथा डिजाइन केन्द्र, कालावूर में प्रशिक्षण ले रही हैं।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कयर उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से बोर्ड ने 1-10-1993 से गुणवत्ता वर्ष शुरू किया है। इस व्यवस्था के अधीन उत्पादन के श्रमिकों के तरीकों में निरन्तर सुधार के महत्व के प्रति उनमें जागरुकता पैदा करने के लिए गुणवत्ता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अधीन कयर उद्योग में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम सेमिनार कार्यशालाएं तथा परिचर्चाएं आयोजित की गई हैं।

(3) भारत सरकार द्वारा गठित कयर उद्योग संबंधी उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों और केरल सरकार द्वारा गठित कयर उद्योग संबंधी टास्क फोर्स की रिपोर्टों के आधार पर केरल सरकार द्वारा 44.24 करोड़ रुपये की लागत से एक समेकित कयर विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस परियोजना के अधीन अनरेडिट हस्क से रेशा निकालने और कयर प्रसंस्करण केन्द्रों के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केरल के उत्तरी जिलों में रेशा निकालने वाली 100 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। चुनिंदा कयर सहकारी समितियों में 20000 मोटरयुक्त रैट वितरित करने का भी प्रस्ताव है। भारत सरकार कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत लागत पूरा करेगी। 1993-94 के दौरान इसके लिए 24 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं।

भारत-जापान विज्ञान परिषद

542. **श्री राजेश कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-जापान विज्ञान परिषद का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) परिषद की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और उनमें क्या निर्णय लिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) इस परिषद की स्थापना भारतीय तथा जापानी वैज्ञानिकों के बीच सहयोगी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रबंध के तौर पर की गयी है।

(ग) परिषद की एक बैठक 23 और 24 अगस्त, 1993 को हुई थी और उसमें सहयोग के क्षेत्रों तथा तरीकों के बारे में निर्णय लिया गया। जिन क्षेत्रों पर दोनों पक्षों में आपसी रजामंदी हुई, वे इस प्रकार हैं :

1. आण्विक संरचना, स्पैक्ट्रोस्कोपी तथा गतिकी
2. पॉलिमर सहित नवीन पदार्थ
3. आधुनिक जीवन विज्ञान और बायोटैक्नोलोजी
4. निर्माण विज्ञान
5. खगोल विज्ञान तथा तारा भौतिकी

दूर संवेदी व्यापार

543. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दूर संवेदी व्यापार के क्षेत्र में शामिल हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। अन्तरिक्ष विभाग का अन्तरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अन्तरिक्ष उत्पादों और सेवाओं का विपणन कर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से सुदूर संवेदन एक है। अन्तरिक्ष कार्पोरेशन सुदूर संवेदन प्रणालियों, आंकड़ा उत्पादों और अन्य सेवाओं की बिक्री को प्रोत्साहित कर रहा है।

[हिन्दी]

क्रायोजेनिक इंजन सौदा

544. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री प्रेम धूमल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी (इंजन सहित) के संबंध में रूस के साथ बात चीत की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) कब तक यह भारत को प्राप्त हो जाएगा;

(ग) इन इंजनों की प्राप्ति के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में क्या प्रगति होगी; और

(घ) किन-किन देशों के साथ इस इंजन की प्राप्ति के लिए समझौता किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी करार से प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण और प्रशिक्षण की धारा को निकालते हुए रूस के साथ पुनः समझौता मार्च, 1994 में पूरा हो गया है।

(ख) इस करार के अन्तर्गत 1996 के अन्त से शुरू करते हुए प्रति छः महीने के अन्तराल पर इंजिनों सहित चार क्रायोजेनिक चरणों की आपूर्ति की जानी है। इसके साथ ही मूल करार में उपलब्ध विकल्प का उपयोग करते हुए अन्य तीन क्रायोजेनिक इंजिन प्राप्त किये जा रहे हैं।

(ग) 1996 के अन्त से शुरू करते हुए इंजिनों सहित इन क्रायो चरणों को प्राप्त करके 1997 के प्रारम्भ से भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) की विकासात्मक उड़ानें आयोजित की जा सकती हैं, जिसके बाद प्रचालनात्मक उड़ानें होंगी। जी.एस.एल.वी. के प्रचालनीकरण से हमारे अपने प्रमोचक राकेटों से इन्सैट श्रेणी के उपग्रहों का प्रमोचन करना सम्भव होगा।

(घ) क्रायोजेनिक इंजिनों की प्राप्ति के लिए रूस के अलावा किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है।

आबंटित धन का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग

545. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राज्य सरकारों को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए दी गई धनराशि का अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं और इस प्रकार किन योजनाओं के लिए तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) इस प्रकार अन्य कार्यों के लिए धन का उपयोग किए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) कुछ राज्यों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की निधियों के अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए अपवर्तन के कुछेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) से (घ) ऐसे मामलों के ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की निधियों के अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए अपवर्तन के ब्यौरे (1992-93)

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम जिसके लिए निधियों का अपवर्तन किया गया	राशि (लाख रुपये)	जिले का नाम	राज्य का नाम	टिप्पणी
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.47	चित्तूर	आन्ध्र प्रदेश	चूंकि निधियों के अपवर्तन पर
2.	बंजर भूमि	0.07	चित्तूर	आन्ध्र प्रदेश	पाबन्दी है, इसलिए राज्य
3.	केन्द्रीय स्वच्छता कार्यक्रम	0.79	चित्तूर	आन्ध्र प्रदेश	सरकारों से अन्य ग्रामीण
4.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.00	भावनगर	गुजरात	विकास कार्यक्रम को दी गई
5.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.12	कोलार	कर्नाटक	अग्रिम राशि को वापस लेने
6.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.23	कालाहांडी	उड़ीसा	के लिए कहा गया है। इन
7.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.07	फूलबनी	उड़ीसा	निधियों को 1993–94 के
8.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.015	जालौन	उत्तर प्रदेश	दौरान तीसरी और चौथी
9.	जवाहर रोजगार योजना	54.40	गड़वा	बिहार	किस्तों की रिलीज का निर्णय
10.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.16	रोहतास	बिहार	करने से पूर्व जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के पास उपलब्ध निधियों के खाते में ही माना गया है।

गुजरात में लघु उद्योग

546. **डा. अमृत लाल कालिदास पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में लघु उद्योगों के कार्यकरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों से कितने लघु उद्योग बन्द पड़े हैं अथवा इस दौरान रुग्ण हो गए; और

(घ) सरकार द्वारा उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। गुजरात राज्य के भीतर 31-3-1988 तक स्थापित उद्योगों सहित उन सभी लघु उद्योगों की एक अखिल भारतीय गणना, कार्यालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने करायी थी जो सीडो (लघु उद्योग विकास संगठन) के अधीन आते हैं तथा राज्यों के उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत हैं। यह गणना वर्ष 1987-88 के संदर्भ में करायी गयी थी।

(ख) इस गणना से गुजरात के बारे में पता लगी प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं :

दिनांक 31-3-1988 तक राज्य निदेशालय के पास पंजीकृत कुल लघु उद्योग एकक			58328
कार्यशील एककों की संख्या			35000
चालू कीमतों पर उत्पादन (लाख रुपये में)			
1985-86	1986-87		1987-88
274284	305023		358624
संयंत्र और मशीनों में प्रति एकक निवेश (मूल कीमत) लाख रुपये	–		1.74
स्थिर परिसंपत्तियों में प्रति एकक निवेश (पुस्तक मूल्य) लाख रुपये	–	–	2.58
कर्मचारियों की संख्या (कुल)	–		276955
प्रति एकक रोजगार (संख्या)	–	–	8
चालू कीमतों पर प्रति एकक	वर्धित मूल्य (लाख रुपये में)		1.538

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद पड़े लघु उद्योग एककों या बीमार पड़े एककों की संख्या का पता लगाने के लिए अभी हाल ही में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु वर्ष 1987-88 के संदर्भ में 1989-91 के दौसन पंजीकृत लघु उद्योग एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के परिणामों से यह पता चला था कि सर्वेक्षण के समय 21623 एकक बंद पड़े थे/लापता थे। ये एकक 15 वर्षों की अवधि अर्थात 1972 के संदर्भ में करायी गयी लघु उद्योग एककों की पहली गणना के बाद से बंद पड़े थे। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 31-3-1992 तक 6581 रुग्ण लघु उद्योग एकक थे।

(घ) जीव्य रोगी एककों का पुनर्वास करने के उपाय राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति और राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति के जरिये नियमित आधार पर किये जाते हैं। बैंक भी जीव्य रुग्ण एककों के पुनर्वास हेतु नियमित आधार पर सहायता देते हैं। जीव्यक्षम रुग्ण लघु उद्योग एककों में उन एककों को नेशनल इक्विटी फंड से भी एक प्रतिशत प्रति वर्ष की मामूली दर से 1,50,000 रुपये तक की दीर्घावधिक इक्विटी टाइम सहायता के रूप में वित्तीय सहायता मिल सकती है जिन एककों की परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है। लघु उद्योगों में रुग्णता की समस्या को जल्दी निपटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी थी कि वे रुग्ण औद्योगिक एककों से निपटने के लिए और उन्हें तकनीकी कार्मिकों सहित विशेषज्ञों की सेवाएं दिलाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रकोष्ठों का गठन करें।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आर्डर

*547. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री रवि राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के उत्पादों की दरें निर्धारित करके और उनके लिए आर्डर लाकर उनकी सहायता करने हेतु एक नीति विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सार्वजनिक क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रमों को लाभ होगा; और

(घ) कोर सेक्टर के ऐसे एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के पुनरोत्थान के लिए इस योजना में भाग लिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनता से अभ्यावेदन

*548. **डा. वंसत पंवार :**
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कार्मिक मंत्रालय द्वारा जन शिकायत संबंधी कितने अभ्यावेदन प्राप्त किए गए;

(ख) अब तक कितने अभ्यावेदनों को निपटाया गया है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि जब अभ्यावेदनों को संबंधित विभागों को भेजा जाता है, तो अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) गत एक वर्ष के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में लोक शिकयत संबंधी लगभग 11,279 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) ये अभ्यावेदन ऐसे मंत्रालयों/विभागों और अन्य संबंधित संगठनों को भेजे गये हैं जो मामले के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इन पर यथेष्ठ कार्रवाई कर सकते हैं।

(ग) व (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त हुई लोक शिकायतों पर समुचित अनुवर्ती कार्यवाही हो, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा साथ-ही-साथ इनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों ने अपने-अपने यहां लोक शिकायत निवारण कक्षों की स्थापना की है जिसका अध्यक्ष संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर का अधिकारी होता है जिसे शिकायतों के निदेशक के रूप में पदनामित किया जाता है। यह अधिकारी समूचे संगठन द्वारा किए जा रहे शिकायत निवारण कार्य का पर्यवेक्षण करता है। जहा सभी अधिकारियों को शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रभावी तथा तत्काल कदम उठाने होते हैं, वहां शिकायतों के निदेशक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिकायत निवारण संबंधी कार्य का समन्वय करें।

भेल द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना

549. **डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड ने कम लागत के विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु योजनाएं बनायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड के उपकरणों के साथ

देश में स्थापित किए गए विद्युत संयंत्रों की स्थापना लागत अन्य विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों के साथ स्थापित किए गए संयंत्रों से कम थीं।

[हिन्दी]

उर्वरक इकाइयों को राजसहायता

550. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र की उर्वरक इकाइयों को कितनी राशि की राजसहायता दी गई थी; और

(ख) 1994-95 के दौरान कितनी राजसहायता दी जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र स्थित विभिन्न उर्वरक एककों को राजसहायता के रूप में 290.58 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

(ख) स्वदेशी उर्वरकों पर राजसहायता के भुगतान के लिए 1994-95 के बजट में 3500.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से महाराष्ट्र में एककों को दी गयी राजसहायता वर्ष के दौरान उनके उत्पादन स्तर पर निर्भर करेगी। बजट में कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

पेंशन के नियमों में संशोधन

551. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अथवा दिवंगत कर्मचारी का परिवार मंहगाई भत्ते के साथ पेंशन के हकदार हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि जीवित पति/पत्नी सरकारी कर्मचारी है तो दिवंगत कर्मचारी के परिवार को मंहगाई भत्ता देय नहीं होता;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के पीछे क्या औचित्य है; और

(घ) इस विसंगति को दूर करने तथा इस संबंध में पेंशन नियमों में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) और (ख) मंहगाई राहत का भुगतान केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों तथा कुटुम्ब पेंशन भोगियों को किया जाता है। पेंशन पर मंहगाई राहत देनी तब स्थगित कर दी जाती है जब कुटुम्ब पेंशनभोगी की सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हो जाती है।

(ग) यह विचार किया जाता है कि वेतन पर मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त, पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर मंहगाई राहत की अदायगी जीवन निर्वाह के खर्च में वृद्धि की दोहरी क्षतिपूर्ति करने के बराबर होगी।

(घ) चूंकि इसमें कोई विसंगति नहीं है, अतः सरकार का इस संबंध में पेंशन नियमावली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में पवन चक्कियां

552. **डा. साक्षी जी :**
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में इस समय कितनी पवन चक्कियां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार 1994 में और अधिक पवन चक्की लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जल पम्पन के लिए 224 गहरे कुएं गियर प्रकार की पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं और 9 राज्यों में चालू हैं कुल 117 मे.वा. क्षमता की पवन टरबाइन अब तक 7 राज्यों में स्थापित की गई हैं और वे राज्य ग्रिडों को बिजली की सप्लाई कर रही है। गुजरात में 28.5 मेवा. की 20 पवन चक्कियां और पवन टरबाइनें चालू हैं। उत्तर प्रदेश में 20 पवन चक्कियां चालू हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय की सहायता से चालू वर्ष के दौरान 200 जल पम्पन पवन चक्कियां और 8 मेवा. पवन शक्ति क्षमता स्थापित करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 100 मेवा. पवन शक्ति क्षमता स्थापित करने की संभावना है।

एक पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की संभाव्यता और विशिष्ट स्थलों की पहचान करने के लिए शुरू किया जा रहा है। ये संभाव्य राज्य आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। विभिन्न प्रकार के पवन ऊर्जा परियोजना के लिए विशिष्ट स्थलों की पहचान करना एक सतत् प्रकिया है।

[हिन्दी]

प्रशासनिक सुधार

553. **श्री छेदी पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को समाप्त करने के लिए कुछ नए प्रशासनिक सुधार कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) सरकार ने भष्टाचार और लाल-फीताशाही से निपटने के लिए व्यापक ढांचा पहले ही निर्धारित किया हुआ है। इस ढांचे के, जिसके अन्तर्गत बदलती हुई स्थितियों से निपटने के लिए समय-समय पर नए उपाय किए जाते हैं; निम्नलिखित तीन मुख्य पहलू हैं :-

(क) निवारक सतर्कता

(ख) निगरानी और सुरागरसानी और

(ग) निवारक दंडात्मक कार्रवाई।

विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाओं में, प्राप्त अनुभवों के आधार पर, समय-समय पर संशोधन और सुधार किए जाते हैं।

2. यह बात सुपरिचित है कि लाल-फीताशाही तथा अस्पष्ट अफसरशाही प्रक्रिया से जन सेवाओं में भ्रष्टाचार पनपता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को, गोपनीयता की आवश्यकताओं के अनुरूप, अधिक दृष्टिगोचर बनाने के उद्देश्य से नियमों, विनियमों और कार्य-विधियों के सरलीकरण, प्राधिकार के प्रत्यायोजन और जबावदेही सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। इनका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुस्पष्टता लाना और लोगों को तेजी से सेवाएं मुहिय्या करवाना है ताकि भ्रष्टाचार के अवसर कम हो सकें। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थाएं

554. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इलैक्ट्रानिकी विभाग की कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने की योजना

(डीओईएसीसी) के अन्तर्गत 'ओ' स्तर के पाठ्यक्रम चलाने के लिए 46 कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रदान की गई अनन्तिम मान्यता इलैक्ट्रानिकी विभाग ने वापस ली है। अनन्तिम मान्यता वापस लेने के लिए निम्नलिखित कारण थे :-

(1) अनन्तिम मान्यता की अवधि के दौरान 40 संस्थान 'ओ' स्तर की किसी भी परीक्षा में एक भी उम्मीदवार भेजने में असमर्थ रहे। इन संस्थाओं के नाम तथा पते विवरण-I में दिए गए हैं।

(2) 3 संस्थानों ने डीआईएसीसी के 'ए' स्तर के पाठ्यक्रम के आयोजन पर ध्यान देने के लिए 'ओ' स्तर के पाठ्यक्रम के आयोजन से अपना नाम स्वेच्छा से वापस ले लिया। इन संस्थानों के नाम तथा पते विवरण-II में दिए गए हैं।

(3) 3 संस्थानों को जिन स्थानों पर मान्यता प्रदान की गई थी, उन्हें वहां नहींपाया गया। इन संस्थानों के नाम तथा पते विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता। डीआईएसीसी एक स्वैच्छिक योजना है जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र के ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों को विनिर्धारित स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनन्तिम रूप से मान्यता प्रदान की जाती है, जो गुणवत्ता तथा सेवा संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

विवरण-I

1. मराठेस रेडियो इलैक्ट्रानिक इंस्टीट्यूट,
   एवरेस्ट शॉपिंग सेंटर,
   दोम्बीवली रेलवे स्टेशन के सामने,
   दोम्बीवली (पश्चिम), बंबई

2. त्रिची कम्प्यूटर्स,
   रेलवे को-ऑप मेन्शन,
   दिन्दुगल रोड,
   तमिलनाडु,
   तिरुचिरापल्ली-620001

3. एनआईआईटी साल्ट लेक सेंटर,
   डीए-21, साल्ट लेक,
   कलकत्ता

4. इन्फो विजन प्राइवेट लिमिटेड,
   154, कोडाम्बक्कम हाई रोड,
   मद्रास,600034

5. सेंटर फॉर काम्प्यूटिंग एंड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी,
सीसीआईटी, घाटकोपर सेंटर,
सत्यम शॉपिंग सेंटर,
"बी", विंग एम.जी. रोड,
घाटकोपर (पूर्व)
बंबई-400077

6. अप्ट्रॉन इंडिया,
10, अशोक मार्ग,
लखनऊ

7. पी.सी. सिस्टम (प्राइवेट) लिमिटेड,
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
8-7 12, पैलेस कम्पाउंड,
पीईडीए वाल्टेयर जंक्शन के पास,
विशाखापटनम-530023

8. साई कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टैक्नोलॉजी,
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
सी-54, 26 वी, क्रॉस स्ट्रीट,
महाराजा नगर के सामने,
कल्याणमंडपम,
तिरुनेल्वली-627011

9. ब्यूरो ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडीज,
बीआईटीएस हाउस, 80 एसवी रोड,
आशा पारेख नर्सिंग होम के सामने
सांताक्रुज (पश्चिम), बंबई-400054

10. एसीई कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड,
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
नीलाम्बर कॉम्प्लेक्स,
सेंट जेवियर कालेज कार्नर,
एलएच कामर्स कालेज रोड,
अहमदाबाद-380009

11. मार्केट मेकर्स
एप्पल फ्रैंचाइज सेंटर, 87-88 डी.बी. रोड,
आर.एस. पुरम,
कोयम्बटूर-641001

12. एनआईआईटी कैम्प सेंटर,
412,-414 अरोरा टावर्स,
एम.जी. रोड़,
पुणे

13. सिटराइन कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
स्वानन्द-2 अर्पोना सोसाइटी,
तकाली रोड,
नासिक-422001

14. एनआईआईटी रेजीडेंसी रोड सेंटर,
24, दूसरी मंजिल सबारी कॉम्प्लेक्स,
रेजीडेंसी रोड, बंगलौर

15. सेंट्रल इंडिया कम्प्यूटर्स,
101/24-बी, शिवाजी नगर,
5 नम्बर बस स्टॉप के पास,
भोपाल

16. कारडियल कम्प्यूटिंग सेंटर (प्राइवेट) लिमिटेड,
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
बी-5, फर्स्ट क्रॉस, तिलाईनगर,
त्रिची-620018

17. सिस्तला कम्प्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड,
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
29-2-4/5, रामामन्दिरम स्ट्रीट,
गवरनरपेट, विजयवाड़ा

18. ट्रैड एजुकेशन अकादमी (प्राइवेट) लिमिटेड,
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
1-743/1, एचपीओ के पास,
डेपो क्रॉस रोड, हनामकोंडा,
बारंगल-506001

19. डेटाप्रो इन्फार्मेशन टेक्नोलाज़ी,
फ्रेचाइज सेंटर
383 सी, 100 फीट रोड
जया कॉम्प्लेक्स, टाटाबाद,
कोयम्बटूर-641012

20. शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी,
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
268, कालिंगारायण स्ट्रीट,
रामनगर
कोयम्बटूर-641018

21. तन्मय कम्प्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर
प्राइवेट लिमिटेड (फ्रैंचाइज आफ
एप्पल इंडस्ट्रीज लिमिटेड),
842, पूनामाल्ली हाई रोड,
मद्रास-600084

22. डेटाप्रो इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी,
फ्रैंचाइज सेंटर,
तालमाले भवन,
छत्रपति नगर स्क्वेयर,
वर्धा रोड, नागपुर

23. शक्ति इस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
12-सी, वीरभद्र स्ट्रीट,
शक्ति सुगर्स बिल्डिंग,
ईरोड-638003

24. कालीकट इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी (प्रा.) लिमिटेड,
एनआईआईटी के लाइसेंस धारक,
11/532 बी, दूसरी मंजिल,
पी. के. कामर्शियल काम्प्लेक्स,
आर.सी. रोड,
कालीकट-673032

25. एनआईआईटी खार सेंटर,
फ्लैट नं. 3, दूसरी मंजिल,
लोटिया पैलेस
लिंकिंग रोड, खार,
बंबई

26. एमडीपीएस कम्प्यूटर ट्रैनिंग सेंटर,
मालापुरम,
तिरूर-766101

27. डेटा सिस्टम्स रिसर्च फाउंडेशन,
नलिन चैम्बर्स,
173, धोले पाटिल रोड,
पुणे-411001

28. स्पेन कार्पोरेशन, जयनगर सेंटर,
दूसरी मंजिल, न. 29, 7वां मेन, डायगनल रोड,
भारत आटोमाड के ऊपर, IV ब्लाक, जयनगर
बंगलौर-641369

29. स्पैन कार्पोरेशन : राजाजी नगर केंद्र,
वैन्टेज पाइंट 1, दूसरी मंजिल, 1049/1
1 मेन, ब्लाक न. 4, राजाजी नगर, बंगलौर-560010

30. एनआईआईटी नारीमन पाइंट सेंटर,
बी-61,मित्तल कोर्ट, नारीमन पाइंट,
बंबई-400021

31. एनआईआईटी घाटकोपर सेंटर,
"बी"-विंग, सत्यम शापिंग सेंटर,
एम.जी. रोड,
घाटकोपर (पूर्व),
बंबई

32. डेटाप्रो इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी,
फ्रैंचाइज सेंटर,
मैसर्स सदर्न माइक्रो लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड,
तीसरी मंजिल, पुंज बिल्डिंग एनेक्सी,
लालबाग,
मंगलौर-575003

33. मॉणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन,
कल्पना कम्पाउंड,
उडीपी-576101

34. नैन्सी माइक्रो सिस्टम्स,
एप्पल कोल्हापुर सेंटर,
458, ई शाहु रोड विजय अपार्टमेंट,
वीनस कार्नर के पास,
कोल्हापुर-416001

35. एनआईआईटी मद्रास (सैंट्रल) सेंटर,
41-42, कालेज रोड,
मद्रास

36. डेटाप्रो इन्फार्मेशन टैक्नोलाजी,
फ्रैंचाइज सेंटर,
202 रिजवी चैम्बर्स,
होटल डेलमॉन के सामने
पणजी,
गोवा

37. प्रियदर्शिनी इंस्टीट्यूट फॉर कम्प्यूटर एडिड नालेज,
205-209, सागर व्यू,
टैंक बंद रोड,
हैदराबाद-29

38. जनानी कम्प्यूटर सेंटर, 9 एच, टेलीफोन रोड,
अरुप्पुकोटाई'-626101

39. एनआईआईटी साउथ दिल्ली सेंटर,
साउथ एक्सटेंशन,
भवानी हाऊस, एम-5 साउथ एक्सटेंशन भाग-II
नई दिल्ली-110049

40. डेटाप्रो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलाजी,
फ्रैंचाइज, सेंटर
मैसर्स सदर्न माइक्रो लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड,
39/ए, कान्ता राज रोड लक्ष्मीपुरम,
मैसूर-570004

विवरण-II

---

1. ब्रिलियेट्स कम्प्यूटर सेंटर,
18, कनिघम रोड,
बंगलौर-560052
कर्नाटक

2. ब्रिलियेंट्स कम्प्यूटर सेंटर,
27-28 बी.आर. काम्प्लेक्स,
वुइस रोड,
माउंट रोड,
मद्रास-600002
तमिलनाडु

3. ब्रिलियेंट्स कम्प्यूटर सेंटर,
डी-5, साउथ एक्सटेंशन भाग-II
नई दिल्ली-110049

विवरण-III

1. डेटा कम्प्यूटिंग सर्विसिज,
प्लाट सं. 6, पैगाह कालोनी,
(आनन्द थियेटर के पास),
सरदार पटेल रोड,
सिकन्दराबाद-500003

2. इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी,
विजय टावर्स,
17, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110001

3. द कम्प्यूटर कनेक्शन,
112/278 ए, स्वरूप नगर,
कानपुर-208002,
उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय

555. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय में अंतर-राज्य असमानताएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई है;

(घ) सभी अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति कुल कितनी आय बढ़ी है;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रति-व्यक्ति आय हुई है, और

(च) प्रति व्यक्ति आय की असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1989-90 से 1980-81 की कीमतों पर राज्यवार प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आधारभूत संरचना का एतिहासिक रूप से अनियमित विकास, विभिन्न प्रदेशों में औद्योगिक और उद्यमशील विकास, वर्षा में वर्ष प्रतिवर्ष भिन्नता और तदनन्तर, सूखा और बाढ़ और जनसंख्या में वृद्धि जैसे विभिन्न कारणों से राज्यों में प्रति व्यक्ति एनएसडीपी में भिन्नता है।

(ग) आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (1980-81 की कीमतों पर) 1989-90 की तुलना में 1992-93 में कम था।

(घ) 1980-81 की कीमतों पर 1989-90 से राज्य वार प्रति व्यक्ति एनएसडीपी विवरण में दिया गया है।

(ङ) 1992-93 में, उन राज्यों में से जिनकी सूचना उपलब्ध हैं, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति एनएसडीपी भारत के प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक है।

(च) राज्य सरकारें राज्यों की आय बढ़ाने के लिए विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं। केंद्रीय सरकार एक फार्मूले के अनुसार राज्य योजनाओं को सहायता उपलब्ध कराती है, जिसमें प्रति व्यक्ति कम आय वाले राज्यों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

(1980-81) के स्थित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92 (P)	1992-93 (Q)	1993-94 (A)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1840	1779	1764	1721	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	2441	2452	2493	–	–
3.	असम	1772	1805	1887	1945	–

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	1119	1195	1098	1091	–
5.	गोआ	4066	4604	4616	4606	–
6.	गुजरात	2578	2559	2412	2719	–
7.	हरियाणा	3253	3466	3445	3540	–
8.	हिमाचल प्रदेश	2175	2151	2074	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	1662	1669	1687	1717	–
10.	कर्नाटक	2079	2048	2267	2275	–
11.	केरल	1705	1818	1909	2023	2149
12.	मध्य प्रदेश	1484	1726	1562	1569	–
13.	महाराष्ट्र	3346	3442	3249	3469	–
14.	मणिपुर	1761	1850	2002	–	–
15.	मेघालय	1610	1764	1906	1995	–
16.	नागालैंड	1980	1894	1888	–	–
17.	उड़ीसा	1579	1383	1512	1442	–
18.	पंजाब	3754	3751	3865	3950	–
19.	राजस्थान	1716	1943	1733	1897	1728
20.	सिक्किम	3118	3369	–	–	–
21.	तमिलनाडु	2094	2219	2322	2349	–
22.	त्रिपुरा	1628	1664	–	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	1559	1612	1603	1591	–
24.	पश्चिम बंगाल	1922	1946	2015	2056	–
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2708	2629	2313	–	–

1	2	3	4	5	6	7
26.	दिल्ली	4780	4838	5000	–	–
27.	पांडिचेरी	3225	3385	3418	3403	–
	योग :	2160	2213	2167	2216	2255

अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एमएनपी उपदान

द्रव तत्काल आंकलन पी : अनन्तिम ए : प्रत्याशित

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एनएनसी के लिए सीएसओ.

टिप्पणी-1 : प्रयोग में लाई गई स्रोत सामग्री में अंतर की वजह से विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के आकड़े कड़े रूप में तुलनीय नहीं हैं।

टिप्पणी-2 : मिजोरम राज्य ने केवल चालू मूल्यों पर इन अनुमानों को तैयार किया है

टिप्पणी-3 : चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव और लक्ष्द्वीप ने इन आकलनों को तैयार नहीं किया है।

परिवार अदालतें

556. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में परिवार अदालतों का गठन किया है; और

(ख) इन अदालतों का अब तक गठन न करने वाले राज्यों ने ऐसा न करने के क्या कारण बताए हैं ?

विधि, न्यान और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज़) : (क) असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में कुटुंब न्यायालय स्थापित कर दिए गए हैं।

(ख) अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कमश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और त्रिपुरा राज्य विभिन्न कारणों से जिनके अंतर्गत उनके क्षेत्रों में प्रचलित रूढ़िजन्य विधि संस्थानों की पर्याप्तता भी है और इस कारण से भी कि विवाह संबंधी विवादों के कारण उत्पन्न होने वाले मामलों की संख्या कम है और उन्हें शीघ्रता से निपटाया जा रहा है, कुटुंब न्यायालय स्थापित किए जाने के पक्ष में नहीं है जबकि हरियाण, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों ने ऐसे न्यायालयों की स्थापना करने का विनिश्चय किया है। आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्यों में इस विषय में ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

557. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत और राज्यवार प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी-कितनी थी,

(ख) आठवी पंचवर्षीय योजना के शुरू में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी और इस योजना के अंत तक प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएंगी,

(ग) राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत आय तथा राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत आय के बीच बढ़ते हुए अंतर के क्या कारण है; और

(घ) सरकार ने इसे कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) समग्र वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया जाता है। उपादान लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी) तथा वर्ष 1950-51 के लिए अथवा पूर्व वर्ष के लिए जिसके लिए अनुमान उपलबध है। राज्य वार प्रति व्यक्ति, निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा 1991-92 की कीमतों पर उपादान लागत पर आंकी गई देश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1991-92 में 6040 रु. से बढ़कर 1996-97 में 7245 हो जाने का अनुमान है।

(ग) राज्यों के बीच विभिन्न कारणों से प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) में असमानता है, ये कारण हैं : अधारभूत संरचना का एतिहासिक रूप से असमान विकास, विभिन्न प्रदेशों में औद्योगिक एवं उद्यमशीलता विकास साल दर साल वर्षा, तदनन्तर सूखा, बाढ़ तथा जनसंख्या संवृद्धि में भिन्नताएं।

(घ) आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं। केन्द्र सरकार राज्य योजनाओं के लिए एक फार्मूला के अनुसार केंद्रीय सहायता मुहैया कराती है, जिसमें निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को उच्चतर महत्व दिया जाता है।

विवरण

वर्ष, 1950-51 के लिए स्थिर कीमतों पर प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के राज्यवार अनुमान अथवा वह नवीनतम वर्ष जिसके लिए अनुमान उपलब्ध हो

(रु.)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(नवीनतम) वर्ष	आधार वर्ष की कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)	आधार वर्ष
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1950-51	458	1970-71
2.	अरुणाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3.	असम*	1950-51	259	1948-1949
4.	बिहार	1950-51	147	1948-49
5.	गोआ	उ.न.	उ.न.	उ.न.
6.	गुजरात	1955-56	309	1960-61
7.	हरियाणा	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	हिमाचल प्रदेश*	1950-51	240	1950-51
9.	जम्मू और कश्मीर	1950-51	188	1955-56
10.	कर्नाटक	1956-57	230	1956-57
11.	केरल	1950-51	249	1960-61
12.	मध्य प्रदेश	1950-51	198	1952-53
13.	महाराष्ट्र	1955-56	292	1955-56
14.	मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.
15.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.
16.	मिजोरम	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7
17.	नागालैंड		उ.न.	उ.न.		उ.न.
18.	उड़ीसा		1950-51	390		1970-71
19.	पंजाब*		1952-53	321		1952-53
20.	राजस्थान		1954-55	233		1954-55
21.	सिक्किम		उ.न.	उ.न.		उ.न.
22.	तमिलनाडु		1950-51	257		1960-61
23.	त्रिपुरा		उ.न.	उ.न.		उ.न.
24.	उत्तर प्रदेश		1950-51	436		1970-71
25.	पश्चिम बंग्राल		1951-52	289		1951-52
26.	अं. और नि. द्वीप समूह		उ.न.	उ.न.		उ.न.
27.	दिल्ली		उ.न.	उ.न.		उ.न.
28.	पांडिचेरी		उ.न.	उ.न.		उ.न.
	अखिल भारत		1950-51	239		1950-51

प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद

उ.न. = उपलब्ध नहीं

* = भूतपूर्व राज्य

स्रोत = संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय।

[अनुवाद]

सूखे शोचालयों का निर्माण

558. **प्रो. सावित्री लक्ष्मण** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को सूखे शौचालयों को जनपूरित शौचालयों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव मिलें हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य से ऋण/अनुदान के लिए भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार ऋण/अनुदान की कितनी राशि स्वीकृत और मुक्त की गई हैं या की जानी है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) संघ सरकार की नोडल एजेंसी हडको राज्य सरकारों से शुष्क शोचालयों को जलवाही शौचालयों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त करीत है और संघ सरकारों राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का केवल अनुमोदन करती है। राज्य सरकारों से यथा प्राप्त प्रस्तावों की एक सूची संलग्न विवरण-I में है।

(ग) जी, हां।

(घ) हुडको द्वारा 15 राज्यों में 337.04 करोड़ रुपये की ऋण राशि और 201.36 करोड़ रुपये की सब्सिडी/अनुदान वाली 652.48 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की 538 स्कीमों का अनुमोदन किया गया है। रिलीज किए गए ऋण की राशि 85.85 करोड़ रुपये और सब्सिडी 89.57 करोड़ रुपये है। राज्यवार रिलीज की गई राशि कृपया विवरण-II में देखी जाए। विभिन्न राज्य सरकारों से स्कीमें मिलते ही हुडको, उन पर कार्रवाई करने के पश्चात, स्वीकृति देता है और धनराशि रिलीज करता है तथा राज्यवार कोई विशिष्ट नियतन नहीं किया जाता है।

विवरण-I

आई.एल.सी.पी.के लिए स्वीकृति और अनुमोदित कस्बों के ब्यौरे

योग नगर ब्यौरे

राज्य	कुल कस्बे	द्वारा अनुमोदित कस्बे		योग	स्वीकृति हेतु शेष	स्वीकृत कस्बे	
		एसओ डब्ल्यू	एमओ यूडी	एनओडब्ल्यू+ एमओयूडी		एम.ओ. डब्ल्यू	एमओ यूडी
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	213	22	37	59	154	21	35
अरुणाचल प्रदेश	10	0	0	0	10	0	0
असम	74	4	24	20	46	4	16
बिहार	209	17	25	42	167	17	22
गोवा	26	0	1	1	25	0	0
गुजरात	224	0	0	0	224	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	89	5	57	62	27	4	56
हिमाचल प्रदेश	55	0	0	0	55	0	0
जम्मू व कश्मीर	6	0	6	6	0	0	0
कर्नाटक	248	10	42	52	196	10	42
केरल	109	0	15	15	94	0	15
मध्य प्रदेश	430	62	207	269	161	56	0
महाराष्ट्र	287	43	136	179	108	32	118
मणिपुर	29	0	3	3	26	0	3
मेघालय	7	0	1	1	6	0	1
मिजोरम	22	0	0	0	22	0	0
नागालैंड	9	0	0	0	9	0	0
उड़ीसा	115	9	76	85	30	1	59
पंजाब	113	0	104	104	9	0	49
राजस्थान	214	20	68	88	126	0	35
सिक्किम	8	0	0	0	8	0	0
तमिलनाडु	256	31	85	116	140	21	58
त्रिपुरा	19	6	0	6	13	0	0
उत्तर प्रदेश	699	40	27	67	632	32	27
पश्चिम बंगाल	160	0	35	35	125	0	33
अंडमान निकोबार	2	0	1	1	1	0	0
चंडीगढ़	1	0	0	0	1	0	0
दादर व नागर हवेली	1	0	0	0	1	0	0
दमन तथा द्वीव	2	0	0	0	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	7	0	0	0	7	0	0
लक्षद्वीप	4	0	0	0	4	0	0
पांडिचेरी	7	0	0	0	7	0	0
योग :	3655	269	950	1219	12436	196	569

टिप्पणी : आंकड़ों में राजस्थान के 13 कस्बे शामिल हैं जहां राजस्थान की 13 स्कीमें वापस ले ली गई हैं।

विवरण-II

कम लागत की सफाई-व्यवस्था (समेकित) की अनुमोदित स्कीमें **30.6.1994 की स्थिति के अनुसार**

वर्षवार रिलीज ब्यौरे

ऋण और सब्सिडी के वर्षवार रिजीज ब्यौरे (लाख रुपयों में)

क्र.	राज्य का नाम	ऋणराशि 1992 तक	सब्सिडी	ऋणराशि 1992	सब्सिडी 1993	ऋणराशि 1993	सब्सिडी 1994	ऋणराशि 1994	सब्सिडी 1995	ऋण रिलीज योग	सब्सिडी रिलिज योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	14.60	128.96	40.20	316.54	7.67	78.02	421.61	0.00	484.08	523.52
2.	असम	73.24	122.86	34.19	112.08	0.00	127.44	0.00	0.00	107.43	362.38
3.	हरियाणा	71.11	62.29	221.73	166.80	237.67	213.26	0.00	123.51	530.51	565.86
4.	कर्नाटक	0.00	72.00	97.92	277.33	2262.95	382.23	58.64	0.00	2419.51	731.56
5.	केरल	123.31	48.04	33.26	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	156.57	72.52
6.	मध्य प्रदेश	134.01	271.99	173.33	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	307.34	378.80
7.	महाराष्ट्र	517.16	504.75	95.13	60.79	556.79	273.70	0.00	0.00	1169.08	839.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30
9.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	9.90	10.39	0.00	0.00	0.00	10.39	8.20
10.	उड़ीसा	5.35	51.22	77.35	85.72	115.58	162.25	34.07	9.79	232.35	308.98
11.	पंजाब	31.62	470.25	446.46	56.93	119.20	1919.90	0.00	89.24	602.28	2536.32
12.	राजस्थान	0.00	93.36	0.00	29.05	3.72	178.63	5.21	3.50	0.93	304.54
13.	तमिलनाडु	1044.41	391.38	955.32	184.71	271.61	90.94	41.17	5.77	2312.52	672.80
14.	उत्तर प्रदेश	140.02	439.79	0.00	0.00	100.80	255.48	0.00	0.00	240.82	695.27
15.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	97.35	0.00	809.97	0.00	0.00	0.00	947.32
	योग :	2159.83	2656.89	2174.89	1526.79	3686.38	4542.13	560.70	231.81	8581.81	8957.61

''एच.एम.टी.'' और ''फलेक्सिबल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी'' के बीच समझौता

559. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ''हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड'' (एचएमटी) और ब्रिटेन स्थिति ''फलेक्सिबल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी'' के बीच सितंबर, 1993 में हुए समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में यह समझौता टूट गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हारिजन्टल मशीनिंग केंद्रों की फ्लेक्सीबल मैन्युफैक्चरिंग टैक्नालोजी (एफ.एम.टी.) श्रृंखला की प्रौद्योगिकी के अंतरण तथा एफ.एम.टी. द्वारा एच.एम.टी. मशीनों का विदेशों में विपणन करने के लिए एच.एम.टी. और फ्लेक्सीबल मैन्यूफैक्चरिंग टैक्नोलोजी (एफ.एम.टी.) के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किए गए थे।

(ख) और (ग) इस समय, एच.एम.टी. इन समझौता-ज्ञापनों को लागू करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि एफ.एम.टी. में रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औषधि मूल्यों की व्यवस्था प्रणाली

560. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधि मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बी.आई.सी.पी. के आधार पर कोई नई व्यवस्था प्रणाली विकसित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) इस संगठन पर किस मंत्रलाय का प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण रहेगा; और

(घ) इसके काम आरंभ कर देने की कब तक आशा है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) औषध नीति, 1986 की पुनरीक्षा, जिसमें कीमत निर्धारण पहलू शामिल है, को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमों के अंतर्गत सृजित अस्थाई पद

561. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संवर्गों में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमों के नियम 4(2) के अंतर्गत कितने अस्थाई पदों का सृजन किया गया है;

(ख) क्या ऐसे अस्थाई पद उक्त नियम के दूसरे उपबंध के अंतर्गत निर्धारित अवधि के बाद भी बने हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पद अस्थाई पदों के रूप में कब से बने हुए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमों के अंतर्गत सृजित संवर्ग पूर्व पदों की राज्य-वार संख्या कितनी है और यह कितने समय से बने हुए हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के निमय 4(2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार एक वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी पदों को सृजन करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। केन्द्र सरकार यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं करती हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को अस्थायी पदों को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् चालू रखने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन लेना होता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 से दिए गए ऐसे अनुमोदनों की सूची विवरण-I में दी गई है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तुत विभिन्न संवर्गों में चालू रखे जा रहे अस्थायी/संवर्ग बाह्य पदों की संख्या से संबंधित उपलब्ध सूचना विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

ऐसे मामले जहां भारत सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्तावों को भा.प्र. सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4(2) के तहत 1992 से अनुमोदन दे दिया है

क्र.सं.	संवर्ग	पद	अवधि	कारण
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश	प्रधान सचिव (2)	12-4-1992-26-4-1992 17-4-1992-26-4-1992	प्रशासनिक कारण
2.	नागालैण्ड	आयुक्त	27-4-1992 (एक वर्ष के लिए)	प्रशासनिक कारण

1	2	3	4	5
3.	तमिलनाडु	विशेष अधिकारी जिला-वी.आर.पी.	16-7-1993 से 29-9-1993	एक नये जिले का सृजन
4.	कर्नाटक	निदेशक, ए.टी.आ.ई. मसूर	10-7-1992 से 18-1-1994	प्रशासनिक कारण
5.	तमिलनाडु	आयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही, कोयम्बटूर	11-8-1993 से 10-8-1994	प्रशासनिक कारण
6.	तमिलनाडु	आयुक्त, भूगर्भ तथा खान, मद्रास	22-10-1993 से 21-10-1994	प्रशासनिक कारण
7.	हरियाणा	राज्यपाल के सचिव।	20-10-1993 (एक वर्ष या जब तक वर्तमान पदधारी बना रहे जो भी पहले हो)	प्रशासनिक कारण
8.	हरियाणा	निदेशक(पी.आर.)	13-2-1994	प्रशासनिक कारण

विवरण-II

1-6-1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न संवर्गों में विद्यमान अस्थायी/संवर्ग बाह्य पदों की संख्या

क्र.सं.	संवर्ग	अस्थायी/संवर्ग बाह्य पदों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	67
2.	ए.जी.एम.यू.टी.	27
3.	असम-मेघालय	28
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं
5.	गुजरात	83
6.	हरियाणा	74
7.	हिमाचल प्रदेश	27

1	2	3
8.	जम्मू तथा कश्मीर	उपलब्ध नहीं।
9.	कर्नाटक	68 (31-3-1994 की स्थिति के अनुसार)
10.	केरल	54 (31-3-1994 की स्थिति के अनुसार)
11.	मध्य प्रदेश	90
12.	महाराष्ट्र	82 (31-3-1994 की स्थिति के अनुसार)
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	11
14.	नागालैंड	10
15.	उड़ीसा	66
16.	पंजाब	36
17.	राजस्थान	71
18.	सिक्किम	13
19.	तमिलनाडु	108
20.	उत्तर प्रदेश	205
21.	पश्चिम बंगाल	80

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रुग्ण उद्योग

562. **श्री प्रभू दयाल कटेरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने केंद्रीय सरकार को अपने राज्यों में रुग्ण और बंद पड़े उद्योगों को पुनः शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रुग्ण और बंद पड़े उद्योगों की संख्या कितनी है और वे उद्योग कब से रुग्ण अथवा बंद हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक विकास विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) देश में बैंको से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मार्च 1992 के अन्त तक लघु उद्योग क्षेत्र और गैर-लघु उद्योग क्षेत्रों में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या निम्नलिखित है :-

राज्य का नाम	रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या	
	लघु उद्योग क्षेत्र	गैर-लघु उद्योग क्षेत्र
राजस्थान	14420	54
उत्तर प्रदेश	34150	109

श्रम मंत्रलाय के अनुसार 1991 से अप्रैल 1994 तक की अवधि में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 26 और 329 एकक बंद पड़े होने की सूचना मिली थी।

[अनुवाद]

आनुवंशिक इंजीनियरिंग

564. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा कृषि, पशुपालन, मानव स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा पर्यावरण के क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह विभाग एड्स और कुछ अन्य गंभीर बीमारियों का मुकाबला करने के लिए अनुसंधान कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां फसल जैवप्रौद्योगिकी, पशु पालन, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के क्षेत्र में, फसल सुधार, पराजीनी पादपों के विकास, पशुओं की बेहतर आनुवशिक नस्ल प्राप्त करने हेतु भूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी के मानकीकरण, हैजा, ई॰ कोलाई डायरिया तथा अन्य रोगों हेतु टीका-विकास प्रभेदों के निर्धारण, विलगन तथा लक्षण-वर्णन, पेय जल में विषाणुओं तथा अन्य रोगकारकों का पता लगाने

हेतु पॉलीमरेस चेन रिएक्शन तथा डी एन ए अन्वेष्णियों तथा जैवविविधता के संरक्षण के लिए अनेक अनुसंधान तथा विकास संबंधी परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ग) तथा (घ) जी, हां एड्स के लिए नैदानिक किटें विकसित करने के एक समयबद्ध कार्यक्रम से पुनर्योगज अभिकर्मकों कृत्रिम पेप्टाइडों का प्रयोग करने वाली रैपिड मोड एलिसा तथा एड्स संक्रमण की आगे पुष्टि करने के लिए वेस्टर्न ब्लाट किट के विकास के संदर्भ में उत्साहवर्धक परिणाम देखने में आये हैं। ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, फाइलेरियासिस, लेश्मानियासिस के लिए किटों का विकास तथा मान्यकरण भी किया जा रहा है।

कर्नाटक के लिए हुडकों की योजनाएं

566. **श्री एस.बी. सिदनाल : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनार्टक के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवास समस्या को हल करने के हेतु आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हुडकों ने इस बीच इन योजनाओं को मंजूरी दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) 13-7-1994 की स्थिति के अनुसार आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) द्वारा प्राप्त कर्नाटक की विभिन्न एजेंसियों की 24 स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। हुडको द्वारा स्कीमों को स्वीकृत करना एक स्रोत प्रक्रिया है और यह, इसके दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

13-7-1994 में स्थिति के अनुसार हुडको में प्रक्रियाधीन कर्नाटक की विचाराधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	एजेसी का नाम	स्कीम का नाम	हुडको ऋण धन (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	कनार्टक हाऊसिंग बोर्ड	स्वागत बंगलौर में स्लम वासियों के लिए एल आई जी आवासीय स्कीम	26.73
2.	-वही-	जयराज नगर बंगलौर में स्लमवासियों के लिए आवासीय स्कीम	17.73

1	2	3	4
3.	-वही-	होशूर बंगलौर की रिक्त भूमि पर स्लम वासियों के लिए आवासीय स्कीम	26.00
4.	-वही-	वेलमकोइल स्ट्रीट बंगलौर में स्लम वासियों के लिए एल आई जी आवासीय स्कीम	19.38
5.	-वही-	मिमयैया रोड भारती नगर बंगलौर में स्लम वासियों के लिए एल आई जी आवासीय स्कीम	4.56
6.	-वही-	राजाजी नगर बंगलौर में स्लम वासियों के लिए एल आई जी आवासीय स्कीम	6.08
7.	-वही-	नहंसी, अरसीकेरा में कम्पोजिट आवासीय स्कीम	63.04
8.	-वही-	कवल विरूर, चिकमंगलूर में कम्पोजिट आवासीय स्कीम	151.05
9.	-वही-	जगलूर, चित्रदुर्गा में कम्पोजिट आवासीय स्कीम	73.23
10.	-वही-	गुड्डीगेरे मंडीया में कम्पोजिट आवासीय स्कीम	74.65
11.	-वही-	सुल्तानीगंज बंगलौर में स्लम वासियों के लिए एल आई जी आवासीय स्कीम	5.70
12.	-वही-	कंकन्डी, मंलमौर में कम्पोजिट आवासीय स्कीम	1320.00
13.	कर्नाटक स्लम उन्मूलन बोर्ड	विरूर चिकमंगलूर में एल आई जी आवासीय स्कीम	19.34
14.	-वही-	वेंकटागिरिकोट चिन्तामणि में एल आई जी आवासीय स्कीम चरण-II	59.37
15.	-वही-	बंगलौर के राजेश्वर स्लम में ई डब्ल्यू एस आवासीय स्कीम	27.76

1	2	3	4
16.	-वही-	पावरकार्मिकों के लिए शिकारीपुरा में ई डब्ल्यू एस आवासीय स्कीम	11.22
17.	-वही-	नल्लूर, मैसूर में एल आई जी आवासीय स्कीम	39.58
18.	-वही-	कोलूर, बिजदगी, धारवाड में ई डब्ल्यू एस आवासीय स्कीम	20.14
19.	-वही-	व्यापामहल्ली, बंगलौर में संजय नगर स्लम पर एल आई जी आवासीय स्कीम	31.15
20.	-वही-	गडवाल गंगावती एल आई जी आवासीय स्कीम	12.29
21.	-वही-	वड्र्डवडी, गंगावती में स्लम एल आई जी आवासीय स्कीम	12.29
22.	-वही-	सदानन्द नगर स्लम जनोदी में ई डब्ल्यू एस आवासीय स्कीम	27.30
23.	-वही-	गौरोकेरे स्लम गौंडती में ई डब्ल्यू एस आवासीय स्कीम	8.11
24.	-वही-	ग्रंगावती रीचूर के एच आर एस कैम्प गल्लेम्मा कैम्प स्लम पर एल आई जी आवासीय स्कीम	12.2
			2069.2

राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स संयंत्र में रिसाव

567. **श्री राम नाईक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1994 के दौरान मुम्बई में राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स संयंत्र से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस रिसाव के क्या कारण थे;

(ग) इस प्रकार के रिसाव को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे आसन्न खतरे के समय राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को कोई प्रभावी जन चेतावनी प्रणाली लगाने का निर्देश देने का है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 8 जून, 1994 की रात को आर सी एफ के ट्राम्बे एकक के यूरिया संयंत्र में 8.00 अपराहन् के लगभग प्रक्रिया में खराबी के कारण, समीप के क्षेत्रों में अमोनिया की गंध की शिकायतें प्राप्त हुईं। तथापि, किसी को चोट लगने की कोई सूचना नहीं मिली।

(ग) प्रक्रिया में खराबी की स्थिति के दौरान ऐसे स्राव को रोकने के लिए आर सी एफ ने एक सक्रब्बर स्थापित किया है। सक्रब्बर को सक्रिय करके 1-7-1994 से संयंत्र को पुनः चालू किया गया है और अब यह संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

(घ) आर सी एफ ग्रेटर बंबई के लिए आपदा, प्रबंध योजना के अन्तर्गत आता है, जिसके लिए निगम आयुक्त नियंत्रण प्राधिकारी है। इस आपदा प्रबंध योजना के अनुसार सभी उद्योगों को ऐसी आकस्मिकताओं के मामले में नियंत्रण कक्ष, पुलिस तथा फायर ब्रिगेड को सूचित करना होता है जिनका यह दायित्व है कि वह जनता को इसकी सूचना दें।

औषध और कीटनाशक एकक

568. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन और दीव में स्थित विभिन्न औषध और कीटनाशक एकक बंद होने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग में और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) किसी औषध और पेस्टिसाइड निर्माण एककों को अभी बंद होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्य-निष्पादन

570. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री तारा सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "डी.डी.ए. परफोरमेंस डिसमल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें बताए गए मामले के तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्य प्रक्रिया को परिणामोन्मुखी बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण इन्जीनियर्स एसोसिएशन के कथन पर बताये हुए उपर्युक्त समाचार में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास विकास के लिए कोई भूमि नहीं बची है, भूमि अधिग्रहण की प्रकिया धीमी है, 1994-95 से केवल 6000 को नये डीडीए फ्लैटों का निर्माण शुरू किया जाना है और प्रचालित बाजार दरों को ध्यान में नहीं रखा जाता जिसके परिणामस्वरूप मकानों तथा दुकानों की एक लंबी सूची बन गई है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में और सुधार के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इस बाबत किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :-

(i) विभिन्न स्कीमों के लाभग्राहियों की 18 लोक अदालतों का आयोजन करना,

(ii) गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को कड़ा करना;

(iii) बेहतर वित्तीय प्रबंध जिसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में 1993-94 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की आय में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई;

(iv) भूमि अधिग्रहण में पर्याप्ततः अधिक निवेश;

(v) 1991-92 में 32,921 स्टाफ को घटाकर 1993-94 के अंत में 27,258 करके लागत प्रभावी प्रबंध।

[हिन्दी]

गुजरात के पिछड़े क्षेत्र

571. **श्री एन.जे. राठवा :**

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कुछ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने हेतु केंद्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित जिले कौन-कौन से हैं;

(ग) ऐसे जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(घ) इन जिलों को कौन-सी सुविधाएं प्रदान की जाती है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछड़े जिलों का पता लगाने तथा मानदंड निर्धारित करने के लिए वित्त मंत्रलाय में एक दल का गठन किया गया है। ऐसे जिलों में स्थित उद्योग 1-10-1994 से पांच वर्षों के लिए करावकाश के पात्र होंगे।

रक्षा उपकरणों की नियति

572. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री सत्यदेव सिंह :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को रक्षा उपकरणों का निर्यात किये जाने हेतु निर्यात लाइसेंस जारी करने के मामले में कतिपय छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अप्रैल, 1993 में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप अब निजी क्षेत्र को अपने यहां उत्पादित सैन्य भंडारों के निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग से एक "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना होता है जो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उससे देश की सामरिक और राजनैतिक स्थितियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उदारता से प्रदान कर दिया जाता है। आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा उत्पादित मदों के निर्यात में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल करने के लिए किए गए अनुरोधों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

जड़ी-बूटियों से निर्मित प्रसाधन सामग्री

573. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जड़ी बूटियों से निर्मित विभिन्न प्रसाधन सामग्री का विपणन करने के लिए हाल ही के वर्षों में कोई अध्ययन किया है,

(ख) क्या देश में बेचे जाने वाली जड़ी बूटियों से निर्मित प्रसाधन सामग्री की विशुद्धता तथा गुणवत्ता की जांच करने के लिए कोई तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन उत्पादों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत लाने तथा उनके मूल्यों का विनियमन करने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) जड़ी-बूटी वाले सौन्दर्य प्रसाधन देश और विदेश में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। निर्माताओं द्वारा अपनाए जाने वाले गुणवत्ता नियंत्रण उपाय और सुरक्षा मानदंड औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने सौन्दर्य प्रसाधनों के लिए मानक निर्धारित किए हैं जोकि औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों में लम्बित दीवानी/फौजदारी मामले

574. **श्री मंजय लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में आज तक कितने दीवानी और फौजदारी मामले लंबित हैं;

(ख) गत एक से तीन वर्ष तीन से पांच वर्ष और पांच से आठ वर्षों से उच्च न्यायालयों में ऐसे लंबित मामलों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इसे यथासंभव शीघ्र निपटाने के लिए उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन 4 दिसंबर, 1993 को आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत किए गए संकल्पों की सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। न्याय प्रशासन को मामलों के शीघ्र निपटाए जाने के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से एक योजना मद बनाया गया है।

क्र.सं.	उच्च न्यायाल का नाम	31–12–1993 को लंबित मामलों (न्यायालय–वार) की संख्या		31–12–1993 को लंबित मामलों (प्रवर्ग–वारों) की संख्या					
		सिविल	दाण्डिक	1 वर्ष और अधिक तथा 5 वर्ष तक		3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक		5 वर्ष से अधिक और 8 वर्ष तक	
				सिविल	दाण्डिक	सिविल	दाण्डिक	सिविल	दाण्डिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इलाहाबाद*	584597	111283	160335	19360	116252	18332	118139	28897
2.	आंध्र प्रदेश	116224	3589	38596	1423	26960	37	11273	–
3.	मुंबई	178133	12259	50597	3750	26347	2503	20142	1470
4.	कलकत्ता	216173	19330	31226	3922	33949	3958	45048	3026
5.	दिल्ली**	149634	8036	35421	1900	32124	1151	24494	1299
6.	गुजरात	86456	10244	20866	1640	12967	1297	16561	1104
7.	गुवाहाटी**	20202	3837	5996	1061	4467	838	2991	707
8.	हिमाचल प्रदेश	16762	3282	4596	827	1914	770	1739	400
9.	जम्मू–कश्मीर	69179	4983	17746	1934	12853	521	7517	542

10.	कर्नाटक	136038	3236	49894	1331	25950	340	15252	52
11.	केरल	136832	5389	56840	1710	20783	132	7196	1
12.	मध्य प्रदेश*	55036	26992	22836	9098	5225	2689	2389	937
13.	मद्रास	280289	33042	77852	11893	45255	8681	40319	4659
14.	उड़ीसा	38129	4132	11483	1263	3376	678	2094	538
15.	पटना	68455	17776	22702	6724	13209	3901	7258	891
16.	पंजाब और हरियाणा	105726	18379	24740	4587	17633	3158	18150	2761
17.	राजस्थान*	88533	18257	36725	6070	15377	3479	13351	2932
18.	सिक्किम*	67	7	16	3	2	–	2	–

* 30–6–1993 को उच्च न्यायालय में लंबित आंकड़े उपदर्शित करता है।

** 30–9–1993 को उच्च न्यायालय में लंबित आंकड़े उपदर्शित करता है।

लघु और मझौले उद्योग

575. **श्री जर्नादन मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु और मझौले उद्योगों का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो), लघु उद्योग सेवा संस्थान के नेटवर्क के माध्यम से निम्न प्रकार से आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहा है;

- सामूहिक समस्याओं का पता करने के लिए बहुज अधिक संख्या में उद्योग समूहों के संकेन्द्रण के बारे में विशिष्ट उद्योगों का अध्ययन।
- आधुनिकीकरण पैकेज तैयार करने के लिए एकक विशिष्ट अध्ययन (इन प्लांट अध्ययन)।
- सम्पर्क कार्यक्रम जैसे आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए जागरुकता पैदा करने के लिए कार्यशालाएं।

सीडो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एस बी आई तथा एस आई डी बी आई के साथ संयुक्त रूप से आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाने पर भी विचार कर रहा है।

(घ) प्रश्न नही उठता।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किया जाना

576. **श्री ललित उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अक्सर रुग्ण रहने वाले सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों को योजना आयोग के सुझाव के अनुरूप बंद कर दिये जाने की संभावना है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में केंद्रीय सरकार और वित्तीय संस्थाओं ने अब तक कितना पूंजी निवेश किया है;

(ग) इन उपक्रमों में श्रेणीवार कितने श्रमिक कार्यरत हैं; और

(घ) इन उपक्रमों के बंद होने के कारण बेरोजगार होने वाले श्रमिकों के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक योजना बनाई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) योजना आयोग ने ऐसे किसी प्रस्ताव का सुझाव नहीं दिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर के नेटवर्क से जोड़ना

577. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **योजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को नेशनल इंफारगेटिक्स सेंटर के नेटवर्क से जोड़ा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक कार्य शुरू कर देगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार के विभाग तथा सभी 23 जिला प्रशासन पहले ही जुलाई, 1988 से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के संगणक संचार नेटवर्क (निकनेट) से जोड़ दिए गए हैं।

गंदी बस्तियों हेतु विदेशी ऋण

578. **श्री मोहन रावले** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय और शहरी विकास निगम (हुडको) की गंदी बस्तियों के स्तर को उठाने, ग्रामीण और शहरी आवासीय योजनाओं और सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जर्मनी के के.एफ. डब्ल्यू से 120 मिलियन ड्यूक मार्क का उदार ऋण मिला है;

(ख) यदि हां, तो आवासीय और शहरी विकास निगम (हुडको) ने इस संबंध में सभी राज्यों से विभिन्न प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों से इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(घ) आवासीय और शहरी विकास निगम ने प्रत्येक राज्य सरकार को कितना ऋण उपलब्ध कराया है; और

(ङ) राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी द्वारा हुडको को अब तक निम्नलिखित ऋण/अनुदान मंजूर किये गये/वचन दिया गया है :-

क्र.सं.	योजना	प्रयोजना	धनराशि	स्थिति
1.	हडको-के.एफ.डब्ल्यू I	शहरी निर्धन वर्ग के आवास हेतु उप-ऋण के निधियन हेतु	20 मिलियन डेनिसमार्क	पूर्ण
2.	हडको-के.एफ.डब्ल्यू II	शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं के लिए उप-ऋण का निधियन	30 मिलियन डेनिसमार्ग	पूर्ण
3.	हडको-के.एफ.डब्ल्यू III	भवन-निर्मित केंद्र कार्यक्रम के तहत गठित भवन निर्मित केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए	10 मिलियन डेनिसमार्क की अनुदान सहायता	प्रगति पर
4.	हडको-के.एफ.डब्ल्यू IV	शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के आवास हेतु ऋण के निधियन के लिए	25 मिलियन डेनिसमार्क की अनुदान सहायता	करार पर हस्ताक्षर किए गए
5.	हडको-के.एफ.डब्ल्यू. V	गैर-सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए शहरी तथा ग्रामीण आवास, कम लागत की सफाई के निधियन हेतु	35 मिलियन डेनिसमार्क की अनुदान सहायता	अभी करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

के.एफ.डब्ल्यू. ने महाराष्ट्र में भूकम्प पुनर्वास उपायों के निधियन हेतु हडको को 10 मिलियन हेतु डेनिसमार्क का दूसरा अनुदान देने का वचन दिया है। इसे के.एफ.डब्ल्यू. V के तहत किए गए अनुदान में शामिल करने का प्रस्ताव है।

(घ) के.एफ. डब्ल्यू. हडको-I तथा II के तहत सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ऋण का राज्य-वार उपयोग इस प्रकार है :-

राज्य का नाम	हडको के.एफ. डब्ल्यू-I	हडको के.एफ. डब्ल्यू-II (रु. लाखों में)
केरल	807.06	2235.10
तमिलनाडु	355.28	123.38
त्रिपुरा	14.74	
उत्तर प्रदेश	49.03	1797.84
राजस्थान	51.39	

के.एफ.डब्ल्यू. III के बाबत, अभी तक राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र कर्नाटक, केरल तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को शामिल करते हुए 61 निर्मित केन्द्रों को 502.73 लाख रुपये की कुल अनुदान के लिए के.एफ.डब्ल्यू ने मंजूरी दी है।

जहां तक के. एफ. डब्ल्यू IV का सम्बन्ध है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा कर्नाटक राज्यों के. एफ. डब्ल्यू को प्रस्तुत करने के लिए हडको को स्कीमें प्राप्त हुई हैं। के.एफ. डब्ल्यू की बाबत अभी तक करार नामा नहीं हुआ है।

(ङ) कार्यान्वयन एजेंसियों की आवास/अवस्थापना स्कीमों के प्रस्तावों को प्रारम्भ में हडको के मापदंडों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। फिर स्कीमों को के.एफ. डब्ल्यू की सहायता के लिए शामिल किया जाना है। तथा सामान्यतः सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। तथापि, आवास ऋण देने की अच्छी वसूली सहित एजेंसी की क्षमता भी के.एफ.डब्ल्यू की एक शर्त है।

[हिन्दी]

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना

579. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षण हेतु गत तीन वर्षों के दौरान विदेश भेजे गये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, उन्हें किन-किन देशों में भेजा गया और उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) क्या विदेश भेजे जाने वाले अधिकारियों के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार क्या आयु सीमा निर्धारित है;

(ङ) क्या ऐसे अधिकारियों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) दीर्घावधि के पाठ्यक्रमों (6 माह की अवधि से अधिक) के 45 वर्ष की आयु सीमा तथा अल्पावधि के पाठ्यक्रमों (6 माह की अवधि से कम) के लिए 52 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है।

(ङ) और (च) नामांकन, प्रशिक्षण कार्यक्रम में यथा निर्धारित विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुसार किए जाते हैं।

विवरण

गत तीन (3) वर्ष की अवधि के दौरान प्रशिक्षण हेतु विदेशों को भेजे गए अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम व पदनाम	देश का नाम	प्रशिक्षण का प्रकार
1	2	3	4
1.	ए.के. सरीन एस.ई. (सिविल)	यू.के.	अर्बन रिजनल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिघम (14-1-1991 से 5-4-1991)
2.	के.के. मदान ए.डीजी. (डब्ल्यू)	बैंकाक (थाईलैंड)	वर्कशाप ऑ इम्प्रविंग साइक्लान वार्निंग रिस्पांस एंड मिटिगेशन (28-3-1993 से 10-4-1993)
3.	एस.के. श्रीवास्तव डी.ए.	यू.के.	एम बी ए प्रोग्राम ऑन पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एट यूनियन आफ एक्जिटर (4-10-1993 से 30-9-1994)
4.	अनिल पुरी एस.ई. (इलैक्ट्रि)	बैंकाक (थाईलैंड)	दूसरा लक्स पैसिफिक लाईटिंग कान्फरेंस (10-13 नवम्बर, 1993)

1	2	3	4
5.	बलबीर सिंह डी.जी. (डब्ल्यू)	रोम (इटली)	सिम्पोजियम ऑन स्ट्रक्चरल प्रीजवेशन ऑफ द आर्कटिक्चुअल हेरिटैज (15-17 सितम्बर, 1993) हस्ताक्षर : मुख्य अभियन्ता (प्रशि.) प्रशिक्षण संस्थान, के.लो.नि. विभाग

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के रुग्ण एकक

580. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के वर्तमान रुग्ण एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय संस्थाओं के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक एकक को अर्थक्षम बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) के सिन्दरी, रामागुण्डम, तालचर तथा गोरखपुर में चार एकक हैं। नवम्बर, 1992 में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया को रुग्ण कंपनी के रूप में घोषित किया बी आइ एफ आर से भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई सी आई सी आई) को एफ सी आई के पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए परिचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है। एफ.सी.आई. के प्रत्येक एकक को पुनरुद्धार करने के लिए अपेक्षित वित्तीय स्रोतों के ब्यौरे एफ सी आई के पुनरुद्धार करने के संबंध में बी आई एफ आर द्वारा लिए जाने वाले अंतिम निर्णय के पश्चात् ही ज्ञात होंगे।

रुग्ण उर्वरक इकाइयां

581. **डा. बसंत पवार :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र की रुग्ण उर्वरक इकाइयों को अर्थक्षम बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन इकाइयों को अर्थक्षम बनाने संबंधी कार्य में श्रमिकों और प्रबंधकों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो श्रमिकों की भागीदारी वाली ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) ने उर्वरक उत्पादन करने वाले दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफ सी आई) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) के रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत रुग्ण कंपनियां घोषित किया है। बी आई एफ आर ने भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश कार्पोरेशन लि. (आई सी आई सी आई) को इन कंपनियों के संबंध में पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए परिचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है। इन कंपनियों के पुनरुद्धार के संबंध में कोई निर्णय पुनरुद्धार प्रक्रिया में श्रमिकों तथा प्रबंध की सहभागिता सहित बी आई एफ आर, जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

कृषि विकास के लिए महाराष्ट्र को आबंटन

582. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1992-93 और 1993-94 के दौरान कृषि के विकास के लिए कितना आबंटन किया गया;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चालू वर्ष के लिए अतिरिक्त धन की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग विकास के विभिन्न सैक्टरों में राज्यों के साथ परामर्श से उनकी वार्षिक योजनाओं में क्षेत्रकीय आबंटनों को अंतिम रूप देता है। 1992-93 तथा 1993-94 वर्षों हेतु महाराष्ट्र राज्य के लिए कृषि तथा संबंद्ध कार्यकलाप सैक्टर हेतु क्रमशः 256.50 करोड़ रुपये तथा 343.31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) योजना आयोग को महाराष्ट्र सरकार ने चालू वर्ष हेतु अतिरिक्त राशि का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति वार्षिक सहायता

583. **डा. साक्षी जी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को दी जा रही प्रति व्यक्ति वार्षिक सहायता अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उत्तर प्रदेश को आबंटित प्रति व्यक्ति केंद्रीय योजना सहायता अन्य राज्यों की तुलना में न्यूनतम नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रुग्ण उद्योग

584. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक देश में सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र में क्रमशः कितने-कितने उद्योग रुग्ण थे,

(ख) दोनों क्षेत्रों में 1 जुलाई, 1991 से पहले और उसके बाद दोनों क्षेत्रों में क्रमशः कितने-कितने उद्योग रुग्ण हुए;

(ग) सरकार का विचार इन उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(घ) इन उद्योगों में कितने श्रमिक रोजगार पर लगे हैं;

(ङ) इन उद्योगों में क्रमशः कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(च) इनमें देशी तथा विदेशी ऋण लेकर कितना पूंजी निवेश किया गया है और दोनों लेखों से कितनी कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है तथा इस संबंध में बकाया देय राशि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक इकाइयां संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के

अनुसार मार्च, 1992 के अंत में स्थिति के अनुसार लघु क्षेत्र में 245575 औद्योगिक इकाइयां और गैर-लघु क्षेत्र में 1536 औद्योगिक इकाइयां रुग्ण बताई गई थीं।

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण : 1992-93 के अनुसार, मार्च, 1993 के अंत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 44 रुग्ण औद्योगिक उद्यम हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों से संबंधित इस प्रकार की सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) 1990-91 और 1991-92 की अवधि के कारण रुग्ण इकाइयों (गैर लघु उद्योग तथा लघु उद्योग दोनों) की संख्या, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं :

	रुग्ण इकाइयों की संख्या	
	मार्च, 1991 के अंत में	मार्च, 1992 के अंत में
लघु उद्योग	221472	245575
गैर-लघु उद्योग	1461	1536

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इसे केवल दिसंबर, 1991 के बाद ही रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के अधीन लाया गया था। अतः केवल 1992-93 के आंकड़े (जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) में दिया गया है।) ही उपलब्ध हैं।

(ग) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं ?

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक रुग्ण एककों में नियोजित श्रमिकों की संख्या और इनमें निवेश की गयी पूंजी के संबंध में आंकड़े नहीं रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मार्च, 1992 के अंत में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों तथा गैर-लघु औद्योगिक एककों पर क्रमशः 3100.67 करोड़ रु. और 5786.55 करोड़ रु. का बैंक ऋण बकाया था।

विवरण

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985" बनाया है। इस अधिनिमय के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड" (बी आई एफ आर) नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से निपटाना है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने मानीटरी प्रणाली को मजबूत बनाने और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लए पुनः स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिनमें उन मानदंडों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनः स्थापना हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से जीवित किया जाता है। समामेलित रुग्ण एकक की पुनर्स्थापना के लिए स्वस्थ एककों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क) के तहत कर लाभ दिए जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्गठन के कारण प्रभावित कामगारों को मुआवजे का भुगतान कराने की व्यवस्था भी करेगी।

(7) भारत सरकर की सलाह से भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुरुज्जीवन के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थान समितियां (एस एल आई आई सी) स्थापित की हैं।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों, जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रु. से अधिक नहीं है, को 1 प्रतिशत की मामूली वार्षिक दर से सेवा प्रभार लेकर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी मिल जाती है।

(9) अत्यंत लघु और लघु उद्योगों के लिए एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना की गई है।

संभावित जीव्यक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनःज्जीवन के लिए सिडबी द्वारा पुनर्स्थापना के लिए एक अलग पुनर्वित्त योजना चलाई जा रही है।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों के फ्लैटों का दुरुपयोग

585. **श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संसद सदस्यों के कई फ्लैट/बंगले अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) 1. साउथ एवल्यू के फ्लैट नं. 165 तथा 166 खतरनाक घोषित किए गए हैं और उनका गिराया जाना तय है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन फ्लैटों में कुछ पुराना फर्नीचर रखा हुआ है।

2. साउथ एवेन्यू के फ्लैट नं. 156 में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है और कब्जे में नहीं है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस फ्लैट में कुछ पुराना फर्नीचर रखा हुआ है।

3. नार्थ एवेन्यू के फ्लैट नं. 20 का प्रयोग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने कार्यालय के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का पुनर्गठन

586. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक संस्था बनने के लिए अपनी संचालन प्रक्रियाओं को चयनात्मक तरीकों से पुनर्गठित करने को कोई योजना/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अपनी गतिविधियों में वृद्धि करने का भी कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितना अतिरिक्त निवेश किया जाना प्रस्तावित है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी हां। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए अपनी कार्यनीतियों को चयनात्मक रूप से लगातार उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुकूल बना रहा है। यह अपनी कार्य कुशलता व उत्पादकता में सुधार करने के उपाय कर रहा है और औद्योगिक उत्पादों व प्रणालियों में अपनी विशेषज्ञता व अनुभव का उपयोग करके नए क्षेत्रों में विविधकरण भी कर रहा है।

(ग) से (ङ) जी, हां विविधकरण उपाय के रूप में भेल सिमुलेटरों, दूर संचार प्रणालियों, विंड इलैक्ट्रिक, जनरेटरों, सौर ऊर्जा उत्पादक उपकरण, सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलरों व रक्षा मदों आदि जैसे नए उत्पादों पर ध्यान दे रहा है। भेल का वित्तीय सेवाओं व विद्युत संयंत्र

उपकरणों के आधुनिकीकरण के क्षेत्रों में विविधकरण करने का भी प्रस्ताव है। भेल का नए उत्पादों/व्यवसाय क्षेत्रों में लगभग 70 करोड़ रुपये के पूंजी-निवेश का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

587. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न केंद्रीय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) योजना आयोग ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोई अध्ययन नहीं कराया है। केंद्र प्रायोजित स्कीमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से बनाई जाती हैं और राज्य–सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। इनके कार्यान्वयन में योजना आयोग की कोई सीधी भूमिका नहीं है। किन्तु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना की चर्चाओं के दौरान सामान्यता योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का इसके द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है।

[अनुवाद]

एच.एम.टी. घड़ियां

588. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 के अंत तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) की कुल कितनी घड़ियां बिना बिकी रह गई थीं;

(ख) इन घड़ियों के विशाल भंडार जमा होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण बाजार का लाभ उठाने और इन घड़ियों की घर घर जाकर बिक्री करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एच.एम.टी. घड़ियों को केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को किस्तों पर बेचने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दिनांक 31-3-94 की स्थिति के अनुसार व्यापार में स्टॉक में कुल 18.78 लाख घड़ियां थीं।

(ख) मांग की पद्धति में परिवर्तन और प्रतिस्पर्धा स्टॉक इकट्ठा हो जाने के कारण है।

(ग) और (घ) पिछले एक वर्ष में एच.एम.टी. ने कम बिकने वाली घड़ियों को विभिन्न प्रोत्साहनों व स्कीमों के माध्यम से बेचने के अनेक उपाय किए हैं। इसके अलावा, उन्होंने ग्रामीण बाजार में प्रवेश करने की दृष्टि से दिनांक 1-12-1993 से देशभर में पुनर्वितरण स्टाकिस्टों की नियुक्ति की है। साथ-ही-साथ, घर-घर जाकर घड़ियां बेचने की एक स्कीम बनाई गई है और इसे आरंभ में कर्नाटक में शुरू किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

जोंगा जीपों का उत्पादन

589. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग असैनिक बाजार में ब्रिकी के लिए जोंगा जीपों के उत्पादन में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिमाह अनुमानतः कितने जोंगा जीपों का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) असैनिक बाजार में उनकी बिक्री के लिए क्या प्रकिया अपनायी जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वाहन निर्माणी जबलपुर की अतिरिक्त जबलपुर की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग सिविल बाजार के लिए जोंगा जीप के उत्पादन के लिए किया जाएगा। प्रोटोटाइपों को विकसित किया जा रहा है। बिक्री आदि की प्रक्रिया को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड

590. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड को घाटे के कारण उसकी 60 प्रतिशत इक्विटी कम हो गई है तथा उसके प्रवर्तकों ने उसे इस स्थिति से उबारने की एक व्यापक योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रवर्तकों द्वारा उसे इस स्थिति से उबारने के लिए बनायी गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) मैसर्स गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (जीएफसीएल) द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार कंपनी को 53.5 प्रतिशत इक्विटी घाटे में खत्म हो चुकी है।

कंपनी द्वारा बनाये गये पुनरुद्धार पैकेज में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं :-

(i) आंध्र प्रदेश सरकार से 20 करोड़ रु. का ब्याज मुक्त बिक्री कर ऋण।

(ii) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) से 20 करोड़ रु. का ब्याज मुक्त ऋण।

(iii) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों के 50 प्रतिशत बकाया ऋणों का इक्विटी के रूप में परिवर्तन।

(iv) वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 31-3-1994 को बकाया ब्याज को माफ करना।

(v) 1994-95 से 3 वर्ष के लिए ब्याज अवकाश दिन।

(vi) अनुवर्ती वर्षों के लिए ब्याज की दर में 10 प्रतिशत की कमी।

(vii) वाणिज्यिक बैंकों के संघ द्वारा ऋण देने की न्यूनतम दर पर अर्थात् 15 प्रतिशत के फ्लौर रेट पर पूंजी निकालने का प्रावधान।

मुख्य कार्यकारी-अधिकारियों के विरुद्ध मामले

591. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में केंद्रीय सरकार के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में इस समय जांच का काम किस चरण में चल रहा है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) गत छः महीनों में केंद्र सरकार के निम्नलिखित उपक्रमों के भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चार मामले दर्ज किए गए हैं :

1. भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सेवा निवृत्त), हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड।
3. भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विजया बैंक
4. भूतपूर्व अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक,
   राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक, बंबई।

(ख) और (ग) सभी मामलों की जांच प्रारम्भिक स्तर पर है। जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

गुजरात में विकास कार्य

592. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **योजना और कार्यक्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे विकास कार्य और प्रत्येक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि और केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि तथा इन कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सभी विकास कार्यों की समीक्षा कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) गुजरात में कार्यान्वित हो रही जनजातीय विकास स्कीमों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण एक में दिए गए हैं। विवरण दो में गुजरात में कार्यान्वयनाधीन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित ब्यौरे दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए निधियों का आबंटन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है।

(ग) इन स्कीमों की लाभग्राही राज्य की ग्रामीण, पिछड़ी तथा जनजातीय जनसंख्या है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभग्राहियों के ब्यौरे संलग्न विवरण तीन में दिए गए हैं।

(घ) ये विकास कार्य लगातार राज्य सरकार योजना आयोग और संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों के समीक्षाधीन रहते हैं।

(ङ) आयोजित किए गए विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों ने दर्शाया है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभग्राहियों की आय पर सार्थक प्रभाव पड़ा है तथा लाभों का बड़ा अंश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिस्से आया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा जवाहर रोजगार योजना संबंधी तुरंत अध्ययन से पता चलता है कि रोजगार सृजन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक था और चुनिंदा लाभग्राहियों के 80 प्रतिशत ने जे.आर.वाई. के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों को उपयोगी बताया। बहरहाल, परिसपत्तियों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त आबंटन नहीं किए गए हैं।

विवरण-एक

जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन (लाख रु.)

	कार्यक्रम	वित्त व्यवस्था का पैटर्न	वार्षिक योजना परिव्यय	1992–93 व्यय	वार्षिक योजना परिव्यय 1993–94	प्रत्याशित व्यय 1993–94	वार्षिक योजना 1994–95 परिव्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) हिस्सेदारी आधार पर केंद्र प्रायोजित स्कीम							
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण							
1.	मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए "बुक बैंक"	50.50	3.75	2.75	1.75	1.75	1.75
2.	लड़कों के लिए सरकारी हॉस्टलों का निर्माण	50.50	16.00	16.00	50.00	50.00	45.00
3.	लड़कियों के लिए सरकारी हॉस्टलों का निर्माण	50.50	14.00	14.00	50.00	50.00	30.00
4.	आश्रम स्कूल	50.50	50.00	–	16.00	16.00	20.00
5.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र	50.50	12.50	4.24	6.00	6.00	15.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गांधी नगर में प्रशिक्षण कांप्लैक्स	50.50	3.10	1.48	2.00	2.00	2.00
7.	जनजातीय अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान	50.50	17.20	17.20	9.30	9.30	9.30
8.	लड़कों के लिए जीआईए हॉस्टल का निर्माण	50.50	10.50	7.05	–	–	5.00
9.	लड़कियों के लिए जीआईए हॉस्टलों का निर्माण	50.50	9.00	16.99	–	–	9.00
	जोड (क)		116.55	55.67	135.05	135.05	123.05
	पूर्णतः : केंद्र प्रायोजित स्कीमें जनजातीय विकास विभाग		650.55	647.93	700.00	700.00	750.00

* = 1994–95 के लिए अनुमोदित परिव्यय राज्य सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित है।

विवरण-दो

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास क्षेत्रक कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन-गुजरात

(लाख रु.)

कार्यक्रम	1991–92			1992–93			1993–94		
	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	आबंटन (परिव्यय)	व्यय	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	आबंटन (परिव्यय)	व्यय	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	आबंटन (परिव्यय)	व्यय (अनंतिम)
–आईआरडीपी	1300.00*	2132.11	2307.69	1170.00	2010.00	2204.60	1170.00	3090.00	3354.85
–जेआरवाई									
–प्रथम धारा	1780.00	8090.71	10039.31	1780.00	7891.05	8327.77	1780.00	9037.55**	1053.51
–द्वितीय धारा	–	–	–	–	–	–	–	3887.50	1182.44
–ईएएस								606.25	146.21
									(दी गई राशि)

*आईआरडीपी तथा संबद्ध कार्यक्रमों सहित।

**31–3–1993 को दी गई निधियों के अलावा।

विवरण-तीन

वर्ष 1991-92 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य के लिए प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

कार्यक्रम	यूनिट	1991–92		1992–93		1993–94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
–आईआरडीपी	परिवारों की संख्या	68227	72326	56861	61842	74909	79725
–जेआरवाई							
–प्रथम धारा	लाख श्रम दिवस	244.25	254.13	236.73	235.03	211.40	210.55
–द्वितीय धारा	–यधोक्त–	–	–	–	–	–	22.09
–ई ए एस	–यधोक्त–	–	–	–	–	–	6.75

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना की कमियां

593. **श्री फूलचंद वर्मा :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राप्त प्रारूप समीक्षा के अनुसार नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन में कई खामियां हैं;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इसे और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सारांश, उन पर सरकार की प्रतिक्रिया तथा नेहरू रोजगार योजना को अधिक सार्थक बनाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन संबंधी फाइनल समीक्षा में दिये गये मुख्य प्रश्नों/टिप्पणियों और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया का सारांश

1	2	3
1.	प्रतिवर्ष एक मिलियन लाभार्थियों के लक्ष्य का शहरी गरीबों की समस्या पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/असर पड़ने की आशा नहीं है।	लक्ष्य का निर्धारण धनराशि के वर्ष-दर-वर्ष नियतन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। योजना के लिए धनराशि के नियतन में क्रमिक गिरावट आई है इसलिए कार्यान्वयन की गति को बनाये रखना कठिन होगा। धनराशि के नियतन में कमी के फलस्वरूप स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर धनराशि की उपलब्धता में और कमी हुई जिससे योजना को हतोत्साहन मिला। शहरी गरीबी को शीघ्र मुकाबला करने के लिए धनराशि के नियतन को बढ़ाये जाने की जरूरत है।

1	2	3
2.	लक्ष्य प्राप्ति में कमी	लक्ष्य प्राप्ति में कमी केवल आवास तथा आश्रय सुधार योजना (एस.एच.ए.एस.यू.) के तहत ही है। इस घटक के अन्तर्गत कमी का प्रमुख कारण लाभार्थियों की आश्रय सुधार हेतु ऋण लेने और राज्य सरकारों की ऋण के बारे में गारंटी देने के प्रति अनिच्छा है क्योंकि यह आय-सृजक कार्य नहीं है।
3.	शहरी जनसंख्या तथा शहरी गरीबी की स्थिति के आधार पर केंद्र के हिस्से की धनराशि जारी न किया जाना और कुछ राज्यों को उनके हिस्से से कम तथा दूसरों को उनके हक से अधिक धनराशि मिल रही थी।	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में धनराशि का नियतन पूर्णरूप से, स्वीकृत पद्धति के अनुसार शहरी जनसंख्या और गरीबी की स्थिति के अनुसार किया जाता है। धनराशि की कमी न रहे इसके लिए निधि का न्यूनतम स्तर भी निर्धारित किया गया था। परन्तु धनराशि की पहली किस्त जारी करते समय उपयोगिता प्रमाण-पत्रों/प्रगति रिपोर्टों/बताये गये व्यय से यथापरिलक्षित कार्य को भी ध्यान में रखा गया था। अनिष्पादन के कारण नियतनों में संशोधन किया गया था और धनराशि को बेहतर कार्य करने वाले राज्यों/संघशासित प्रदेशों को दे दिया गया था। अतः प्रारंभ में सूचित की गई धनराशि के नियतन और गरीबी की स्थिति के मानदंड में उतार-चढ़ाव आया।
4.	राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा 1989-90 के दौरान धनराशि का उपयोग न किया जाना।	नेहरू रोजगार योजना अक्तूबर, 1989 में शुरू की गयी तथा 1989-90 के लिए धनराशि नवम्बर, 1989 और मार्च, 1990 में जारी की गयी थी। दिशा निर्देश नवम्बर, 1989 में जारी किए गए, और संशोधित दिशा निर्देश मार्च, 1990 में जारी किए गए। चूंकि शहरी लघु उद्यम योजना बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जानी थी। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1990 में ही अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक दिशा-निदेश जारी किए। ये

1	2	3
		दिशा-निर्देश राज्यों/संघशासित प्रदेशों की कार्यान्वयन एजेंसियों को सितंबर, 1990 अथवा कुछ मामलों में इसके बाद ही उपलब्ध हो पाए। इस प्रकार योजना का अनिवार्यतः प्रारम्भ 1990-91 की अंतिम तिमाही में माना गया है इसी प्रकार आवास तथा आश्रय सुधार योजना का कार्यान्वयन हडको के माध्यम से होता था इसलिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों से इस खास योजना के कार्यान्वयन हेतु सिंगल नोडल एजेंसी को नामित किए जाने की अपेक्षा की गयी थी। हडको को परियोजना-दर-परियोजना आधार पर सब्सिडी की धनराशि मंजूर करनी थी। राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों ने हडको से ऋण लेने के लिए राज्य नोडल एजेंसी नामित करने और राज्य नोडल एजेंसियों ने हडको को प्रस्तुत करने हेतु योजनाएं बनाने में अनिवार्य रूप से कुछ समय लिया।
5.	आगामी वर्षों में अधिकांश राज्यों द्वारा धनराशि का आंशिक उपयोग	योजना के कार्यान्वयन हेतु संरचनात्मक ढांचा स्थापित करने और साथ ही व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों को कुछ समय लगा। योजना के कार्यान्वयन में, प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां थीं परन्तु अब योजना ने कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर गति पकड़ी है। और कार्यान्वयन में तेजी आई है। अनिष्पादन वाले अथवा धीरे निष्पादन वाले राज्यों को योजना का महत्व और लाभ बताने के लिए हर सम्भव प्रयास किए गए हैं।
6.	राज्यों के हिस्से की धनराशि जारी करने में विलम्ब	कुछ राज्यों ने नेहरू रोजगार योजना के लिए अपना अंशदान समय पर उपलब्ध नहीं कराया। ऐसे राज्यों को उनके हिस्से की धनराशि में कमी को पूरा करने के लिए

1	2	3
		बार-बार अनुस्मारक जारी किए गए हैं। कुछ राज्यों ने अब आवश्यक कार्रवाई कर दी है। तो कुछ इस कमी को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं।
7.	कुछ उद्यमों की योजना के तहत ऋण आवेदन पत्रों पर आगे कार्रवाई में विलम्ब	अधिकांश राज्य/संघशासित प्रदेश बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों पर आगे कार्रवाई में असामान्य विलम्ब के बारे में शिकायतें करते रहे हैं। हमारे आग्रह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बार बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि आवेदन-पत्रों की समयबद्ध ढंग से तथा उनके प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर निपटाया जाय। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बैंक ऋण आवेदन पत्रों पर आगे कार्रवाई करने में अधिक समय ले रहे हैं। राज्यों/संघशासित प्रदेशों से असामान्य विलम्ब संबंधी कोई विशिष्ट पत्र प्राप्त होने पर मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत की जाती है जो ऐसे मामले को मुख्य बैंक को भेजता है तथा आवेदन पत्रों का तुरंत निपटान करवाया जाता है।
8.	विशेष लक्ष्य समूह को पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं किया गया है।	दिशा-निर्देशों में उल्लेख है कि "आशा की जाती है कि लघु उद्योग तथा आवास और आश्रय सुधार योजनाओं के तहत 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी तथा कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन सामाजिक समूहों से संबंधित लाभार्थियों के लिए शहरी जनसंख्या के समानुपात में धनराशि निर्धारित करनी होगी।" यदि इस श्रेणी अथवा वर्ग के लिए प्रयुक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उन्हें जिला नेहरू रोजगार योजना समिति के अनुमोदन से सामान्य श्रेणी के कार्य में लगाया जा सकता है।

1	2	3
9.	कुछ मामलों में सब्सिडी का दुष्प्रयोग	मसविदा रिपोर्ट में लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी के दुरुपयोग संबंधी कोई ठोस उदाहरण नहीं दिए गए हैं। अतः इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।
10.	कुछ मामलों में सब्सिडी-ऋण अनुपात नहीं रखा जाता।	यह देखा गया है कि बैंक कुछ मामलों में नेहरू रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण धनराशि स्वीकृत तथा जारी नहीं कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में मंजूर की गयी श्रण धनराशि योजना के तहत उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कम है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखा गया है।
11.	मजदूरी रोजगार योजना के तहत निजी ठेकेदारों/एजेंसियों को कार्य पर लगाना।	दिशा निर्देशों में ठेकेदारों को कार्य पर लगाने का प्रावधान नहीं है तथा निर्माण कार्यों को विभागीय तौर पर करवाया जाता है। ताकि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जा सके। तथापि छोटे ठेकेदारों को, जो शहरी गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, स्थानीय शहरी निकायों के अनुमोदन से निरीक्षण कार्य किया जा सकता है। अभी राज्यों को समय–समय पर अनुस्मारक दिए जाते हैं कि नेहरू रोजगार योजनाओं के निष्पादन में ठेकेदारों को कार्य पर लगाने से रोका जाय।
12.	शहरी मजदूरी रोजगार योजना के तहत सामग्री-श्रम अनुपात नहीं रखा जाता।	शहरी मजदूरी रोजगार योजना के लिए जिला स्तर पर औसतन सामग्री-श्रम के 60:40 की अनुपात रखा जाना है। समीक्षा मसौदे में उन राज्यों के नाम वहीं दिये जाते हैं जहां सामग्री-श्रम अनुपात नहीं रखा गया और किस स्तर पर नहीं रखा गया।
13.	शहरी मजदूरी रोजगार योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों का कुछ राज्यों द्वारा रिकार्ड नहीं रखा जाता।	समीक्षा मसविदें में राज्यों के नमों का उल्लेख नहीं है।

1	2	3
14.	एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कायान्वित शहरी मजदूरी रोजगार योजना।	दिशा-निर्देशों में सिवाय उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों के एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में शहरी मजदूरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन का प्रावधान है बशर्ते कि कोई राज्य यह राय रखे कि इससे न तो ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवसन में वृद्धि होगी और न ही एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के विकास की गत कम होगी।
15.	एक लाख से कम आवादी वाले शहरों में आवास तथा आश्रय सुधार योजना का कार्यान्वयन।	यह योजना उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी राज्यों और सिक्किम तथा अन्य राज्यों के पहाड़ी जिलों में स्थित समानान्तर शहरों (योजना आयोग द्वारा यथा परिभाषित) और नव-औद्योगिक शहरों को छोड़कर एक लाख से 20 लाख के बीच की आबादी वाले सभी शहरी बस्तियों में लागू है। तथापि मंत्रालय एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में इस घटक के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को मामले-दर-मामले आधार पर अनुमति देने के उनके अनुरोध पर विचार करता है। हाल ही में इस मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के 22 नगरों तथा पश्चिम बंगाल के 7 नगरों को लेने की अनुमति दी है।
16.	राज्य-स्तरीय निगरानी एककों का गठन नहीं किया गया है।	रिपोर्ट में उल्लेख है कि केवल 10 राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां गठित की गई हैं तथापि मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार नेहरू रोजगार योजना को कार्यान्वित करने वाले सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों ने निगरानी एजेंसियां गठित कर ली हैं।

डी.डी.ए. फ्लैटों का आवंटित न किया जाना

594. **श्री मंजय लाल :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में डी.डी.ए. के फ्लैट गत 13 वर्षों से खाली तथा आबंटन के लिए लंबित पड़े हैं जैसा कि 26 जून, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि फ्लैटों के पूर्ण होते ही पंजीकृत व्यक्तियों को उनका आबंटन किया जाता है। कतिपय फ्लैट आबंटियों द्वारा इलाके की पसंद न होने अथवा भुगतान न कर सकने के कारण वापस कर दिए जाते हैं। कुछ मामलों में, आबंटन की शर्तों और निबंधनों का पालन न करने की वजह से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट रद्द कर दिए जाते हैं। ये वापस/रद्द किए फ्लैट प्रतीक्षा सूची में और पंजीकृत व्यक्तियों को पुनः आबंटित किए जाते हैं। समय विशेष में जो फ्लैट रद्द/वापस किए गए हैं अलावा जहां आबंटियों द्वारा भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, वे फ्लैट खाली होते हैं। इसके अलावा कभी-कभी फ्लैट दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा यथा अनुसूचित समय में बिजली की व्यवस्था न किए जाने के कारण खाली रहते हैं। ऐसे मामलों में, मामला प्रभावकारी संपर्क और प्रबोधन द्वारा हल किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार के औद्योगिक निगम

595. **श्री ललित उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन बिहार के निगमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा इन निगमों के लिए अलग-अलग कितना धन नियत किया गया है;

(ग) किन-किन निगमों को घाटा या मुनाफा हो रहा है; और

(घ) इन निगमों को आज तक हुए लाभ/घाटे का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम बिहार में स्थित हैं :-

(i) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

(ii) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि.

(iii) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि., कलकत्ता की एक इकाई-गुलफरबाड़ी रिफ्रेक्ट्री एकक।

(ख) **भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड**

इक्विटी के रूप में 764.50 लाख रुपये के अलावा कंपनी अब तक योजना और गैर योजना

ऋण के रूप में 721 लाख रुपये प्राप्त कर चुकी है। इनमें से 409 लाख रुपये का सरकार को अब तक भुगतान किया जा चुका है और 312 लाख रुपये का अभी भी भुगतान किया जाना है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

योजना और गैर-योजना ऋण के रूप में 259 करोड़ रुपये तथा इक्विटी के रूप में 286 करोड़ रुपये।

बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की गुलफरबाड़ी इकाई

योजना और गैर-योजना निधि के रूप में 1849.45 लाख रुपये

(ग) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को छोड़कर अन्य सभी उपक्रम/इकाइयां हानि उठा रही हैं।

(घ) **भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड**

संचयी लाभ 4.98 करोड़ रुपये है।

गुलफरबाड़ी इकाई

27.04 करोड़ रुपये की निवल हानि।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

संचित हानि 689 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क में छूट

596. **श्री मोहन रावले** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि, प्रसाधन सामग्री तथा मानव-निर्मित फाईबर जैसे उद्योगों ने 1993-94 के केंद्रीय बजट में उत्पाद शुल्क में दी गई छूट को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के अंतर्गत अनुसूचित प्रपुंज औषधों पर आधारित औषध सूत्रयोगों के मूल्यों को वर्ष 1993-94 के लिए उत्पाद-दर की प्रभावी दर को मद्देनजर रखते हुए संशोधित किया गया था। सिन्थेटिक फाइबरों (नान टैक्सटराइज) पर मंजूर शुल्क रियायतों को उपभोक्ताओं को दे दिया गया था। जहां तक सौन्दर्य-प्रसाधन का संबंध था, संबंधित उद्योग संगठनों को उत्पाद-शुल्क रियायतों के लाभ को पहुंचाने के लिए कहा गया था।

समाचार पत्र कर्मचारियों को आवासीय सुविधाएं

597. **डा. ए.के. पटेल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में समाचार पत्र कर्मचारियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) आवास राज्य विषय होने के नाते, विभिन्न लक्षित गुणों के लिए विशिष्ट योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना संसाधनों से बनाई और चलाई जाती हैं। समाचार पत्र कर्मचारी सहकारी आवास समितियां बना सकते हैं, राज्य सरकारों से भूमि प्राप्त कर सकते हैं तथा आवास वित्त संस्थानों से वर्तमान योजनाओं के तहत निर्माण ऋण ले सकते हैं।

पुराने और रुग्ण उर्वरक एककों को अर्थक्षम बनाना

598. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री रवि राय :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार के पास सरकारी क्षेत्र के पुराने और रुग्ण उर्वरक एककों को अर्थक्षम बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या एक विशेषज्ञ दल ने इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र को क्या भूमिका देने का विचार है; और

(घ) क्या सभी उर्वरक एककों को इस पैकेज का लाभ मिलेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) ने उर्वरक उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों जिनके नाम फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) है, को रुग्ण औद्योगिक

कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया है। बी आई एफ आर ने इन कंपनियों के संबंध में पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (आईसीआईसीआई) को प्रचालन अभिकरण नियुक्त किया है। इन कंपनियों के पुनरुद्धार के संबंध में उनके पुनर्वास में निजी क्षेत्र की भूमिका सहित कोई निर्णय, बी आई एफ आर जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आवासीय योजनाओं हेतु ऋण

599. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या आवासीय और शहरी विकास निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान **राज्यों** को आवासीय योजनाओं हेतु ऋण की स्वीकृति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए कितनी धनराशि नियत की है;

(ग) क्या आवासीय और शहरी विकास निगम ने तब से कुछ राज्यों को ऋण उपलब्ध कराए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) हडको ने 1994-95 के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के लिए 770 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 423.50 करोड़ रुपये (कुल ऋण स्वीकृति लक्ष्य की 55 प्रतिशत) आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग तथा कम आय श्रेणियों की लाभार्थ योजनाओं के लिए रखे गये हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त लक्ष्य की तुलना में हडको ने 30-6-94 तक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आवास परियोजनाओं के लिए 150.56 करोड़ रुपये की ऋण धनराशि स्वीकृत की है, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान 30-6-1994 तक हडको को मंजूर किया गया श्रेणीवार ऋण

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	आवास परियोजनाएं						
			ईडब्लू एसआर	ईडब्ल्यू	एल आईजी	एमआई जी	एचआई जी	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य	वाणिज्यिक तथा स्टॉफ आवास सहित							
1.	आंध्र प्रदेश	65	0.00	926.65	1.53	112.41	51.49	0.00	1092.08
2.	असम	4	0.00	0.00	0.00	189.35	248.40	0.00	436.75
3.	बिहार	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	18	239.87	19.01	285.57	142.18	586.59	0.00	1273.22
5.	हिमाचल प्रदेश	1	0.00	0.00	0.00	0.00	179.38	0.00	179.38
6.	हरियाणा	29	0.00	0.00	0.00	282.10	0.00	256.00	538.10
7.	केरल	10	0.00	31.78	58.80	593.00	926.00	0.00	1609.58
8.	कर्नाटक	35	1706.94	215.67	250.27	0.00	999.62	0.00	3172.50
9.	महाराष्ट्र	5	0.00	0.00	0.00	1687.36	61.81	9.51	1758.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	मणिपुर	1	0.00	3.90	42.00	69.00	62.00	0.00	176.90
11.	मध्य प्रदेश	9	0.00	6.45	18.06	330.46	254.58	252.75	862.30
12.	उड़ीसा	6	775.20	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	970.01
13.	पंजाब	13	0.00	0.00	42.84	105.33	56.75	0.00	204.92
14.	राजस्थान	17	0.00	0.00	19.27	163.43	0.00	0.00	182.70
15.	सिक्किम	2	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
16.	तमिलनाडु	3	0.00	199.57	440.07	739.57	781.39	0.00	2160.00
17.	उत्तर प्रदेश	1	0.00	0.00	0.00	0.00	168.37	0.00	168.37
संघ राज्य क्षेत्र									
18.	दिल्ली	1	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80	0.00	69.80
	योग :	260	2722.01	1597.84	1158.41	4413.19	4646.18	518.26	15055.89

मारुति वाहनों की बिक्री

600. **डा. वसंत पवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान स्वदेशी/निर्यात बाजार में मारुति वाहनों की बिक्री में गिरावट आयी है;

(ख) इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के अर्जन में अनुमानतः कितनी कमी आयी है; और

(ग) मारुति वाहनों की मांग में गिरावट आने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटेड

601. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटेड (एच. एम. टी.) के विभिन्न एककों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए हाल ही के महीनों में क्या उपाय किए हैं;

(खं) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ समितियां नियुक्त की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन समितियों ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ङ) क्या निर्यात संबर्धन तथा विपणन के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यप लगाने की एच.एम.टी. की कोई योजना/प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एच.एम.टी. ने स्वयं को पांच व्यवसाय समूहों में पुनर्गठित किया है और बिक्री बढ़ाने, मालसूचियां, विविध देनदारियों व उपरिव्यय कम करने के उपाय किए हैं। सरकार ने एच.एम.टी. को, अपने पृथक् व्यवसाय समूहों को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों में परिवर्तित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सिद्धांत रूप में, अनुमति भी दे दी है।

(ख) से (घ) एच.एम.टी. के संबंध में भारी उद्योग विभाग द्वारा गठित दो समितियों की सिफारिशों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

1. रामानुजम समिति

पूर्व वर्षों में एच.एम.टी. द्वारा अपनाई जा रही व्यावसायिक कार्यप्रणाली तथा उनकी वित्तीय उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 28 जनवरी, 1994 को श्री के. रामानुजम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने दिनांक 26-4-1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

कर दी है। समिति ने बताया है कि गुड्स हेल्ड इन ट्रस्ट बिक्री की पद्धति को अपनाना तथा बाजार स्थिति के अनुसार उत्पादन करने में कंपनी की असफलता इसकी मौलिक त्रुटि रही है। समिति ने सिफारिश की है कि उत्पन्न हो रही प्रतिस्पर्द्धात्मक परिस्थितियों की चुनौती पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए।

2. मेनन समिति

तुमकुर स्थित एच.एम.टी. घड़ी कारखाने की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए श्री पी.के.जे. मेनन की अध्यक्षता में एक तथ्य खोजी समिति दिनांक 14-2-1994 को गठित की गई थी। समिति ने दिनांक 15-4-1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं कि एच.एम.टी. को अपने प्रचालनों की मितव्ययिता और युक्तिकरण, खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने, गुणवत्ता तथा विपणन तकनीक पर बल देने, सुरक्षा की जांच में सुधार करने तथा अलाभकर इकाइयों को बंद करने पर ध्यान देना चाहिए।

(ङ) और (च) (i) सरकार ने स्वचालित खाद्य प्रसंस्करण लाइनों के लिए प्रक्रिया इंजीनियरी व विपणन सेवाओं हेतु जर्मनी की एक कंपनी मैसर्स सुडमो शलीचर के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के एच.एम.टी. के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ii) एच.एम.टी. का धातु निर्माण मशीनरी आदि के लिए प्रक्रिया इंजीनियरी व विपणन सेवाओं हेतु मैसर्स क्लीयरिंग के सहयोग से एक अन्य संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

इफको द्वारा गांव को अपनाया जाना

602. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कंपनी (इफको) ने आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले के वन्गारा गांव को अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गांव में क्या गतिविधियां शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिक विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) इस गांव को कृषि विस्तार क्रियाकलाप के भाग के रूप में अपनाया गया है जिसके तहत इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) ने अब तक पूरे देश में 2000 से अधिक गांवों को अपनाया है।

(ग) दक्ष उर्वरक अनुप्रयोग के प्रवर्धन हेतु इफको फसल प्रदर्शन आयोजित करने का प्रस्ताव करती है।

पाकिस्तान द्वारा राकेट दागना

603. **श्री वी. श्री निवास प्रसाद :**
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1994 के "स्टैट्समैन" में "पाक ट्रुप्स फायर सिक्स राकेट्स इन्टू इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दियाला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप हुई जानमाल की क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय किए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हाल ही में पाकिस्तानी सैनिक नियंत्रक रेखा के पार से राकेट दागते रहे हैं। 2 जुलाई, 1994 को पाकिस्तानी सैनिकों ने नौशेरा और कृष्णाघाटी क्षेत्रों में दो-दो राकेट दागे।

(ग) उपर्युक्त राकेट दागने से जीवन और संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई।

(घ) ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।

विदेशी सहयोग के प्रस्ताव

604. **श्री फूलचंद वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और विदेशी सहयोगकर्ता कंपनी तथा भारतीय कंपनी के नाम क्या हैं तथा इनके सहयोग से निर्मित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रवार और राज्यवार कुल कितनी धनराशि के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1991, 1992, 1993 और 1994 (जून तक) में अनुमोदित विदेशी निवेश के प्रस्तावों के क्षेत्रवार ब्यौरों का एक विवरण-I संलग्न हैं। अनुमोदित निजी प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम तथा संबद्ध देश, प्रत्येक प्रस्ताव में विनिर्माण की मद, भारतीय निवेश केंद्र द्वारा अपने "मंथली न्यूजलैटर" में पूरक सामग्री के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। उक्त न्यूजलैटर की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ख) अनुमोदित विदेशी निवेश का कुल मूल्य नीचे दिया जाता है :-

वर्ष	अनुमोदित विदेशी निवेश की राशि (रुपये करोड़ में)
1991	534.11
1992	3887.54
1993	8859.33
1994 (जून तक)	2454.71

अनुमोदित विदेशी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे विवरण-I पर संलग्न विवरण में दिये गये हैं। अप्रैल, 1993 और मार्च, 1994 के बीच अनुमोदित विदेशी निवेश के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं। 1993 से पहले विदेशी सहयोग के राज्यवार ब्यौरे रखे जाते थे।

विवरण-I

क्र.सं.	उद्योग का नाम	1991 राशि (रु. करोड़ में)	1992 राशि (रु. करोड़ में)	1993 राशि (रु.करोड़ में)	1994 राशि (रु.करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग	2.23	58.87	1246.53	167.90
2.	ईंधन	2.30	1504.11	2822.54	401.58
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.72	0.12	53.86	2.97
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रण के अलावा)	–	–	–	2.25
5.	विद्युत उपकरण	101.39	371.84	645.85	157.05
6.	दूर संचार	13.58	119.07	46.98	10.00
7.	परिवहन	20.11	145.36	306.25	63.42
8.	औद्योगिक मशीनरी	55.70	70.71	86.84	32.75

1	2	3	4	5	6
9.	मशीनी औजार	1.97	6.73	12.99	14.81
10.	कृषि मशीनरी	–	5.54	–	–
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	0.08	0.55	0.60	1.23
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	0.84	37.17	40.38	32.39
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	–	63.81	9.27	4.10
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	4.25	3.60	8.17	6.31
15.	औद्योगिक उपकरण	2.07	14.81	1.69	0.84
16.	वैज्ञानिक उपकरण	1.65	32.89	–	–
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	–	–	–	–
18.	उर्वरक	1.00	–	1.66	–
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	146.32	421.17	349.89	193.70
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	–	7.90	10.73	–
21.	रंजक सामग्री	–	0.08	13.58	–
22.	औषध तथा भेषज	0.80	30.17	29.91	28.62
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों सहित)	18.55	139.25	119.21	201.75
24.	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पाद सहित	4.40	20.15	115.27	42.89
25.	चीनी	–	–	53.50	–

1	2	3	4	5	6
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	–	4.99	147.45	10.50
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	54.09	402.22	907.87	90.87
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	3.03	6.13	10.88	9.46
29.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिपेरेशन	–	18.86	0.47	17.52
30.	रबड़ की वस्तुएं	1.09	2.37	54.09	19.82
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	3.14	27.25	17.04	6.29
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	–	–	–	–
33.	कांच	0.75	0.34	49.98	85.44
34.	सिरेमिक्स	12.74	19.38	30.08	15.57
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	12.00	6.79	25.20	177.74
36.	टिम्बर उत्पाद	–	–	0.16	–
37.	सुरक्षा उद्योग	–	–	–	–
38.	परामर्शदायी सेवाएं	5.81	12.16	10.31	2.21
39.	सेवा क्षेत्र	–	67.21	1136.28	551.73
40.	होटल तथा पर्यटन	–	198.77	352.98	69.99
41.	ट्रेडिंग कंपनी	–	5.43	22.57	9.73
42.	विविध उद्योग	63.52	61.74	118.29	23.28
	योग :	534.11	3887.54	8859.33	2454.71

विवरण-II

अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों के राज्य-वार विवरण

राज्य	अप्रैल, 1993 - मार्च, 1994	
	संख्या	निवेश (रु. करोड़ में)
1	2	3
महाराष्ट्र	109	1513.87
दिल्ली	89	955.80
अन्य	61	944.71
उड़ीसा	11	779.59
मध्य प्रदेश	17	582.87
तमिलनाडु	78	558.78
कर्नाटक	43	355.94
आंध्र प्रदेश	43	348.99
गुजरात	30	303.39
हरियाणा	38	133.74
राजस्थान	24	75.77
उत्तर प्रदेश	16	63.79
पश्चिम बंगाल	21	48.30
गोवा	10	36.59
केरल	10	21.89
चंडीगढ़	3	20.02
दादरा और नगर हवेली	2	7.43
पंजाब	7	7.21

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	3	2.62
पांडिचेरी	4	2.18
दमन और दीव	2	1.42
बिहार	2	1.37
अंदमान और निकोबार	1	0.90
असम	2	0.27
योग :	626	6767.43

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

605. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम की हाल में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु 1993-94 तथा 1994-95 में राज्यवार तथा परियोजनावार आबंटित राशि क्या है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में राज्यवार तथा परियोजनावार अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) व (ख) केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। (1) जवाहर रोजगार योजना (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और (3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए इनकी आवधिक समीक्षा की जाती है। इन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए अपनाया गया तंत्र है। (1) आवधिक प्रगति रिपोर्टों/विवरणियों, (2) वित्तीय विवरणियों, आडिट रिपोर्ट (3) गहन फील्ड निरीक्षण, तथा (4) समितियों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्षेत्र अधिकारियों की योजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता, भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को अविलम्ब तथा उचित ढंग से प्राप्त करने के विशेष संदर्भ में प्रमुख कार्यक्रमों की निगरानी रखना है।

(ग) व (घ) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए उपरोक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यवार आबंटित, निधियां तथा निर्धारित लक्ष्य विवरण-I, II, III और IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

1993-94 और 1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन और भौतिक लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94		1994-95	
		कुल आबंटन (लाख रुपये)	भौतिक लक्ष्य सहायता किए जाने वाले परिवारों की सं.	कुल आबंटन (लाख रुपये)	भौतिक लक्ष्य सहायता किए जाने वाले परिवारों की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8416.00	204024	8344.00	166884
2.	अरुणाचल प्रदेश	686.00	16630	623.00	12468
3.	असम	2770.00	67158	2747.00	54938
4.	बिहार	15974.00	387248	16232.00	324640
5.	गोवा	142.00	3446	142.00	2840
6.	गुजरात	3090.00	74909	3063.00	61260
7.	हरियाणा	742.00	17989	736.00	14715
8.	हिमाचल प्रदेश	242.00	5863	240.00	4796
9.	जम्मू और कश्मीर	462.00	11193	1000.00	20000
10.	कर्नाटक	5650.00	136981	5603.00	112055
11.	केरल	2056.00	49836	2038.00	40767
12.	मध्य प्रदेश	10664.00	258521	10573.00	211466
13.	महाराष्ट्र	9174.00	222394	9096.00	181926
14.	मणिपुर	200.00	4848	449.00	8982
15.	मेघालय	192.00	4655	478.00	9567
16.	मिजोरम	288.00	6971	201.00	4027
17.	नागालैंड	300.00	7273	337.00	6737

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	6826.00	165479	6769.00	135382
19.	पंजाब	528.00	12792	523.00	10464
20.	राजस्थान	4430.00	107400	4393.00	87857
21.	सिक्किम	56.00	1352	56.00	1120
22.	तमिलनाडु	7608.00	184436	7543.00	150860
23.	त्रिपुरा	618.00	15000	643.00	12856
24.	उत्तर प्रदेश	20508.00	416354	20335.00	325353
25.	पश्चिम बंगाल	7524.00	182836	7478.00	149552
26.	अंडमान और नि. द्वीप समूह	71.00	1726	71.00	1421
27.	दादर व नगर हवेली	15.00	372	15.00	300
28.	दमन व दीव	28.00	690	28.00	561
29.	लक्षद्वीप	7.00	159	7.00	140
30.	पांडिचेरी	58.00	1407	58.00	1161.
	कुल	109343.00	2569942	109822.00	2115097

विवरण-II

1993-94 और 1994-95 के दौरान जवाहर रोजगार योजना (प्रथम चरण) के अंतर्गत आबंटन और भौतिक लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	1993-94		1994-95	
		कुल आबंटन (लाख रुपये में)	निर्धारित लक्ष्य (लाख श्रम दिन)	कुल आबंटन (लाख रु. में)	निर्धारित लक्ष्य (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24620.09	1025.61	27099.96	946.90

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	322.51	10.01	322.51	9.38
3.	असम	8104.85	228.90	8921.21	211.97
4.	बिहार	48291.40	1467.71	53155.56	1035.22
5.	गोवा	348.46	10.12	348.46	7.84
6.	गुजरात	9037.55	211.40	9947.86	177.45
7.	हरियाणा	2170.94	38.64	2389.61	33.29
8.	हिमाचल प्रदेश	1107.26	33.73	1107.26	28.68
9.	जम्मू व कश्मीर	1571.74	72.75	2250.00	86.36
10.	कर्नाटक	16531.33	718.01	18196.44	415.72
11.	केरल	6238.34	113.47	6620.11	97.10
12.	मध्य प्रदेश	31197.24	766.00	34339.59	723.33
13.	महाराष्ट्र	26839.28	1378.27	29542.68	1231.45
14.	मणिपुर	413.36	14.84	518.46	11.51
15.	मेघालय	483.68	16.89	483.68	7.82
16.	मिजोरम	203.75	5.24	203.75	4.08
17.	नागालैंड	518.46	14.74	518.46	11.51
18.	उड़ीसा	19972.66	557.70	21984.43	522.34
19.	पंजाब	1634.30	29.93	1699.28	25.39
20.	राजस्थान	12961.33	426.66	14266.86	385.21
21.	सिक्किम	188.76	8.19	188.76	6.19
22.	तमिलनाडु	22256.18	853.62	24497.94	727.58
23.	त्रिपुरा	536.90	22.04	536.90	13.19
24.	उत्तर प्रदेश	59998.40	1779.57	66041.76	1165.44

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	22063.20	563.81	24285.53	498.98
26.	अंडमान व निकोबार दीवसमूह	152.70	3.27	152.70	3.05
27.	दादर व नगर हवेली	82.89	2.73	82.89	2.29
28.	दमन व दीव	48.83	1.63	48.83	1.48
29.	लक्षद्वीप	76.55	2.62	76.55	1.38
30.	पांडिचेरी	149.47	5.16	149.47	3.08
	कुल	318122.39	10383.26	349872.39	8389.48

विवरण-III

1993-94 और 1994-95 के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित निधियां और निर्धारित रोजगार लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1993-94* कुल आबंटन (लाख रुपये)	1994-95 कुल आबंटन (लाख रुपये)	निर्धारित लक्ष्य (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6243.75	6243.75	198.33
2.	बिहार	17231.25	17231.25	305.08
3.	गुजरात	3887.50	3887.50	63.04
4.	जम्मू व कश्मीर	853.75	853.75	30.74
5.	कर्नाटक	4715.00	4715.00	97.93
6.	मध्य प्रदेश	15243.75	15243.00	291.90
7.	महाराष्ट्र	10217.50	10217.50	387.19
8.	उड़ीसा	7143.75	7143.75	154.31

1	2	3	4	5
9.	राजस्थान	4568.75	4568.75	112.14
10.	तमिलनाडु	3255.00	3255.00	87.89
11.	उत्तर प्रदेश	8335.00	8335.00	133.11
12.	पश्चिम बगांल	6125.00	6125.00	114.41
	योग	87820.00	87820.00	1976.05

*1993-94 में कोई भौतिक लक्ष्य नहीं रखे गये थे।

विवरण-IV

1993-94 और 1994-95 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय आबंटन और भौतिक लक्ष्य

राज्य		1993-94		1994-95	
		कुल आबंटन (लाख रुपये)	भौतिक लक्ष्य कवर किए जाने वाले गांवों की सख्या	कुल आबंटन (लाख रुपये)	भौतिक लक्ष्य कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4124.00	1269	4644.00	4000
2.	अरुणाचल प्रदेश	746.00	150	842.00	200
3.	असम	1370.00	714	1422.00	1200
4.	बिहार	4856.00	6281	5469.00	10000
5.	गोवा	84.00	55	129.00	100
6.	गुजरात	2656.00	500	3039.00	1500
7.	हरियाणा	1652.00	700	2008.00	1000

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	833.00	570	942.00	900
9.	जम्मू व कश्मीर	2303.00	214	2599.00	500
10.	कर्नाटक	3512.00	5500	4272.00	9000
11.	केरल	1928.00	200	2172.00	600
12.	मध्य प्रदेश	4564.00	5600	5142.00	9000
13.	महाराष्ट्र	5488.00	1000	6182.00	3000
14.	मणिपुर	308.00	170	309.00	250
15.	मेघालय	420.00	560	420.00	700
16.	मिजोरम	210.00	165	236.00	220
17.	नागालैंड	422.00	141	422.00	200
18.	उड़ीसा	2160.00	2500	2434.00	5500
19.	पंजाब	688.00	475	775.00	1000
20.	राजस्थान	6886.00	2195	6222.00	6500
21.	सिक्किम	372.00	139	372.00	200
22.	तमिलनाडु	3268.00	3500	3682.00	6500
23.	त्रिपुरा	350.00	420	350.00	600
24.	उत्तर प्रदेश	7648.00	5084	8616.00	10000
25.	पश्चिम बंगाल	2952.00	2008	3326.00	5000
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	40.00	20	38.00	30
27.	दादर व नगर हवेली	20.00	5	22.00	10
28.	दमन व दीव	95.00	25	13.00	30
29.	दिल्ली	22.00	0	25.00	0
30.	चंडीगढ़	–	0	–	–

1	2	3	4	5	6
31.	लक्षद्वीप	10.00	2	10.00	2
32.	पांडिचेरी	40.00	25	26.00	28
	कुल	60027.00	40187	68160.00	77770

[अनुवाद]

लघु व माध्यम शहरों का विकास

606. **श्री एस.बी. सिदनाल :**
श्री ललित उरांव :
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु व मध्यम शहरों के समेकित विकास के अंतर्गत लघु व मध्यम शहरों की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ शहर-वार तथा राज्यवार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां। छोटे एवं मझौले दर्जे के कस्बों के संघन विकास की योजना (आई डी एस एम टी) के तहत राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विकास हेतु छोटे तथा मझौले दर्जे के कस्बों की पहचान की है। पहचान पाने गए प्राथमिकता कस्बों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आठवीं योजना के दौरान आई डी एस एम टी योजना के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में 145.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। चूंकि केंद्रीय सहायता अनुदान न होकर ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है तथा आबंटन आई डी एस एम टी योजना के मार्गनिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है, अतः कस्बा-बार/राज्य-वार नियतन नहीं किया जाता है। वर्ष में आबंटित की जाने वाली केंद्रीय सहायता बजट संबंधी प्रावधान तथा योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार परियोजना रिपोर्टों की प्राप्ति पर निर्भर है।

विवरण

8वीं योजना के दौरान पता लगाए गए प्राथमिकता कस्बों की राज्य/संघशासित क्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई डी एस एम टी के तहत पता लगाए गए प्राथमिकता कस्बों की संख्या	8वीं योजना के दौरान शामिल करने हेतु अंतरिम संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	33	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	1
3.	असम	17	3
4.	बिहार	40	15
5.	गोवा	3	1
6.	गुजरात	25	11
7.	हरियाणा	10	1
8.	हिमाचल प्रदेश	8	1
9.	जम्मू व कश्मीर	9	2
10.	कर्नाटक	37	15
11.	केरल	20	8
12.	मध्य प्रदेश	35	18
13.	महाराष्ट्र	30	17
14.	मणिपुर	5	1
15.	मिजोरम	20	1
16.	नागालैण्ड	4	1
17.	उड़ीसा	31	4

1	2	3	4
18.	पंजाब	10	6
19.	राजस्थान	30	11
20.	सिक्किम	2	1
21.	तमिलनाडु	19	16
22.	त्रिपुरा	3	1
23.	उत्तर प्रदेश	41	4
24.	पश्चिम बंगाल	25	11
25.	पांडिचेरी	5	1

सेना में साक्षरता योजना

607. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सेना में शत-प्रतिशत साक्षरता लाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सेना में समग्र साक्षरता संबंधी कोई नई योजना हाल ही में शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सेना में पहले ही शत-प्रतिशत साक्षरता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नाफ्था आधारित उर्वरक एकक

608. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए नाफ्था आधारित उर्वरक एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) मैसर्स फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (एफ ए सी टी) ने कोचीन में उद्योग

मंडल में नेफ्था पर आधारित 900 टन प्रतिदिन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए 618.43 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक परियोजना हाथ में ली है। परियोजना वर्तमान पुराने अमोनिया संयंत्रों के प्रतिस्थापन तथा आयातित अमोनिया के विकल्प के लिए है। मार्च 1997 में परियोजना का आरम्भण किया जाना निर्धारित है।

मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (एन एफ सी एल) की फीड स्टाक के रूप में नेफथा पर आधारित काकीनाडा स्थित अपने वर्तमान अमोनिया यूरिया संयंत्र की क्षमता को दुगुनी करने की योजना है। इस विकल्प के साथ जब और जैसे गैस उपलब्ध होगी वे इसे शीघ्र शुरू कर देंगे।

[हिन्दी]

जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

609. **डा. साक्षी जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्यवार और स्थान वार कितनी जल परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवी पंचवर्षीय योजना के दोरान देश में ऐसी कुछ और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) व (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संस्वीकृत और चल रही जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की संख्या और स्थिति			राज्य/केन्द्र द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला की संख्या और स्थान लेकिन अभी चालू की जानी है।
		चलती फिरती	स्थायी (जिला)	स्थान	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	14	कुरनूल, काकीनाड़ा	8 करीम नगर,

1	2	3	4	5	6
				नलगौंडा, महबूब नगर, श्रीकाकूलम, कुडुप्पा विशाखापट्टनम विजयवाड़ा, दारसा तिरूपति, अनंतपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, बारंगल	खम्मम, गुंटूर मेढक, नैलौर आदिलाबाद पश्चिम गोदावरी विजयनगरम
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	पूर्वी सियांग	
3.	असम	1	6	हांलियाकांडी मोंगलडोई (दारंग) उत्तरी लखीनपुर डिब्बरूगढ़, गुवाहाटी (कामरूप) बारपेटा	17 डरूबरी कौकरा झाड़ बोगईगांव, गोलपाड़ा, मालबाड़ी धीफु (करबिआक ग्लोंग) हाफ्लोंग (एन.सी. हिल्स) मोरिगाबोन, टैक्सपुर, सिल्चर करीमगंज गोलपाड़ मौलाघाट जोरहट, शिवसागर, तिनसुखिया, नासौन, धेमाजी
4.	बिहार	–	5	रोहतास, पलामू, गिरडीह, साहेबगंज सिंगभूम	
5.	गोआ	–	1	पसाजी	
6.	गुजरात	1	14	डांग, जामनगर, कच्छ, भावनगर, महसाना, गांधीनगर, बडोदा, अमरेली, बनासकांठा (पालमपुर) खेडा, पंचमहल, सुरेन्द्रनगर राजकोट, साबरकांठा,	2 सूरत भडौच

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	–	4	गुडगांव, हिसार, नारनौल, करनाल	
8.	हिमाचल प्रदेयश	1	2	कांगड़ा, ऊना	
9.	जम्मू व कश्मीर	–	2	अन्तनाग, ऊधमपुर	4 बडगांव, लेह, पुलवाना, राजौरी
10.	कर्नाटक	1	6	गुलबर्गा, बेलगांव धारबाड, मैसूर रायचूर, द॰ कनारा	4 बैगलौर (देहात) हसन, कोलार, टुंकूर
11.	केरल	-	3	अलवर, कोजीकोड, त्रिवेन्द्रम	
12.	मध्य प्रदेश	1	22	राजगढ़, झबुआ, शाहडोल रायगढ़, बेतूल, जगदलपुर भोपाल, रायपुर, उज्जैन गुना, छतरपुर, ग्वालियर रेवा, इन्दौर, बिदिशा, छिंदवाडा, सेहोर, पन्ना मण्डलेश्वर (जिला खारगोन)	27 धार, देवास, शाजाहपुर, राजनन्दगांव, दुर्ग, सागर, बालघाट, मौरेना, भिन्ड, जबलपुर, विलासपुर, होसंगाबाद, खांडवा सिओनी, दतिया रायसेन, खारगोन, संरगुजा, सिधी, मंडसूर, दमोह, बस्तर, रत्लाम, सतना टिक्कमगढ़, सबलपुर
13.	महाराष्ट्र	2	(पूणे नागपुर)	3 चन्द्रापुर, लातूर, सतारा	
14.	मणिपुर	1 (आयातित)	1	दक्षिण मणिपुर	
15.	मेघालय	1	1	पश्चिम खासी	

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	1	1	आइजवाल	
17.	नागलैंड	1	1	कोहिमा	
18.	उड़ीसा	1 (रयागदा)	7	फूलबनी, कोरापुट, बुरला, बारीपाढ़ ब्रह्मपुर, भवानीपटना भुवनेश्वर	6 धेंनकनाल, क्योंझर, बोलांगीर, कटक, बालासोर सुदंरगढ़
19.	पंजाब	-	4	पटियाला, अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर,	3 लुधियाना, होशियारपुर, जालंधर
20.	राजस्थान	2 (रक्षा प्रयोग शाल, जोधपुर के पास एक)	22	अजमेर, चुरू, नागौर, पाली जालौर, भरतपुर, बारमेर जयपुर, जौधपुर, कोटा उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगा नगर, बंसवारा, अलवर, सीकर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधेपुर, सिरोही, जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़	8 राजसमंद डूंगरपुर, टोंक दौसा, बूंदी, धैलपुर बारां, झुनझूनूं
21.	सिक्किम	1	1	गंगटोक	-
22.	तमिलनाडु	1 (कोयम्बटूर)	5	सेलम, एरोडे, मदुरई रामनाथपुरम, दक्षिण आरकोट	8 तिरूनलवेली, धर्मपुरी, तिरूवनामलाई, विलूपूरम, शिवगंगा, विरूछूनगर, पुडुकोटई, नागापट्टनम
23.	त्रिपुरा	1	1	उत्तरी त्रिपुरा	

1	2	3	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश	2	(उत्तर प्रदेश जल निगम के पास एक और आई.टी. आर.सी. लखनऊ के पास एक)	26 चमोली, गढ़वाल, अल्मोड़ा, मुरादाबाद, मेरठ अलीगढ़ मथुरा, आगरा, बदायूं शाहजहांपुर, खेरी ऊन्नाव, लखनऊ, रायबरेली इटावा, कानपुर, झांसी इलाहाबाद, बईराइच, गौड़ा, फैजाबाद, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर वाराणसी मिर्जापुर	26 उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, बिजनौर, रामपुर सहारनपुर, हरिद्वार मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, फर्रूखाबाद, कानपुर नगर, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा फतेहपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, सुलतानपुर, महाराजगंज, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ,
संघ शासित क्षेत्र					
1.	अंडमान-और नि. द्वीप समूह	1	अंडमान द्वीप समूह.		

1	2	3	4	5	6
2.	चंडीगढ़	-	1	चंडीगढ़	
3.	दादर व नगर हवेली	-	1	सिलवासा	
4.	दमन और दीव	-	2	दमन दीव	
5.	दिल्ली	1	1	नजफगढ़	
6.	लक्षद्वीप	-	2	कावारती मिनोकोय	–
7.	पांडिचेरी	-	2	गरीमेडू (पांडिचेरी) करईकल	
	कुल :	22	167		120

मध्य प्रदेश में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

610. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार, विशेष रूप से मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष क्या उपलब्धियां की गयी; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई आर ई पी) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः कुल 266, 352 और 452 ब्लाकों में शुरू किया गया है। शामिल किए गए ब्लाकों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान शामिल किए गए ब्लाकों की संख्या निम्न प्रकार है :-

	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1991-92	21	17
1992-93	29	17
1993-94	37	27

(ख) केंद्र द्वारा प्रायोजित आई.आर.ई.पी. योजना के तहत वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान जारी की गई कुल राशि क्रमशः 4.08 करोड़ रुपये, 6.90 करोड़ रुपये और 7.29 करोड़ रुपये है।

मध्यय प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के लिए इन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि निम्न प्रकार है :-

राशि (लाख रुपयों में)

	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1991-92	30.05	16.52
1992-93	36.41	20.05
1993-94	35.70	20.05

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शामिल किए गए ब्लाकों की संख्या		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12	14	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	6	8
3.	असम	10	13	15
4.	बिहार	7	10	13
5.	गोवा	4	4	4
6.	गुजरात	15	19	19
7.	हरियाणा	14	18	24
8.	हिमाचल प्रदेश	15	24	26
9.	जम्मू व कश्मीर	5	8	13

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	9	15	20
11.	केरल	8	12	14
12.	मध्य प्रदेश	21	29	37
13.	महाराष्ट्र	17	17	27
14.	मणिपुर	4	7	8
15.	मेघालय	6	8	10
16.	मिजोरम	3	4	5
17.	नागालैंड	2	2	3
18.	उड़ीसा	8	8	13
19.	पंजाब	7	13	13
20.	राजस्थान	7	7	11
21.	सिक्किम	3	5	6
22.	तमिलनाडु	11	19	29
23.	त्रिपुरा	5	5	5
24.	उत्तर प्रदेश	48	58	68
25.	पश्चिम बंगाल	7	10	15
	जोड़ राज्य	251	335	429
26.	अंडमान एवं निकोबार	3	4	8
27.	चंडीगढ़	-	1	1
28.	दादर व नगर हवेली	1	1	1
29.	दमन व दीव	1	1	1
30.	दिल्ली	5	5	5

1	2	3	4	5
31.	लक्षद्वीप	1	1	1
32.	पांडिचेरी	4	4	6
33.	उत्तर-पूर्वी परिषद			
	जोड संघ राज्य क्षेत्र	15	17	23
	जोड़ (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	266	352	452

[अनुवाद]

हासन मंगलोर रेल लाइन

611. **श्री एच.डी. देवगौड़ा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या योजना आयोग ने हासन-मंगलौर (कर्नाटक) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) हासन-मंगलोर मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का रेल मंत्रालय का प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है।

हानिकारक जंगली पौधों का उपयोग

612. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने हानिकारक जंगली पौधों, वाटर हायासिन्थ को विमानन ईंधन में बदलने की कोई विधि विकसित की है;

(ख) क्या सरकार ने इन अनुसंधान कार्य की पुनरीक्षा करने हेतु कोई कार्यवाही की है ताकि इन हानिकारक जंगली पौधों को उपयोगी ढंग से निपटाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) द्वारा प्रयोगशाला स्तर पर वाटर हायासिन्थ से 2-3 ब्यूटानिडॉयल के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई है।

(ख) से (घ) बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग में लाने से पहले गहन परीक्षणों के माध्यम से इस प्रौद्योगिकी की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

पाक एजेंटों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में उपद्रव

613. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना खुफिया एजेंसी ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में उपद्रव गतिविधियां जारी रखने में पाकिस्तान का हाथ होने के किसी नए प्रमाण का पता लगाया है;

(ख) क्या पाक अधिकारियों ने इन उपद्रवियों को दक्षिण-पूर्व एशिया से हथियार खरीदने के लिए 1.7 मिलियन अमरीकी डालर की राशि उपलब्ध करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न विद्रोही समूहों को सहायता देने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. का हाथ होने की खबर है। इसके ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्र हित में नहीं होगा।

(घ) इस संबंध में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं :-

(1) नागालैंड, मणिपुर तथा असम में सक्रिय कतिपय विद्रोही समूहों पर "प्रतिबंध" लगा दिया गया है तथा गैर-कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत इन समूहों को "गैर-कानूनी एसोसिएशन" के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।

(2) सशस्त्र सेना (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के तहत प्रभावित क्षेत्रों को "उपद्रवग्रस्त क्षेत्र" घोषित कर दिया गया है।

(3) अतिरिक्त सुरक्षा बल शामिल किए गए हैं।

(4) सूचनाओं का आदान-प्रदान करने तथा प्रति-विद्रोही कार्रवाइयों में कारगर ढंग से समन्वय किए जाने के लिए राज्य/जिला स्तर की समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

(5) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किए जाने के लिए कुछ वित्तीय सहायता भी दी गई है।

स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है तथा समय-समय पर इसकी समुचित स्तरों पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

614. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री बलराज पासी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रतिरक्षा विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया है कि पड़ौसी देश द्वारा किसी भी प्रक्षेपास्त्र हमले का पूरी तरह मुकाबला करने के लिए भारत को प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति क्या है; और

(ग) "पृथ्वी" और "अग्नि" की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने चार प्रक्षेपास्त्रों नामतः पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश तथा नाग को विकसित करने हेतु चुना है। इन प्रक्षेपास्त्रों को एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। प्रक्षेपास्त्र तकनालॉजी को और अधिक विकसित करने के बारे किसी रक्षा विशेषज्ञ ने कोई विशिष्ट विचार व्यक्त नहीं किए हैं।

(ख) सरकार की नीति, निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों तथा संबद्ध तकनालॉजियों के क्षेत्र में धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

(ग) सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "पृथ्वी" के प्रयोक्ता परीक्षण चल रहे हैं। प्रयोक्ता परीक्षण के एक हिस्से के रूप में "पृथ्वी" के दो उड़ान परीक्षण 4 और 6 जून, 1994 को सफलतापूर्वक कर लिए गए हैं। पुनः प्रवेश तकनालॉजी प्रदर्शक अग्नि के 19 फरवरी, 1994 को तीसरा उड़ान परीक्षण करने के साथ ही अग्नि परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

मझगांव डाक लिमिटेड

615. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव डाक लिमिटेड को (एम.डी.एल) नौवहन अधिकारियों से जलयान निर्माण के आर्डर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और गत कुछ वर्षों से विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता करने और जलयान निर्माण हेतु निर्यात आर्डर प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इसकी क्षमता उपयोग और कार्यबल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या मझगांव डाक लिमिटेड के अधिकारियों ने हाल ही में इस मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो मझगांव डाक लिमिटेड की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) मझगांव डाक लिमिटेड में पोत, निर्माण/फिटमेंट के विभिन्न चरणों में है इसलिए यह सही है कि कुछ स्तरों पर जैसे कि हल निर्माण में कुछ उपयोग में न आ रही क्षमता विद्यमान है। समग्रतः क्षमता का उपयोग लगभग सत्तर प्रतिशत है। नए पोतों पर काम, डिजाइन तैयार करने उसे वैध करने आदि जैसी तकनीकी अपेक्षाएं पूरी करने के बाद ही शुरू किया जा सकता है मझगांव डाक लिमिटेड विदेशों से भी पोत निर्माण कार्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है परन्तु युद्ध पोत निर्माण की मंदी के दौर में विदेशी शिपयार्डों द्वारा कम मूल्य पर प्रस्ताव रखने के कारण अभी तक पोत निर्माण के आर्डर को प्राप्त नहीं कर सका है।

12-01 म.पू.

प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में—जारी

[अनुवाद]

"(व्यवधान)"

अनेक माननीय सदस्य : संयुक्त संसदीय समिति की बात समाप्त हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमें यह बताया जाये कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। यह सभा क्या कर सकती है ?

श्री जसवंत सिंह : इस पर पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है, उस बारे में मुझे आपको वही बताना है जो में पहले भी बता चुका हूं कि इस संसद जैसी सभा के समक्ष ऐसे अवसर आते हैं, जब आपको प्रक्रिया से ऊपर उठकर निर्णय लेने होते हैं। मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं और मैं यह मानता हूं कि आप नियमों से बंधे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही नाजुक विषय है। आप यह कह रहे हैं कि आपने ऐसा किया है और वैसा किया है। मैं जानता हूं कि अध्यक्ष को बहुत-सी वैवेकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और यदि मैं आपकी इच्छानुसार अपनी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करता हूं, तब क्या होगा ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध नहीं कर रहा हूं कि वह उन विशाल शक्तियों का प्रयोग करें जो हम सभी ने आपको दे रखी हैं।

अध्यक्ष महोदय : और नियमों ने ऐसा किया है।

श्री जसवंत सिंह : और नियमों ने ऐसा भी किया है। लेकिन हम इसलिए अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि आपने दोनों तरफ से तीस सदस्यों को नियुक्त किया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं किया। इस सभा ने किया है।

श्री जसवंत सिंह : सभा ने ऐसा किया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने इसकी घोषणा की थी क्या मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को स्मरण करा सकता हूं कि घोषणा करते मसय इस समिति को गठित करते समय, इन्होंने इस सभा को यह आश्वासन दिया था और जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उस पर हुई चर्चा के दौरान, इन्होंने यह कह कर इस सभा को आश्वासन दिया था। मैं इस सभा को यह आश्वासन देता हूं कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अठारह महीनों तक इस समिति ने बहुत मेहनत की है। समिति का यह सर्वसम्मत निर्णय इसके निष्कर्षों का लघुतम रूप है। यह जो गलत कार्य किया गया है। उसका बहुत ही छोटा रूप है। इसके बड़े रूप को नहीं दर्शाया गया है। और भी कई गलत कार्य हैं जोकि सिद्ध किये गये हैं। सर्वसम्मति के नाम पर हम यह निर्णय ले पाये कि उन बातों को एक तरफ रख दिया जाये। हमारी यह सामूहिकता जो कि सत्ता पक्ष से संबंधित नहीं है, बड़ी आसानी से एक असहमति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकती थी। एक ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती थी जिसमें सरकार की, इस प्रतिवेदन की तुलना मे, कई गुना अधिक आलोचना का उल्लेख मिल सकता था। हमने इस सभा के लिए अपने कर्त्तव्य को पूरा किया और हमने सर्वसम्मति से इसलिए अपना यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया क्योंकि हम इस उत्तरदायित्वों की गंभीरता के प्रति सजग थे जो, इस सभा ने हमें सौंपा था। यदि हमने सर्वसम्मति से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, तो यह हमारे निष्कर्षों का लघुतम रूप है। निष्कर्षों के इस लघुतम रूप पर यह की गई कार्यवाही प्रतिवेदन, इस सभा और हमारी चिंता दोनों का अनादर है और सत्ता पक्ष द्वारा उस प्रत्येक आश्वासन से पीछे हटने वाली बात है जोकि उन्होंने इस सभा को दिये हैं। यदि स्थिति असाधारण है, यदि इस सभा के सामने असाधारण प्रश्न उठाये

जाते हैं, तब आप साधारण नियमों को लागू करके इस असाधारण स्थिति का किस तरह से उत्तर दे सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न मुझसे कर रहे हैं। मेरा इसका उत्तर देने का विचार है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा, मैं तो उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं।

अतः जिस समय माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सुझाव दिया था और यहां पर उपस्थित मेरे साथियों ने सुझाव दिया था कि यह प्रतिवेदन संसद का इस कदर अपमान है कि पहला काम तो यह किया जाना चाहिए कि अपमान के इस कृत्य पर विचार करने से पूर्व सरकार को इस प्रतिवेदन को वापिस ले लेना चाहिए। तत्पश्चात् यह संसद इस बात पर विचार करने के लिए स्वतन्त्र है कि इस सरकार के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए जिसने इस संसद का अपमान किया है। यह मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः सदस्यों को अध्यक्ष से प्रश्न नहीं पूछने चाहिए और नियमों के अनुसार अध्यक्ष को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह प्रश्नों के कारण अथवा उनका उत्तर बतायें। लेकिन चूंकि श्री जसवंत सिंह जी ने यह प्रश्न पूछा है और प्रत्येक सदस्य इसमें दिलचस्पी रखता है, इसलिए मेरे विचार से सभी सदस्यों को पहले इस प्रतिवेदन को पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात है कि उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि इस प्रतिवेदन को क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि यदि सरकार यह करना चाहती है कि कतिपय सिफारिशों को क्यों स्वीकार किया जा सकता है, तो उन्हें इसके कारण बताने चाहिए और यदि वे यह कहना चाहते हैं कि कतिपय सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो उसके लिये भी उन्हें कारण बताने चाहिए और केवल तभी यह सभा इस बारे में निर्णय ले सकती है कि क्या किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : महोदय, एक नया प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : हमें गंभीर मामलों के प्रति गंभीरता दर्शानी चाहिए। आप कृपया प्रतिवेदन को सावधानी से पढ़िये और फिर तैयार होकर आयें तब जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसे बलपूर्वक और निश्चयपूर्वक कहिये और तब सरकार भी जिस तरह से वे चाहते हैं, बलपूर्वक और निश्चयपूर्वक उसका प्रतिवाद करें और तब हम निर्णय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आज खुशी की बात है कि पहली बार ऐसे गम्भीर मुद्दे पर प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद हैं। हम उनकी उपस्थिति से लाभ भी उठाना चाहेंगे। एक घण्टे से सदन में बहस चल रही है और मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि मेरे जैसा आदमी बहुत टैक्नीकलिटीज में नहीं जाता है लेकिन एक बात तो तय है कि गंगा यदि गंगोत्री में ही गंदी हो जाए तो गंगा का पानी कभी साफ नहीं रह सकता है। आज गंगोत्री के ऊपर उंगली उठी हुई है और जे.पी.सी. की रिपोर्ट मामूली रिपोर्ट नहीं है। प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि

करप्शन के मामले में किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जायेगा, वैसे कथनी और करनी में अंतर हो सकता है लेकिन प्रधान मंत्री जी ने यह बार-बार कहा है।

मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप हाउस के माइण्ड को समझ रहे हैं, मैम्बर्स कितने आक्रोश में हैं और आक्रोश चेयर के प्रति नहीं है। मैं समझता हूं आक्रोश एक व्यवस्था के प्रति है जिस व्यवस्था का उदाहरण जे.पी.सी. की रिपोर्ट में दिया गया है और वह व्यवस्था जो फेल हो गई है, प्रधान मंत्री की रिपोर्ट के मुताबिक उसके प्रति हम लोगों को गुस्सा है और उस व्यवस्था को हम सुधारना चाहते हैं और सदन भी उसके प्रति चिन्तित है। मेरा सीधा एक लाइन में आपसे आग्रह है कि प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। प्रधान मंत्री को बहुत ही उदारता के साथ और सीरियसली भी कहना चाहिए, आपने ठीक कहा है कि हम लोगों ने रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है, मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने भी रिपोर्ट को नहीं पढ़ा होगा।

यदि रिपोर्ट को पढ़ा है, तो फिर जो रिपोर्ट में लिखा गया है और सरकार का जो जवाब है, उसकी गम्भीरता को इन्होंने यदि समझा हो, हमारे साथियों के जो ऐलीगेशन हैं सरकार जान-बूझ कर जो कल्प्रित है, चाहे बड़े-से-बड़े पद पर बैठे हुए हों, उनको बचाने का काम कर रही है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार इस रिपोर्ट को वापिस ले।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना पढ़े ही सरकार को बोल रहे हैं कि वापिस ले।

श्री राम विलास पासवान : हम आपके माध्यम से सरकार को कह रहे हैं, प्रधान मंत्री जी से कह रहे हैं। **"(व्यवधान)"** प्रधान मंत्री जी रिपोर्ट को वापिस लें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सदन को एडजार्न करें और लीडर्स को बुलायें तब जाकर कोई निर्णय होगा। तब तक मैं नहीं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कैबीनेट को इसे पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या कैबीनेट के सदस्यों ने प्रतिवेदन को पढ़ लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है।

"(व्यवधान)"

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे मन में हिचकिचाहट थी, चूंकि मैं जे.पी.सी. का सदस्य था, कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं। जसवंत सिंह जी और निर्मल जी के बोलने के बाद, पहले तो हम लोग बोले नहीं थे, पिछले सदन में"

अध्यक्ष महोदय : वह सन्देह मेरे मन में अभी भी है।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय मैं आपके जरिए सदन के समक्ष कुछ बुनयादी सवाल उठाना

चाहता हूं। जेपीसी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। जसवन्त जी, निर्मल जी को सुनने के बाद, मुझे याद है, चाक्को जी, पाणिग्रही जी और देवरा जी जेपीसी में कांग्रेस के सदस्य थे, हम लोगों ने दस्तखत किए हैं संसदीय इतिहास में इस तरह की यह पहली रिपोर्ट है। मैं आपको खास करके, अध्यक्ष जी, धन्यवाद देता हूं आपने भी एक अनप्रिसिडेंटेड डिसीजन लिया, स्पीकर के नाते पहले जेपीसी में मंत्री नहीं आ रहे थे आपने इसकी अरजेंसी को देखकर क्योंकि सारे देश का दिल-दिमाग इस ओर लगा था कि जेपीसी क्या कर रही है, यह निर्णय लिया। मैं मिर्धा जी को भी धन्यवाद देता हूं।

उन्होंने हर दिन प्रैस को ब्रीफ किया और सारे राष्ट्र को बताया, कि जेपीसी क्या कर रही है। मैं प्रोसीजन पर नहीं हूं। हमको तकलीफ है, हमारे दोस्त पार्लियामेंट्री मिनिस्टर नहीं थे, प्रोसीजर का यह मामला अलग ही है। अध्यक्ष जी, मैं यह बात बहुत दुखी मन से कह रहा हूं। आप संसद के प्रजातन्त्रीय मूल्यों को बरकरार रखने के लिए 1951 के इस मामले को देखें। जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से संसदीय नैतिक मूल्यों का चेहरा घटता जा रहा है। मैं आपकी खिदमत में, प्रधान मंत्री जी की खिदमत में, एक ही बात कहना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी जब बाहर एड्रेस कर रहे थे, तो वे बोले कि नेहरू जी के सारे आदर्शों को मान रहे हैं। मैं आपका ध्यान कॉल एंड शकधर के पृष्ठ 284 की ओर दिलाना चाहता हूं और आप बैठकर मावलंकर जी को याद करिए। एक सदस्य कांग्रेस के थे और उनका नाम है-श्री एच.जी. मुदगल, मामला 1951 का है। मैं संसद में कहना चाहता हूं, मुदगल का इतना ही करप्शन था कि बम्बई की बुलियन मार्केट का कोई ब्रीफ लेकर संसद में कुछ काम किए हैं। नेहरू जी ने एक कमेटी एप्वाइन्ट की। कॉल एंड शकधर किताब के पृष्ठ 284 पर लिखा है :

[अनुवाद]

1951 में अंतःकालीन संसद ने अंपने एक सदस्य श्री एच.जी. मुदगल के आचरण तथा कार्यवाहियों के संबंध में जांच-पड़ताल करने के लिए एक तदर्थ समिति की नियुक्ति की। इस सदस्य ने किसी व्यापार संघ के साथ लेन-देन किया था, जिसमें संघ की ओर से कुछ समस्याओं के संबंध में समर्थन प्राप्त करने और प्रचार करने के लिए उसे कुछ कथित व्यापारिक लाभ प्राप्त होने थे।

[हिन्दी]

इसकी तुलना में हम लोगों ने सर्वसम्मति से जेपीसी में जो फैसला दिया है और देश के समक्ष रखा है, क्या यह हजार गुना ज्यादा भ्रष्ट नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में सदस्य ने कुछ लाभ प्राप्त किये थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं कह रहा हूं एडवांटेजेस लिया था। "**(व्यवधान)**" जेपीसी की रिपोर्ट

में मंत्रियों का जिक्र था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लालबहादुर जी ने रेलवे एक्सीडेंट के चलते इस्तीफा दिया था, क्या वह इसके लिये खुद जिम्मेदार थे ? **"(व्यवधान)"** मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय मूल्यों पर, बुनियादी मूल्यों पर यहां बहस हो रही है। यह कोई प्रोसिजर की बात नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि मुदगल को संसद से हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मावलंकर जी ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट दिया, राय दी। मैं आज इसलिए इसको यहां पर उठा रहा हूं कि मैं खुद तकलीफ में हूं। क्योंकि जेपीसी कमेटी में मैं भी था। मैं कांग्रेस सदस्यों को बधाई देता हूं। आज जिस तरीके से जसवंत जी बोले मैं भावुक नहीं होना चाहता हूं। मैं जसवंत सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं। सारे सदस्यों ने मिलकर इस पर सर्वसम्मत फैसला दिया था। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक्शन टेकन रिपोर्ट देते समय इतना भी इस पर नहीं सोचा कि देश में संसदीय प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं। बाहर से यह आवाज आ रही है,

[अनुवाद]

हम सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पार्टीबाजी से ऊपर नहीं उठ रहे हैं।

[हिन्दी]

यह सर्वसम्मत फैसला था। हमने कांग्रेस सदस्यों से मिल करके फैसला दिया था इसलिए इस पर सोच करके देशवासियों के समक्ष राय देनी चाहिए थी कि सरकार भी सिंसियर है। यह पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला है जब कि मुदगल जी ने तो कुछ हजार रुपये का घोटाला किया था। हम लोगों ने संसद में बैठ करके 1951 में जो मूल्य संसद के जरिए दुनिया के समक्ष स्थापित किए थे क्या उस पर हम लोग नहीं सोचेंगे।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह कोई प्रोसीजर का सवाल नहीं है। मैं शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि वह संसदीय कार्यमंत्री हैं। यह नियम 184 या 193 का सवाल नहीं है। यह तो पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाले का सवाल है,

[अनुवाद]

क्या हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर यह नहीं कह सकते कि हम संसद सदस्य सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पार्टीबाजी से ऊपर उठते हैं।

[हिन्दी]

यह पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है इस सारे मामले में चालीस हजार करोड़ रुपया साधारण लोगों का भी गया है। इसलिए मैं आपसे तथा प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस बारे में सोचें। मैं प्रोसिजर में नहीं जाता हूं कि उन्होंने पैसा लिया था या नहीं लिया था लेकिन यह पांच हजार करोड़ रुपये की बात है। अभी हमारे मित्र इन्द्रजीत जी ने कहा कि यह तो बोफोर्स का दादा का दादा है।

[अनुवाद]

हम पार्टीबाजी से ऊपर नहीं उठ रहे हैं।

[हिन्दी]

यह ऐक्शन टेकन रिपोर्ट को देख करके देशवासी क्या कहेंगे ? संसद का क्या होगा ? इसका दुनिया में क्या मेसेज जायेगा ? मैं सदन का रुख देख करके इतनी ही आपसे विनती करूंगा तथा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी कमेटी में जो मेम्बर थे, उनकी इज्जत और संसद की इज्जत को ध्यान में रख करके मेहरबानी करके इसको वापस लें, उसके बाद फिर आप नेताओं को बुला करके बात कर सकते हैं इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, मैं आपको अनुमति दूंगा। पहले मैं प्रतिभा पाटील जी की बात सुनूंगा।

श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटील : (अमरावती) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त संसदीय समिति इस सभा द्वारा गठित की गई थी और उसमें लगभग 30 सदस्य थे। जिन्होंने इस तमाम मामले की छानबीन की है। संयुक्त संसदीय समिति को यह कहा गया था कि वह सही स्थिति का पता लगाये और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें क्योंकि पूरी सभा स्थिति का अध्ययन करने और तथ्यों का पता लगाने के लिए बैठकें नहीं कर सकती थीं। इसका पता लगाने और इसकी छानबीन करने तथा अपनी जांच से इस सभा को अवगत कराने के लिए संयुक्त संसदीय समिति को प्राधिकार दिये गये थे। अतः संसद के लिए किसी किस्म का निर्णय लेने के लिए संयुक्त संसदीय समिति को समूची संसद पर हावी होने के अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतः यह हमारा अधिकार है। मेरे जैसे कई सदस्य हैं जो संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य नहीं थे। अतः हम यह जानना चाहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष वास्तव में क्या-क्या हुआ है और सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। इस पर चर्चा करना हमारा अधिकार है। हम इस पर चर्चा करने का अपना अधिकार खोना नहीं चाहते। यह जानना इस सभा के प्रत्येक सदस्य का विशेषाधिकार है कि क्या-क्या हुआ है और जो कुछ हुआ है, उस पर चर्चा करें और कोई भी व्यक्ति अंतिम निर्णय नहीं ले सकता।

यदि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो हम यह भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। यहां पर विराजमान हममें से प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार यह विशेषाधिकार है कि वह इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर सकता है। और चूंकि यहां पर विराजमान हममें से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्राप्त है, इसलिए हम इस अधिकार को खोना नहीं चाहते। हमें यह अधिकार इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि हम इस सभा के निर्वाचित सदस्य हैं। और हम चर्चा करने का अपना अधिकार खोना नहीं चाहते। यदि किसी चीज पर चर्चा नहीं की जाती है और इस तरह से निर्णय ले लिये जाते हैं तो यह बहुत ही अनुचित होगा और इस संसद के इतिहास में यह एक सबसे बड़ी असंसदीय प्रथा होगी। अतः ऐसा करना प्रथाओं के विपरीत होगा।

श्री बूटा सिंह : इस सभा के समक्ष आज एक ही मुद्दा है जिस पर यह सभा चर्चा कर रही है। इस मुद्दे पर हमने व्यापक चर्चा की है और प्रत्येक दल ने चर्चा में भाग लिया है। मैंने भी भाग लिया है और मैंने भी अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं। जिनकी सरकार की की गई कार्यवाही प्रतिवेदन से अभिपुष्टि भी हो गयी है। महोदय जो माननीय सदस्य आज बोलने के लिये खड़े हुए हैं, लगभग उन सभी से आपने ठीक ही प्रश्न पूछा है। आपका प्रश्न उन संवैधानिक मानदण्डों के तहत आता है जिनके अन्तर्गत यह सभा कार्य करती है। यह सभा कतिपय प्रक्रियाओं से बाहर कार्य नहीं कर सकती। और आपने ठीक ही प्रश्न पूछा है : "कृपया मुझे बतायें कि इस सभा को क्या करना चाहिए ?" महोदय, इस मामले में मेरी राय यह है और मैंने पहले भी उस समय इस सभा के बीच यह कहा है, जिस समय मैं चर्चा में भाग ले रहा था, जो सदस्य संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे, उस समय उन्होंने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा था, कि संयुक्त समिति के इस प्रतिवेदन में दलगत मनोवृति की झलक दिखाई देती है और आज भी कुछ हमारे सामने है, वह कुछ और न होकर केवल विपक्षी दलों की राजनैतिक मनोवृति ही है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह घोर आपत्तिजनक बात है।

श्री बूटा सिंह : किसी-न-किसी तरह से वे यह चाहते हैं कि आगामी चुनावों तक यह मुद्दा चलता रहे। विपक्षी दलों की यह चाल है। महोदय, सरकार ने जो कुछ किया है, वह बहुत ही स्पष्ट है।

मैंने प्रतिवेदन को पढ़ा है। मैं नहीं जानता कि क्या विपक्ष में बैठे मेरे वरिष्ठ साथियों ने इसे पढ़ा है अथवा नहीं। लेकिन मैंने तो इसे पढ़ा है। महोदय, सरकार का जो दायित्व बनता है, उसे नियमानुसार पृष्ठ I पर पैरा 5 में स्पष्ट किया गया था। मैं आधे मिनट के लिए आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। पैरा 5 के अन्तर्गत यह कहा गया है :

> "सरकार समिति की इस चिंता से सहमत है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनका पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें भारी सजा दी जानी चाहिए। सरकार ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से कार्य किया है। जून, 1992 में एक विशेष अदालत अध्यादेश प्रत्यापित किया गया था और बाद में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उसे अधिनियम में परिवर्तित किया गया था कि घोटाले से जुड़े मामलों के बारे में तेजी से अभियोजन चलाया जा सके तथा अधिसूचित व्यक्तियों तथा उन सभी व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी जा सके। जिनके नाम विभिन्न जांच मामलों में सामने आये हैं।"

अब महोदय, हम विभिन्न स्थितियों पर विचार करेंगे। संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, सभा ने इस पर चर्चा की, सरकार को इस पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया। सरकार ने कार्यवाही की, सरकार ने बहुत ईमानदारी और गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी के साथ शीघ्रता से 'की गई कार्यवाही' प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए। महोदय मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम इससे अधिक और कुछ करने की सोचते हैं तो वह काम सभी संवैधानिक सीमाओं से बाहर हो जाएगा। सरकार इससे

अधिक कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। मैं सरकार को आगे कोई कार्यवाही करने का परामर्श नहीं दूंगा। एक बार फिर आपने सरकार से पूछा है कि क्या उनके पास उन सिफारिशों पर कुछ कहने के लिए है जिनको सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। यदि सरकार चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है पर कोई भी उसे मजबूर कर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह कहता हो कि यदि संसदीय समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मत हो तो सरकार को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा ?

सरकार द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट पर बहुत ईमानदारी से चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल यह निर्णय ले सकता है कि वह चाहे तो रिपोर्ट के किसी भाग को स्वीकृति दें अथवा रिपोर्ट के जितने भी अंश को वह स्वीकृति दे सकते हैं, दें। वे इसे पूर्ण रूप से भी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि सरकार के पास समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार न करने के वैध कारण हैं तो उस स्थिति में देश के संविधान में कोई नियम ऐसा नहीं है जिसमें सरकार को उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। महोदय, आखिरकार, सरकार को कानून के अन्तर्गत कार्य करना है। सरकार कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती है। यह सभा प्रीवि काउन्सेल नहीं है। समिति निर्णायक नहीं थी। यह इस सभा की समिति थी। अधिक-से-अधिक समिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार को उसका अनुपालन करने के लिए कहा गया। सरकार ने उसका पालन किया और अब 'की गई कार्यवाही'--रिपोर्ट सभा के सामने है। यदि ऐसे मामले हैं तो उसके लिए न्यायालय है। यह यहां का कानून है। इन सभी लोगों को यहां के कानून के अन्तर्गत नियमित तथा विशेष न्यायालयों द्वारा सजा दी जाएगी। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें अधिक सरकार इस विषय में क्या कर सकती है ?

इसलिए, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहता हूं कि इस मामले पर ध्यान न दें। यह मुद्दा सरकार के विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक हथियार बनने जा रहा है और हम इस मामले को खींचना नहीं चाहते हैं। यह चर्चा अन्तिम होनी चाहिए और इसे यहीं और अभी समाप्त हो जाना चाहिए। अपराधियों को देश के कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए न कि विपक्षी दलों की इच्छा के अनुसार।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही रिपोर्ट के गुणावगुणों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है, सभा के समक्ष मुख्य विषय यह है कि अब क्या करना है।

जहां तक कि इस सभा का संबंध है 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण कोई नई बात नहीं है। हमारे पास अनेक समितियां हैं जो कि रिपोर्ट तैयार करती हैं और सरकार उन समितियों को 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति स्थायी समिति नहीं थी। इसलिए 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट सभा को प्रस्तुत की जानी थी न कि संयुक्त संसदीय समिति को। यदि यह स्थायी समिति होती तो 'की गई कार्यवाही' प्रतिवेदन उस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता और जहां तक कि उनकी सिफारिशों का संबंध है, उस समिति ने उस मामले पर विचार किया होता। लेकिन,

जैसा कि मैंने कहा है यह स्थायी समिति नहीं थी। इसलिए जब वह रिपोर्ट सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई तो वह सभा की सम्पत्ति बन गई और जो कुछ भी कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है उसका उल्लेख यहां किया जाएगा। मुझे हैरानी है कि आप कैसे कह रहे हैं कि 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट को वापस लिया जाए। यह सरकार द्वारा 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट आपको दी गई है। अब चाहे वह रिपोर्ट आपके लिए संतोषजनक है और चाहे सरकार द्वारा 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट आपके लिए संतोषजनक है यह एक अलग मामला है ?

श्री राम विलास पासवान : कार्यवाही कहां हैं ?

श्री शरद दिघे : इसलिए, किसी भी तरह से इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यही वह कार्यवाही है जो कि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की है। और इसलिए सरकार आपको यह रिपोर्ट देती है कि यह कार्यवाही हमने की है।

यदि कोई कार्यवाही न भी की गई होती तो भी बहुत से निर्णय तो हैं ही यह एक 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट है। मैं संसदीय पुस्तकों से हवाला दे सकता हूं कि कोई कार्यवाही न होना भी 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट में शामिल होता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं श्री शरद दिघे जी, इस मामले में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

श्री शरद दिघे : इसलिए इस मामले में, सभा के सामने एक ही रास्ता है कि वे चर्चा करें और इस मामले पर विचार-विमर्श करें। यह कहकर कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं है, आप इस मामले पर बार-बार विचार कर सकते हैं। हम इस पर पुनः विचार करेंगे। 'सरकार द्वारा की गई समिति कार्यवाही के लिए वे अपना तर्क देंगे। इसलिए जहां तक कि सरकार द्वारा की गई समिति कार्यवाही, पूरी कार्यवाही अथवा असंतोषजनक कार्यवाही का संबंध है, रिपोर्ट हमारे सामने है। यह सभा का कार्य है कि वे चर्चा करें और यदि आप चाहते हैं तो यह कहकर सरकार पर फिर दबाव डालें कि 'कार्यवाही संतोषजनक नहीं है कृपया मामले की ओर आगे जांच करें। 'जहां तक कि संसदीय प्रजातंत्र का तरीका है तो यही तरीका है।' मेरी समझ में नहीं आता कि आपने यह कब कहा कि इस रिपोर्ट को वापस लिया जाए अथवा इस रिपोर्ट को समाप्त किया जाए। यह संसदीय तरीके नहीं हैं। यह निर्णय लेना कार्य-मंत्रणा समिति का कार्य है कि इस रिपोर्ट पर नियम 184 अथवा नियम 192 के अन्तर्गत चर्चा की जानी चाहिए अथवा नहीं। इस रिपोर्ट से निपटने का यही संसदीय तरीका है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, सभा के सामने एक रोचक मुद्दा है। सभा द्वारा सभी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। संयुक्त संसदीय समिति ने माननीय सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर बहुत कम चर्चा हुई। हमारे कुछ माननीय मंत्री जिनका हवाला दिया गया था, को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया था। इसके पश्चात् सरकार ने कुछ कार्यवाही की। मुद्दा यह

है कि सभा द्वारा नियुक्त समितियों तथा आयोगों की रिपोर्टों के लिए सरकार बाध्य नहीं है। सिफारिशें की गई हैं। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने कार्यवाही की और अब सभा के समक्ष 'की गई कार्यवाही' प्रतिवेदन प्रस्तुत है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि दूसरी ओर के मेरे विद्वान मित्र यह कैसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट को वापस लिया जाए। घड़ी की सुईयों को वापस लाया गया। यह सभा की सम्पत्ति है। इसलिए, ज्यादा-से-ज्यादा वे यह कह सकते हैं कि हमें इस रिपोर्ट पर चर्चा करनी चाहिए। मेरा मतलब है, कि इन सबके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है जैसा कि बोफोर्स मामले में था। इसलिए बहुत विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मुद्दा समाप्त हो चुका है। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

श्री पी.जी. नारायणन (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय, यह सही है कि यह कोई साधारण कांड नहीं है इसमें करोड़ों का घोटाला है। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट असंतोषजनक है। संयुक्त संसदीय समिति इस सभा द्वारा गठित की गई है। संयुक्त संसदीय समिति ने एक वर्ष तक बहुत मेहनत से कार्य किया और सर्वसम्मति से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को सरकार ने जिस तरह से लिया वह आश्चर्यजनक है। मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति का सम्मान नहीं किया। सरकार से यह उम्मीद नहीं थी। लोग देख रहे हैं। लोगों तक गलत संदेश नहीं पहुंचाने चाहिए। इसलिए, सरकार द्वारा मामले पर पुनः विचार करना बेहतर है और यह रिपोर्ट वापस ली जा सकती है। **(व्यवधान)**

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : लोग ए आई ए डी एम के सरकार के कार्य को भी देख रहे हैं।

श्री पी.जी. नारायणनन् : आप तो वहां अपनी जमा पूंजी भी खोते जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री ए. चार्ल्स : (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इस पर गंभीरता से चर्चा की जानी चाहिए। यह सत्य है कि दूसरी ओर के अधिकतर सदस्यों की यह धारणा है कि सत्ता पक्ष को इस प्रणाली की विश्वसनीयता का कोई ख्याल ही नहीं है और जहां पर संयुक्त संसदीय समिति ने गंभीर तथा कड़ी आलोचना की है, वहां हम उपयुक्त कार्यवाही करने के इच्छुक नहीं हैं। मुझे केवल 11 बजे के बाद ही इस रिपोर्ट की प्रति मिली थी, जब मैं यहां आया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसको पढ़ने के बाद बोलेंगे।

श्री ए. चार्ल्स : मैं जहां भी आवश्यक हो अपनी टिप्पणी दे सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे आपके कायदे के लिए इसे संक्षेप में कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया यह न बतायें कि रिपोर्ट में क्या है। कृपया यह बताइए कि हमें यहां क्या करना चाहिए।

श्री ए. चार्ल्स : यदि आप मुझे दो मिनट दें तो मैं अपना सुझाव दे सकता हूं। मैं दो मिनट से अधिक समय नही लूंगा। इस मुद्दे पर मैं बताना चाहता हूं कि, आरम्भिक भाग में यह कहा गया है कि :

> "संयुक्त संसदीय समिति ने 273 टिप्पणियां/निष्कर्ष/सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। प्रत्येक को 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट में क्रमानुसार सूचीवद्ध किया गया है और सरकार की प्रतिक्रिया दी गई है।"

इसलिए सभी 273 सिफारिशों पर सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और उनकी टिप्पणियों, निष्कर्षों और मूल्यांकन को यहां प्रस्तुत किया गया है। अन्तिम अनुच्छेद में यह कहा गया है :

> " 'की गई कार्यवाही' रिपोर्ट में प्रत्येक मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इसमें संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विभिन्न प्रणालियों में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए व्यापक उपचारात्मक उपायों को भी उल्लेख किया गया है।"

इसलिए, सरकार ने अपनी ओर से समिति की सिफारिशों पर पूर्ण विचार किया है। विपक्ष की राय में, यदि की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं है तो यह एक अलग मामला है।

श्री अनिल बसु : (आरामबाग) आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, कृपया बताइए कि किन-किन मुद्दों पर कार्यवाही की गई है ?

श्री ए. चार्ल्स : यदि चर्चा के बाद यह पाया गया कि कुछ कार्यवाही की आवश्यकता है और कुछ कार्यवाही संतोषजनक नहीं है और यदि कुछ और कार्यवाही की जानी है तो यह इस माननीय सभा का कार्य है कि वे ऐसी सिफारिशें प्रस्तुत करें। इसलिए मेरी विनम्र राय में इस रिपोर्ट को अस्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल यही उपाय है कि रिपोर्ट पर चर्चा की जाए। किस तरीके से यह चर्चा की जाएगी, यह मैं सभापित महोदय पर छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना मत रखते हुए दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा कि इस एक्शन टेकन रिपोर्ट को सरकार को वापस लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सदन की सहमति पर यह संयुक्त समिति बनायी गई जिसमें सदस्यों के नाम पार्टी के आधार पर पर्ची के रूप में निकाले गये। यह समिति लगभग डेढ़ साल तक चली जिसमें तथ्यों के आधार पर इस बात की जांच की गयी। इसमें कई मंत्रियों और अधिकारियों के ऊपर आक्षेप थे।

अध्यक्ष महोदय : आप तो डिटेल में जा रहे हैं, मुझे यह बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : मेरा मुद्दा अलग है। मंत्रियों और वित्तीय संस्थाओं के कुछ प्रमुखों के विरुद्ध मैं तथ्य नहीं कहता, कतिपय आरोप थे। इस समिति ने सर्वसम्मति से उन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत होने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर देने का निर्णय किया था और वे समिति के समक्ष आए थे।

[हिन्दी]

वे सब कमेटी के सामने आये और अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखीं। उन लोगों को पूरा समय दिया गया। इसमें कई मंत्री भी आये, फाईनेंनशियल इंस्टीट्यूशन्स के पदाधिकारी भी आये और उनकी बातें स्पष्ट रूप से सुनने के बाद।

[अनुवाद]

समिति सर्वसम्मति से एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंची थी।

[हिन्दी]

उनमें से कुछ लोग दोषी हैं।

इन लोगों के खिलाफ, जो गुनाहगार थे, एक्शन लिया जाना चाहिए था क्योंकि कमेटी के पास तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की पावर नहीं थी और वह तो सत्ताधारी दल के पास है, या इस सदन के पास है। कमेटी सर्वसम्मति से इस फैसले पर आयी थी कुछ लोग दोषी हैं इस प्रजातंत्र में सिर्फ दो-चार अधिकारियों को नौकरी से निकाल देने से काम नहीं चलेगा। जो बड़े-बड़े-गुनाहगार हैं और मंत्री बनकर बैठे हुये हैं, आरबीआई के बड़े पदाधिकारी या बैंकों के बड़े-बड़े पदाधिकारी इसमें इनवाल्व हैं, उनकी एकाउंटेबिलिटी है और उनकी ही जिम्मेदारी है उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह रिपोर्ट इस सदन के सामने रखी। इस रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा हुई तो इसके आधार पर सरकार की तरफ से कहा गया कि तीन माह के अंदर जो कार्यवाही करनी है, सरकार करेगी। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हम लोगों द्वारा रात के 2-3 बजे तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही। यह इतना बड़ा स्कैंडल था जिसमें देश की जनता का अरबों रुपयों का गबन किया गया और जब रिपोर्ट आयी तो सरकार द्वारा उन बड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय छोड़ दिया गया। और आज आप कहते हैं कि इस रिपोर्ट पर डिसक्शन करें।

[अनुवाद]

चर्चा किस प्रकार की जाएगी ?

हम क्यों चर्चा करें जबकि एक्शन लिया जाना चाहिए था। सरकार दो चार मुद्दों पर एक्शन लेना चाहती है और बाकी के मुख्य मुद्दे जिस पर सरकार सहमत नहीं है।

इसलिए मेरी उम्मीद है कि जिस ढंग से इस रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया है वह सारे सदन का अपमान है। जेपीसी में बैठने वाले संसद सदस्यों का अपमान है। सारे राष्ट्र का अपमान है। इसलिए यह रिपोर्ट सरकार को वापस लेनी चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, मैं एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। बार-बार यह कहा जाता है कि विरोधी पक्ष के लोग राजनैतिक भाषण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि संसद राजनैतिक भाषण के लिए ही बुलाई जाती है। विरोधी पक्ष एक राय वाला है और सरकारी पक्ष दूसरी राय वाला है लेकिन दोनों ओर से राजनीतिक बातें ही होती हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज मंशा कुछ गैर राजनीतिक कार्यवाही करने की दिखाई पड़ती है उन मित्रों के जरिये जो बार-बार यह आरोप लगा रहे हैं दूसरों पर कि राजनीति से विवश होकर वह कुछ सवाल उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह एक समिति की रिपोर्ट का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किस सिलसिले में है। पांच हजार करोड़ रुपया इस देश का कहां गया आज तक इसका पता नहीं इसी सदन में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम पता लगाएंगे और अपराधियों को दंड देंगे। अपराधी नहीं पकड़े गए और पांच हजार करोड़ रुपया कहां गया इसका पता नहीं लगा। समिति आपने बनाई, समिति ने रिपोर्ट दी। उस समिति की रिपोर्ट के बाद यदि यही कार्रवाई थी जिसको आज सदन के सामने रखा गया है तो मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल के भाषण में उन्होंने आम सहमति की बात की। क्या यह संभव नहीं था कि विरोधी पक्ष के इन नेताओं को यह बता दिया जाता कि इतनी कार्यवाही हम कर सकते हैं और इससे आगे नहीं कर सकते। यह सारी संसद की मर्यादा का सवाल बन जाता है जब सारे अखबारों की सुर्खियां इस बात से भरी हुई हैं जो यह बात दिखाती है कि किस तरह से लीपा-पोती हो रही है। हो रही है या नहीं मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सारा जनमानस यह बन रहा है कि हम भ्रष्टाचार को और ऐसे कृकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। यह वातावरण देश के लिए खतरनाक है। मैं अपने मित्रों से जो सरकारी पक्ष में हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि 65 करोड़ के मामले को मैंने कभी नहीं उठाया। मैंने कहा इस मामले को दबाकर ही रखें। आज छह-सात वर्ष हो गए, हमारे सिर पर वह तलवार आज भी लटकी हुई है न केवल इस देश में, दुनिया के बाजारों में हमारे देश की और संसद की मार्यादा की खिल्ली उड़ाई जा रही है। पांच हजार करोड़ रुपये के बारे में ये पूछना चाहते हैं। फिर भी बात कर लो, फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछालो, फिर संसद में केवल भ्रष्टाचार की बात होती रहेगी। फिर रोज यह बात होगी कि कौन निकाला जाए और कौन रखा जाए। किसी को रखिए, किसी को निकालिए, इससे तो देश नहीं बनने वाला है, बदलने वाला है।

मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से भूल हुई। अगर इस तरह की एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी थी तो इस पर यह कहने के बजाय कि इस संसद में बहस कर लो, आपस में राय मिलनी चाहिए और उस माहौल में जब प्रधान मंत्री जी आम सहमति चाहते हैं। मैं आपको सत्य बताऊं मैंने न इस रिपोर्ट को पढ़ा है न उसमें मेरी कोई दिलचस्पी है और न मुझे इससे कोई निराशा हुई है। मैं तो यही उम्मीद करता था कि ऐसा कुछ होगा लेकिन मैं समझता था कि समझदारी होगी तो यह करेंगे तभी इस प्रपंच से इस संसद को बचाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज भी अगर इसको आप बचा सकें तो बचाइए अन्यथा आप याद रखिए आप बहुमत से जो निर्णय कर लें यह सवाल चुनावों तक ही नहीं जाएगा, चुनावों के बाद भी जाएगा।

हमारे मित्र बूटा सिंह ने एक बड़ा लंबा भाषण दिया। आप नहीं जानते हैं राजनीति एक बड़ी निर्दयी देवी है। यह निर्णय बहुत देर से करती है लेकिन बिना निर्णय किये रहती नहीं है। चुनाव में जीतने हारने से निर्णय नहीं होते। बड़े-बड़े चुनाव जीतकर लोग इतिहास की नजरों में गिर जाते हैं और लोग इतिहास की नजरों में गिरें उससे हमें कोई चिन्ता नहीं। अध्यक्ष महोदय, अगर संसद, इसकी गरिमा, इसकी समितियों की रिपोर्ट इन पर की गई कार्यवाहियों के कारण गिरेगी तो इस देश के लिए न केवल एक कलंक होगा बल्कि देश के इतिहास को, देश के भविष्य को बरबाद करने का रास्ता हम अपने हाथों से खोल देंगे।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसने संसद और सरकार के मध्य रिश्तों के संबंध में अत्यन्त गम्भीर प्रश्न खड़े कर दिये हैं। संयुक्त संसदीय समिति जो संसदीय समिति है, का गठन वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित कुछ घोटालों की जांच करने के लिए संसद द्वारा किया गया था न कि सरकार द्वारा, जिसमें सरकार और सरकार द्वारा गठित संस्थाएं अन्तर्ग्रस्त हैं अथवा अन्तर्ग्रस्त होने का अन्देशा है। समिति ने संसद की ओर से संसद को अपनी रिपोर्ट दी थी और संसद को सुझाव दिया था कि इस पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। यह संसदीय समिति द्वारा सरकार को दी गई एक रिपोर्ट है तथा यह सरकार को रिपोर्ट देने के लिए सरकार द्वारा गठित किसी सरकारी समिति द्वारा दी गई कोई रिपोर्ट नहीं है। दोनों में अन्तर है। जब संसदीय समिति रिपोर्ट देती है तो रिपोर्ट में हमेशा और अनिवार्यतः दो भाग होते हैं। एक भाग 'निष्कर्ष' और दूसरा भाग 'सिफारिशों' का होता है।

जहां तक सिफारिशों का संबंध है, सरकार कभी-कभी सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं करती। लेकिन साधारणतया जैसा कि श्री आडवाणी जी ने 'कौल और शकधर' से पढ़ा कि सरकार सिफारिशें स्वीकार करेगी और कुछ परिस्थितियों में सरकार कुछ सिफारिशें स्वीकार नहीं कर सकती है। लेकिन जहां तक निष्कर्षों का संबंध है, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई पूर्वोदाहरण है जहां सरकार ने आकर कहा हो कि हम संसदीय समिति के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करते। निष्कर्ष स्पष्टतः अलग-अलग हैं। जब सरकार कोई उत्तर देती है जैसा कि यहां इससे ऐसा करने के लिए कहा गया है तो ऐसा कोई नियम बिल्कुल नहीं है जिसके अन्तर्गत सरकार कोई ऐसा उत्तर दे जिसमें यह अपने आप

को संसदीय समिति से ऊपर एक अपील प्राधिकारी नियुक्त कर लें। सरकार के पास यह अधिकारिकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट समिति संसद द्वारा गठित की गई है। अतः संसद का निर्णय अन्तिम है।

श्री अमल दत्त : जी, हां। सरकार को संसदीय समिति के निष्कर्ष स्वीकार करने होते हैं। लेकिन जहां तक सिफारिशों का संबंध है, सरकार सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं भी कर सकती है। ऐसा लम्बे समय से पूर्वोदाहरण रहा है। अन्यथा संसदीय समिति की महत्ता ही क्या है ?

संसदीय समिति 'तथ्य का पता लगाने संबंधी मिशन' पर जा चुकी है और तथ्यों का पता लगाने के बाद ही इसने सिफारिशें की हैं। जहां तक 'तथ्य का पता लगाने' वाले भाग का संबंध है, सरकार को इसे अन्तिम रूप में लेना होगा और सरकार के पास कोई अन्य रास्ता नहीं है।

लेकिन जहां तक सिफारिशों का संबंध है यह ऐसा नहीं है कि समिति ने ऐसा कहा हो कि "अमुक व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसे दो वर्ष के लिए जेल भेज दो और अमुक दोषी है और उसे एक वर्ष के लिए जेल भेज दो अथवा उस पर जुर्माना करो।" ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार को जांच के कतिपय तरीके तय करने हैं और देखना है कि क्या उनका दोष न्यायालय में स्थापित होता है अथवा नहीं । सरकार ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। लेकिन वह निष्कर्षों से बाहर नहीं जा सकती और यह नहीं कह सकती कि निष्कर्ष अनुचित है अथवा वे निष्कर्ष अस्वीकार करते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सर, मैं एक जूनियर मैम्बर हूं और सुबह से सुन रही हूं कि आपोजीशन के लीडर का क्या कहना है। यह बात सच है कि एक संयुक्त पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई गयी थी। जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह अब पार्लियामेंट की प्रोपर्टी है। इससे किसी को एतराज नहीं है कि जे पी सी ने एक युनैनिमस रिपोर्ट दी है लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यों का यह कहना ठीक नहीं है कि उस रिपोर्ट पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जे पी सी ने जो रिपोर्ट दी है—**(व्यवधान)**—हर आदमी को बोलने का हक है।

उस रिपोर्ट पर रिजर्व बैंक तथा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया है—**(व्यवधान)**— जे पी सी कमेटी ने जो युनैनिमस रिपोर्ट दी है—

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, किसी को कभी डिस्टर्ब नहीं करती हैं आपको भी नहीं करना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने पहले ही बोला है कि मैं एक जूनियर मैम्बर हूं और मैंने विपक्ष के लोगों की बात को ध्यान से सुना है। उनकी बातों को सुनकर मुझे जो फीलिंग हुई, वही मैं बताना चाहती हूं। मैं खाली एक तरफ की बात नहीं कर रही हूं और यह सदन सिर्फ आपका ही नहीं है, हम लोगों का भी है।

मैं कहना चाहती हूं कि जे पी सी ने जो रिकमेंडेशन्स की हैं, गवर्नमेंट की ओर से कभी ऐसा नहीं कहा गया कि हम एक्शन नहीं लेंगे। भ्रष्टाचार के संबंध में सरकार ने एक्शन लेना है, गवर्नमेंट को वह एक्शन जरूर लेना चाहिए ताकि लोगों तक सही बात पहुंच सके। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी सही है कि अभी इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है। जे पी सी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यदि उसमें कोई सीरियस एलीगेशन भ्रष्टाचार के संबंध में या अन्य कोई सीरियस एलीगेशन है तो इसमें पार्टीबाजी का कोई सवाल नहीं है, एक्शन जरूर लिया जायेगा, देश के इंटरैस्ट में, अगर हमने अपने सिस्टम को ठीक करना है तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन जरूर लेना है, मैं इससे सहमत हूं।

मैं इसके साथ सहमत हूं, लेकिन जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने खाली हमारी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज उठाई है, वे स्टेट में क्या कर रहे हैं, और किस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर भी एक्शन लेने की आवश्यकता है, मैं यहां कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी में जो भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ–साथ हमारी स्टेट में जो सरकार है, वह चिट फंड के रूप में गरीब जनता को लूटने और भ्रष्टाचार का काम कर रही है, उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अगर हमारी पार्टी के खिलाफ लड़ना है, तो खाली हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के कोने-कोने में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना जरूरी है। यह बात मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहती हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आश्चर्य की बात है। आज केवल ऐक्शन टेकन रिपोर्ट पर कार्रवाही का ही सवाल नहीं है बल्कि एक संयुक्त संसदीय समिति के ऊपर प्रश्न के साथ-साथ पूरी संसद पर प्रश्नचिहन लग गया है। इसमें पांच से आठ हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गया है और सिस्टम को दोष दिया जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा को बचाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, यह प्रश्न उठा था कि किस ने पैसे लिए, किसने पैसे दिए, किन्हीं अधिकारियों या अन्य लोगों ने जिनका काम सुपरवीजन करने का था, वह नहीं किया तथा सिस्टम का क्या दोष है और जिसने पैसे लिए तथा जिसने पैसे दिए, उस पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और अधिकारी या दूसरे लोग जिनके ऊपर सुपरवीजन में कमी का आरोप है, उनका क्या हो, यह बात हमें यहां कहनी है, न कि जो आप कह रहे हैं वह।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह "एक्शन टेकन" नहीं बल्कि "नो एक्शन टेकन" रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, चूंकि आप इस सदन की गरिमा को बनाए रखने का सवाल उठा रहे हैं इसलिए जिसने पैसे लिए उसका भी ध्यान रखना है और जिसने पैसे दिए उसका भी

ध्यान रखना है और जो अधिकारी और दूसरे लोग सुपरवीजन के लिए जिम्मेदार हैं, उनका भी ध्यान रखकर आपको बोलना है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, अब आप बहस कराना बन्द करिए। सदन चाहता है कि प्रधानमंत्री बताएं कि वे इस रिपोर्ट को वापस ले रहे हैं या नहीं ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हम इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं चाहते। हम प्रधान मंत्री से जानना चाहते हैं--**(व्यवधान)**--

अध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रकार आदेश नहीं देना चाहिए। सदन को निर्णय करने दीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देने दीजिए। ...**(व्यवधान)**

श्री आर. अन्चारासु (मद्रास मध्य) : महोदय, जब सरकार के ध्यान में घोटाला लाया गया, तो तुरन्त संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। संयुक्त संसदीय समिति ने सम्पूर्ण मामले की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि उस समय सरकार की जरा भी नीयत नहीं थी कि वह किसी को बचाए। जो अपराधी है, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। इस सरकार का यही इरादा है।

संयुक्त संसदीय समिति की सम्पूर्ण रिपोर्ट स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। यह प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जाएगी। यदि विपक्ष के माननीय सदस्य सन्तुष्ट न हों तो उन्हें सरकार पर उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दबाब डालना चाहिए जो इस घोटाले में अन्तर्ग्रस्त है। लेकिन वे इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं और वे बिना किसी मुद्दे के इस मामले को तूल दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर किस प्रकार चर्चा की जानी चाहिए इस संबंध में निर्णय करने और माननीय नेताओं को अपने कक्ष में बुलाने का आपका सुझाव मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं माननीय नेताओं को अपने कक्ष में 3.00 म.प. पर आने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम सदन में वापिस आएंगे और इसके बारे में निर्णय करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : इससे पहले आप सदन को स्थगित करें।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि हम एक बजे से पहले उठ जायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभा 2.00 म.प. पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.51 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.02 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.02 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में—जारी

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सरकार के विचार सुनने चाहिए।

(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, हमें बाढ़ पर चर्चा करनी चाहिए। बाढ़ पर चर्चा करने के बाद हम की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं। लेकिन पहली चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। वे सभी माननीय सदस्यगण जिनके निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ पर चर्चा करना चाहते हैं।"**(व्यवधान)**"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। यह ठीक नहीं है। हमें उनकी बात सुननी चाहिए। आपको सत्ता पक्ष को अपनी बात करने का अवसर देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है हमें सरकार की बात सुननी चाहिए। फिर आप अपना निर्णय दे सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की तीन बजे बैठक हो रही है। उसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। वे बैठकर मामले पर आपस में चर्चा करेंगे। तब तक हम इस अति महत्वपूर्ण चर्चा को ले सकते हैं और इसको पूरा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें पहले सरकार की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। आज सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, समिति की रिपोर्ट और नियम 377 के अधीन मामले जैसे अनेक मदों को लिया जाना है। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में जो शिकायतें हैं, उन पर आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा आज 4.00 बजे म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

2.06 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 4.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

4.00 म.प.

लोक सभा 4.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाही प्रतिवेदन के संबंध के बारे में—जारी

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में कुछ चर्चा चल रही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी तब तक हाउस नहीं चलेगा। "**(व्यवधान)**"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को कल उठाया जा सकता है। हमें अपने समक्ष पड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेना चाहिए। देश में बाढ़ की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा काल 11 म.पू. तक के लिए स्थगित होती है।

4.03 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 28 जुलाई, 1994/6 श्रावण 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।